सृजन - 2

शाला से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने हेतु

अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका

वर्ष

2011-2012

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़े, सब बढ़े

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

संरक्षण

एम.के.राउत (आई.ए.एस.)
प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा, छ.ग. शासन

मार्गदर्शन

अनिल राय(आई.एफ.एस.)
संचालक एस.सी.ई.आर.टी.
रायपुर

के. आर. पिस्दा(आई.ए.एस.)
मिशन संचालक रा.गाँ.शि.मिशन
रायपुर

सहयोग

ए.लकड़ा
संयुक्त संचालक
एस.सी.ई.आर.टी, रायपुर

आशुतोष चावरे
संयुक्त संचालक
राज्य परियोजना कार्यालय,रा.गा.शि.मिशन
रायपुर (छ.ग.)

समन्वय

अनुपमा नलगुंडवार
प्रकोष्ठ प्रभारी
एस.सी.ई.आर.टी, रायपुर

हरे राम शर्मा
सहायक संचालक
राज्य परियोजना कार्यालय,रा.गा.शि.मिशन
रायपुर (छ.ग.)

अकादमिक समन्वय

सुनील मिश्रा
राज्य स्त्रोत व्यक्ति
एस.सी.ई.आर.टी, रायपुर

विशेष सहयोग

सतीश पाण्डेय
डी.पी.सी.
राजनांदगाँव

लेखन समूह

तारकेश्वर देवांगन, गंगाधर साहू, रामेश्वर बेलान्द्रे, उत्तम साहू, शिवकुमार देवांगन, योगिता साहू, बेनीराम साहू, चैतराम सार्वा, लोचन सिंह गौतम, नेमसिंह कौशिक, गजेन्द्र देवांगन, मोहन पटेल, सिंहासान्ता लकड़ा, सीमांचल त्रिपाठी, द्रोण साहू, आजाद मो. अंसारी, प्रदीप पांडेय, ईश्वरी कुमार सिन्हा, रजनीश मिश्रा, ममता नेताम, श्रीमती शीतल सारथी, राजकुमार पवार, श्रीमती तरूणा मेश्राम, पुष्पा शुक्ला, आरती ठाकुर, निर्मला शर्मा, रजत भगत, प्रमिला यादव, रेखा कुजुर, रीता कुजुर, पार्वती निषाद, श्रीमती शारदा कुंजाम, पूनम वासम, भूमिका शर्मा, प्रहलाद साहू, अनुपमा नलगुण्डवार, सुनील मिश्रा

डिज़ाईनिंग, ले–आउट एवं टंकण
कुमार पटेल, छोटे लाल, भूपेश साहू,
भूपेन्द्र साहू, राजकुमार चंद्राकर, सुरेश साहू

प्राक्कथन

प्रिय मित्रों,

6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य बालशिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षा की मुख्य धारा से विलग बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देकर, आयु अनुरूप कक्षा में दर्ज करने का उल्लेख किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा सेतु पाठ्यक्रम का विकास कर प्राथमिक कक्षाओं हेतु पाठ्यसामग्री का विकास किया गया है।

वर्तमान में राज्य में लगभग 2 लाख बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। साथ ही प्रदेश के सभी स्कूलों में धीमी गति वाले अथवा ACK Unbalance बच्चे हैं। इन बच्चों को विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों (SRTC) विशेष गैर आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों (NSRTC) अथवा पोटोकेबिन में लाकर विशेष प्रशिक्षण दिया जाना है। इस हेतु SRTC/NSRTC केन्द्रों एवं अनुदेशकों का चिह्नांकन किया जा चुका है।

RTE अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु शिक्षा जगत के प्रत्येक अमले को पूरी समझ और सहयोग के साथ कार्य करना आवश्यकता ही नहीं बल्कि संवैधानिक अनिवार्यता भी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जिले के अधिकारियों हेतु इस मार्गदर्शिका का निर्माण किया गया है।

मार्गदर्शिका में SRTC/NSRTC के चिह्नांकन, प्रशासनिक एवं अकादमिक व्यवस्था, मॉनिटरिंग, सपोर्ट, मूल्यांकन एवं सामग्री के विषय में जानकारी दी गई है।

विशेष प्रशिक्षण हेतु सामग्री का विकास गति एवं स्तर पर आधारित तेज गति से सीखने वाली प्रक्रिया अर्थात् MGML की तर्ज पर की गई है। साथ ही सामग्री निर्माण के दौरान ही इस सामग्री का क्षेत्र परीक्षण भी किया जा चुका है। यह प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए है।

कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए एक्टिव लर्निंग मेथड (ALM) पर आधारित गति एवं स्तर के अनुरूप तेज गति से सीखने वाले पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसामग्री के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

मुझे विश्वास है कि आप सभी अधिकारीगण, उन्मुखीकरण के पश्चात् आपसी समन्वय से अपने जिले के सभी निचले स्तर के अधिकारियों एवं कार्यकत्ताओं को मार्गदर्शन एवं सहयोग देकर अपने जिले एवं पूरे राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करेंगे।

इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाने तथा सामग्री को समृद्ध करने हेतु आपके सुझावों का सदैव स्वागत रहेगा।

संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.
शंकर नगर रायपुर (छ.ग.)

आभार

छत्तीसगढ़ राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने और राज्य के 6–14 आयुवर्ग के ऐसे बच्चों जो शालाओं से बाहर हैं, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हमारे विभाग के सम्मुख एक बहुत बड़ी चुनौती है।

आपको विदित होगा कि राज्य के विभिन्न जिलों में हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं, जिन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस हेतु परिषद् द्वारा बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण पद्धति (MGML) निर्माण किया गया है। इस संपूर्ण सामग्री का क्षेत्र परीक्षण राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों एवं विविधता–युक्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है। इसी कड़ी में परिषद् द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए Active Learning Methodology पर आधारित, गति एवं स्तरानुरूप तीव्र गति से सीखने वाली सामग्री का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है।

मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य के शत्–प्रतिशत् बच्चों को उपलब्ध कराने एवं RTE अधिनियम के निःस्वार्थ परिपालन के लिए इस क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक समस्त जानकारी इस मार्गदर्शिका में सम्मिलित की गई है। ताकि सभी सम्माननीय अधिकारीगण अपने अमूल्य समय एवं ऊर्जा का समुचित उपयोग कर हमारे राज्य के शिक्षा से वंचित बच्चों के भविष्य को शिक्षा के आलोक से प्रकाशित करने में अपना योगदान दे सकें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस पावन कार्य में पूर्ण कटिबद्धता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। इस कार्यक्रम क सफल क्रियान्वयन एवं सामग्री में सुधार के लिए आपके सुझावों का सदैव स्वागत रहेगा।

शुभकामनाओं सहित .....

मिशन संचालक
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
सर्व शिक्षा अभियान
रायपुर (छ.ग.)

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ
1.	आपकी राय में	1
2.	SRTC क्यों, क्यों और भूमिका	3
3.	SRTC का प्रचार–प्रसार	5
4.	SRTC के लिए केन्द्र खोलने की प्रक्रिया	8
5.	SRTC के लिए बच्चों का चिन्हांकन	9
6.	SRTC का चिन्हांकन	12
7.	अनुदेशक का चिन्हांकन	15
8.	अनुदेशकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता	17
9.	प्रेरक की भूमिका	21
10.	SRTC का प्रबंधन	23
11.	SRTC में बच्चों का ठहराव (सफलता की कहानियाँ)	28
12.	MGML	32
13.	MGML और NCF, RTE	49
14.	सपना सच कैसे हो?	58
15.	DEO/DPC/ DIET/ AC/ BEO/ B.R.C.C/ CAC प्रधान पाठक/शिक्षक/समुदाय की भूमिका	60
16.	समुदाय से समन्वय SRTC हेतु सामुदायिक सहभागिता	64
17.	मॉनीटरिंग एवं समीक्षा बैठक	67
18.	व्यावसायिक कौशल	70
19	चलते–चलते.....	76

1 आपकी राय में ...

प्र.1. निः शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आपके जिले में हुए कार्यः–

उ. .....

.....

.....

प्र.2. आपके जिले में 6–14 आयु समूह के बच्चों की स्थितिः–(अनुमानित)

कुल बच्चे	शाला में नामांकित बच्चे	अप्रवेशी बच्चे	शालात्यागी बच्चे

प्र.3. ऐसे बच्चे जिनके नाम उपस्थिति पंजी में दर्ज तो है, लेकिन मुद्दती अनुपस्थित हैं। उन्हें आप किस श्रेणी में रखेंगे?

(1) नामांकित बच्चे (2) अप्रवेशी बच्चे

(3) शालात्यागी बच्चे (4) अन्य

उ. .....

.....

प्र.4. यदि आप उपर्युक्त बच्चों का नाम नामांकित बच्चों की श्रेणी में रखते हैं, तो क्या ये बच्चे शिक्षित हो पाएँगे?

उ. .....

.....

प्र.5. इन अप्रवेशी, शाला त्यागी, अध्ययन त्यागी बच्चों की शिक्षा के लिए आपके पास क्या कार्ययोजना है?

उ. .....

.....

प्र.6. क्या आप अपने **BEO, BRCC** के साथ बैठकों में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार की चर्चा करते हैं?

उ. .....

.....

प्र.7. क्या आपके जिले के समस्त संकुल शैक्षिक समन्वयक शालाओं की शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं? अथवा केवल पत्र–वाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं?

उ. .....

.....

प्र.8. क्या आपको अपने जिले के ऐसे शिक्षकों, संकुल शैक्षिक समन्वयकों की जानकारी है, जो **A** ग्रेड में हैं। (अनुमानित)

(1) कुल शिक्षक संख्या ''ए'' ग्रेड के शिक्षकों की संख्या।

.....

(2) कुल संकुल शैक्षिक समन्वयकों की संख्या, ''ए'' ग्रेड के संकुल शैक्षिक समन्वयकों की संख्या

.....

000000

2 SRTC क्या और क्यों

उद्देश्य :

(1) SRTC की जानकारी देना।

(2) SRTC की आवश्यकता एवं महत्व को बताना।

(3) SRTC केन्द्र के प्रति जागरूक करना।

(4) SRTC खोलने हेतु अधिकारियों को संवेदनशील करना।

(5) SRTC के उचित क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहित करना।

RTE और SRTC

RTE की अध्याय 2 की धारा (4) के अनुसार ऐसे बच्चे जो 6 वर्ष से अधिक उम्र के किसी स्कूल में प्रवेश नहीं दिलाया गया हो या प्रवेश दिलाया गया हो लेकिन अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है। तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।

ऐसे बच्चों को जिन्हें उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में सीधे प्रवेश दिया गया है, तो उन्हें दूसरे बच्चों के बराबर आने के लिए विशेष प्रशिक्षण निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने का अधिकार होगा।

SRTC क्या है ? उदाहरणः–

अस्पताल Hospital	SRTC
1. मरीज को Hospital में भर्ती कराना।	1. SRTC में शाला त्यागी बच्चों को सेन्टर में लाना।
2. उसके बीमारी का परीक्षण (पहचान) करना।	2. उन्हें एक पारिवारिक वातावरण देना। बच्चों की समस्याओं व कठिनाईयों का पता लगाना।
3. उसके बीमारी का आवश्यकता अनुसार (स्वस्थ होने तक) ईलाज करना।	3. उसके आयु, स्तर व रूचि के अनुरूप शिक्षा देकर एवं उसके व्यवहार में परिवर्तन कर उनको आयु के शिक्षा देना।
4. स्वस्थ हो जाने पर उसे उसके घर वापस भेजना।	4. बच्चों को शाला में ले जाकर उम्र के अनुसार कक्षा में भर्ती करना।

आवश्यकता क्यों ?

1 प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए।

2 बच्चों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास के लिए।

4 बच्चों के ठहराव व निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए।

5 दूरस्थ एवं सुविधाविहीन क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर उनके विकास को गति देने के लिए।

6 रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड पर आर्थिक उपार्जन करने वाले बच्चों को सेन्टर से जोड़कर शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने एवं एक सामाजिक परिवेश देने के लिए।

7 जूता पॉलिश करने वाले, गाड़ी पोंछने वाले, अपराधिक परिवेश में रहने वाले बच्चों के संतुलित विकास के लिए।

8 धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को विशेष शिक्षा देते हुए उनको उनकी दक्षता/स्तर के अनुरूप पहुँचाने के लिए।

9 ऐसे बच्चे जिनके पालक नहीं हैं, या उनका कोई संरक्षक नहीं है। उनको SRTC के संरक्षण में आयु एवं स्तरानुरूप शैक्षिक व सामाजिक परिवेश एवं पारिवारिक वातावरण देने के लिए।

10 बच्चों को उनकी आयु अनुरूप कक्षा के स्तर तक लाने तथा शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु।

(11) निःशक्त बच्चों को समान अवसर एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए।

कार्य योजना

क्र.	SRTC खोलने हेतु	निगरानी कौन करेगा	कब तक
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....

0000

3 SRTC का प्रचार–प्रसार

उद्देश्य :

1. पालकों एवं अधिकारियों को जागरूक बनाने हेतु।
2. केन्द्र से शिक्षा एवं सुविधाओं की जानकारी हेतु।
3. शिक्षा के अधिकार कानून को जन–जन तक पहुँचाने।

प्रचार–प्रसार के क्षेत्र–

1. जनसम्पर्क :

SRTC संचालन हेतु इनकी जानकारी जन–जन तक पहुँचाना आवश्यक है। जिसमें पंच–सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य आदि जन प्रतिनिधियों को SRTC केन्द्रों की गतिविधि एवं शासन के उद्देश्यों की जानकारी होना आवश्यक है। ताकि उस क्षेत्र में शाला त्यागी, अप्रवेशी बच्चों की स्थिति से अवगत कराकर उन्हें इस कार्य में सहयोग हेतु प्रोत्साहित कर सकें।

इसके लिए हम ग्राम सभा, जनपद पंचायत, एवं जिला पंचायत की बैठक में बच्चों की स्थिति एवं SRTC के महत्व को चर्चा हेतु रख सकते हैं।

2. सभा का आयोजनः–

ग्राम, वार्ड, चौराहे या शाला में छोटी सभा का आयोजन कर उस क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित करें। उस क्षेत्र में शिक्षा से दूर बच्चे जैसे– झिल्ली–पन्नी बीनने वाले, धन उपार्जन करने वाले, श्रम करने वाले बच्चों की जानकारी का विवरण दें। और उन बच्चों को SRTC केन्द्र तक लाने हेतु आमंत्रित करें।

3. सफल केन्द्रों का भ्रमणः–

हम अपने जन प्रतिनिधियों एवं शिक्षा से जुड़े अधिकारी को उन SRTC केन्द्रों का भ्रमण कराएँ। जहाँ शाला त्यागी, अप्रवेशी बच्चे और अध्ययन त्यागी बच्चे बड़े ही खुशनुमा माहौल में अध्ययन कर रहे हैं तथा शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। साथ ही उन केन्द्रों में सफल संचालन हेतु कितना श्रम किया, कितनी कठिनाईयाँ आईं और उसे उन्होंने किस तरह हल किया, इसकी जानकारी दें।

4. शैक्षिक स्टॉल एवं प्रदर्शनः–

विभिन्न उत्सव, मेला एवं त्यौहारों में शैक्षिक स्टॉल लगाएँ। जिसमें शिक्षण

विधि, शिक्षण सहायक सामग्री एवं सन्दर्भ ग्रंथ आदि का प्रदर्शन हो। बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं का चार्ट, व्यावसायिक शिक्षा की जानकारी एवं SRTC केन्द्र से प्राप्त होने वाले शैक्षिक सफलता के उल्लेख से संबंधित चार्ट का प्रदर्शन, व्यावसायिक शिक्षा से दक्ष बच्चों द्वारा निर्मित हस्त कार्य का प्रदर्शन आदि हो।

5. सफलता की कहानियों का प्रदर्शनः–

जिस बच्चे ने विशेष दक्षता प्राप्त की है या जिस SRTC केन्द्र ने विशेष उपलब्धि प्राप्त किया है। उसी प्रकार जिस विकास खण्ड एवं जिले में SRTC अच्छा कार्य किया हो, उसका अन्य केन्द्र एवं अन्य जिलों में प्रदर्शन।

6. पाम्प्लेट व समाचार पत्र द्वारा–

पोस्टर एवं पाम्प्लेट के माध्यम से शिक्षा के अधिकार की जानकारी देना तथा इसके तहत चलाए जा रहे केन्द्रों की सम्पूर्ण जानकारी, बच्चों को मिलने वाली सुविधा को लिख कर प्रत्येक गली, शहर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि जगहों पर चश्पा करें। साथ–ही–साथ दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से भी प्रचार–प्रसार करें।

7. दूर संचार के माध्यम से, रेडियो, टी.वी के माध्यम से केन्द्रों का प्रचार किया जा सकता है।

8. अन्य विभागों से समन्वय –

विभिन्न विभागों से सम्पर्क करें जैसे– पंचायत, स्वास्थ्य, पुलिस, सहकारिता विभाग आदि से संपर्क कर इस विषय का प्रचार किया जा सकता है। इनके सहयोग से हम उन बच्चों को अपने केन्द्र तक जोड़ सकते हैं।

9. संवेदनशील क्षेत्र में प्रचार–प्रसार–

घने जंगल, पहाड़ी एवं समस्याग्रस्त क्षेत्र में प्रचार–प्रसार टी.वी. रेडियो एवं इन्टरनेट के माध्यम से देवें। हॉट, बाजारों, मेला उत्सव में मशाल रैली निकालें। जन समूह के माध्यम से प्रचार करें। सभा आयोजित करें, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश प्रसारित करें।

10. फ्लैक्स बोर्ड चौक चौराहों पर लगाएँ।

11. कलेण्डर– शाला कलेन्डर या शिक्षा कलेन्डर में SRTC संबंधी बातों को जगह देकर घर–घर तक पहुँचाएँ।

12. बस–गाड़ियों में विज्ञापन देकर।

13. दीवारों पर शिक्षा एवं SRTC संबंधी का नारे का लेखन करें।

14. टोपी या टी शर्ट पर SRTC का प्रचार–प्रसार करें।

कार्ययोजना

प्र. यदि आपको SRTC का प्रचार–प्रसार करना है तो, आप और कौन–कौन से तरीकों को अपनाएँगें?

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

0000

---

1. '' जब तक कि व्यक्ति या कार्य करने वाला स्वयं के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया से नहीं गुजरता, तब तक उसके द्वारा बाहरी वातावरण में परिवर्तन या तो बहुत कम या बिल्कुल नहीं लाया जा सकता। बाहरी व्यवहार में परिवर्तन, स्वयं अंदरूनी विचार मंथन के परिणामों की अभिव्यक्ति मात्र है। ''

2. '' शिक्षक कभी साधारण नहीं होते, प्रलय और निर्माण की गोद में खेला करते हैं ''

• चाणक्य

SRTC खोलने हेतु कार्य योजना

बच्चों का चिन्हांकन	स्थल का चयन	भवन की व्यवस्था	कार्यकर्ता का चयन	केन्द्र प्रभारी, अनुदेशकों व प्रेरक प्रशिक्षण	बच्चों का SRTC में लाना	ACK के अनुरूप शिक्षण	प्रक्रियाओं की समीक्षा	ACK संतुलित शिक्षण उपरांत शाला से जोड़ना
कौन करेगा								
– केन्द्र प्रभारी – अनुदेशक – प्रेरक – आं. बा. कार्यकर्ता – प्रधान पाठक – सी.ए.सी.	DPC DIET AC BRCC	DPC, DEO DIET AC, DEO BRCC	DPC, DEO AC, DIET BEO, BRCC	SRG	– केन्द्र प्रभारी – अनुदेशक – प्रेरक/लिंक वर्कर – जनप्रतिनिधि	केन्द्र प्रभारी अनुदेशक	(DPC जिला स्तर) (BRC ब्लाक स्तर) (CAC संकुल स्तर) (SRG जिला स्तर)	प्रेरक केन्द्र प्रभारी अनुदेशक
जिम्मेदारी/ निगरानी								
DPC DIET DEO AC SRG BRCC DEO BAC SAC	DPC BRCC	DPC BRCC	DPC DEO AC DIET प्राचार्य	DPC DEO DIET प्राचार्य AC BRCC DEO SRG	DPC BRCC CAC	DPC BRCC SRG	DPC AC DIET प्राचार्य DEO SRG	DIET प्राचार्य DPC DEO AC BRCC BEO SRG
कब तक								

5 SRTC के लिए बच्चों का चिन्हांकन

उद्देश्यः–

1. उन बच्चों को चिन्हांकित करने में सहयोग करने की समझ विकसित करना।
2. RTE के परिप्रेक्ष्य में बच्चों के चिह्नांकन का महत्व बताना।
3. ऐसे बच्चों को main streaming करने के लिए संवेदनशील करना।
4. ऐसे बच्चों के main streaming करने के महत्व का एहसास कराना।

SRTC में किन बच्चों को प्रवेश देंगे ?

2. अनियमित बच्चे :–

ऐसे बच्चे जिनका शाला में दाखिला होने के बाद भी शाला नियमित नहीं आते हैं।

3. धीमी गति से सीखने वाले बच्चे :

ऐसे बच्चे जिनका शाला में दाखिला हो गया है। वे नियमित शाला भी आ रहे हैं। लेकिन वे शाला की समस्त शैक्षिक गतिविधियों में रूचिपूर्वक भाग नहीं लेते। अन्य बच्चों की तरह सामान्य गति से भी सीख नहीं पाते।

इस प्रकार के सभी बच्चों को SRTC में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें सामान्य बच्चों के समान स्तर पर लाकर उनके आयुनुरूप कक्षा में भेज दिया जाएगा।

इसके अलावा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 2 की उपधारा 4 में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए किसी भी शाला में प्रवेश प्राप्त बालक, 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा।

इसका अर्थ यह है कि ऐसा बच्चा जिसका स्कूल में दाखिला हो गया है, परन्तु प्रारंभिक शिक्षा से वंचित है वह 14 वर्ष की उम्र के पश्चात् भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक अनिवार्य शिक्षा का हकदार होगा। जिस बच्चे ने स्कूल में

प्रवेश नहीं लिया है, और उसकी उम्र 14 वर्ष से अधिक है, वह भी 18 वर्ष तक भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का हकदार होगा।

SRTC के लिए बच्चों का चिन्हांकन :

के लिए बच्चों का चिन्हांकन ग्रामीण एवं शहरी दोनों परिवेश में अलग–अलग होगा। क्योंकि इन बच्चों की क्षेत्र विशेष के आधार पर परिस्थितियाँ एवं वातावरण अलग–अलग होता है।

1. ग्रामीण क्षेत्र :

ग्रामीण क्षेत्रों में ये बच्चे अपने माता–पिता के साथ खेतों में काम करते, पशु चराते, घर की रखवाली करते, अपनों से छोटे बच्चों की देखभाल करते मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे अपने परिवार के साथ जीविकोपार्जन के लिए अन्य़ पलायन कर जाते हैं।

2. शहरी क्षेत्र :

इन क्षेत्रों में बच्चे रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हॉटलों में काम करते, कबाड़ बीनते, झिल्ली बीनते तथा दुकानों में काम करते मिल जाते हैं।

3. घूमंतु बच्चे

कुछ ऐसे लोग जो कबीले के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेरा डालकर रहते हैं। ये कुछ दिन एक स्थान में रहने के बाद जल्द ही दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे देवार जाति के लोग, शिकारी जाति के लोग, भटरी जाति के लोग। इनके बच्चों को भी SRTCमें लाना एक बड़ी चुनौती है।

रेलवे स्टेशन में जो बच्चे रहते हैं, उनकी एक अलग दुनिया होती है। नशा करना, असामाजिक कार्य करना तथा यात्रियों से भीख मांगना आदि इनकी दिनचर्या होती है। ऐसे बच्चों के पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उनके अतीत की पूरी जानकारी लेकर उनका चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना होगा। हम सबको इनकी शिक्षा के बारे में संवेदनशील होना होगा। यदि हमने समय रहते इनकी शिक्षा के बारे में नही सोचा, तो ये अपराध के अंधेरे की दुनिया में खो जाएँगे।

3. बालिकाएँ– यदि आप प्राथमिक स्तर पर देखें, तो पता चलता है कि बालक और बालिकाओं की संख्या में विशेष अंतर नहीं होता, परन्तु माध्यमिक स्तर पर

प्रवेशित संख्या में बालिकाओं की संख्या अत्यन्त न्यून हो जाती है। इसका अर्थ है कि माध्यमिक स्तर पर शाला त्याग का दर बालिकाओं का अधिक है।

अतः इस बात का ध्यान रखना होगा कि 6 से 14 वर्ष की बालिकाएँ ना छूटने पाएँ।

कार्ययोजना :–

क्र.	कार्य का नाम	जिम्मेदारी किसकी	पूर्ण कब तक	निगरानी कौन करेगा
1.	बच्चों का चिन्हांकन।			
2.	उन बच्चों का SRTC में प्रवेश।			
3.	उन बच्चों की main streaming			
4	main streaming के पश्चात् भावनात्मक सहयोग।			

00000

6 SRTC का चिन्हांकन

उद्देश्यः–

1. SRTC के चिन्हांकन हो?

मानक	क्या हो? क्या न हो?
1. स्थान की चयन	1. SRTC केन्द्र के लिए ऐसे स्थान का चयन हो जहाँ ACK असंतुलित बच्चों की उपलब्धता हो। 2. ब्लॉक मुख्यालय से नजदीक हो। 3. प्रारंभिक स्थिति में कोई खाली पड़े भवन/घर का उपयोग। 4. स्वतंत्र एवं एकांत माहौल में हो। 5. लगभग 35–40 बच्चों के लिए एक केन्द्र की व्यवस्था हो।. 6. एक से अधिक केन्द्र होने पर एक ही जगह/ज्यादा नजदीक न हो। दो केन्द्रों के मध्य पर्याप्त अंतर हो। 7. शहर/कस्बा/गाँव के भीड़ वाले जगह में केन्द्र का संचालन ना हो।
2. परिवेश का चयन	1. केन्द्र का भवन व परिवेश साफ, स्वच्छ व आकर्षक हो। 2. केन्द्र की दीवारों पर आकर्षक, सरल, एवं शिक्षाप्रद लेख व चित्रकारी हो। 3. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सुविधा हो। 4. बच्चों के आवास और पढ़ने का कक्ष अलग–अलग हो। 5. केन्द्र में दीवाल आदि पर शैक्षणिक/व्यवहार/संस्कार की जानकारी, चित्र/वाक्य के रूप में उल्लेखित हो। 6. केन्द्र के आस–पास असामाजिक तत्वों की उपस्थिति ना हो।
3. सामाजिक वातावरण	1. केन्द्र के समीप समुदाय का भरपुर सहयोग हो। 2. काम काजी पालाकों का केन्द्र में बच्चों के जीवन कौशल हेतु मार्गदर्शन प्राप्त हो।
4. मुख्य शाला	1. केन्द्र के आस–पास प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला की व्यवस्था हो जहाँ समय–समय पर बच्चों को शाला में ले जाया जा सके। 2. प्राथमिक/माध्यमिक शाला की दूरी 1 किलो मीटर से अधिक ना हो।

5. संसाधन के आधार पर	1. केन्द्र का चयन ऐसे स्थान पर SRTC हो जहाँ संसाधनों की उपलब्धता हो। 2. आवागमन का साधन हो। 3. बिजली एवं पानी की पर्याप्त सुविधा हो।
6. व्यावसायिक शिक्षा	1. केन्द्र में बच्चों के जीवन कौंशल से संबंधित व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था हो जैसे – मोटर मैकेनिक, कम्प्युटर का ज्ञान, संगीत कला, चित्र कारिता आदि। 2. केन्द्र में विभिन्न रोजगार मूलक, हस्तकौंशल, इत्यादि कार्यों की विस्तृतसूची का बच्चों के व्यक्तित्व में विकास एवं सृजनात्मक गतिविधियों से संबंधित सहायक शिक्षण सामग्री की उपलब्धता हा
7. अनुभवी शिक्षक	1. SRTC ऐसे स्थान पर हो जहाँ विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता हो और जो समयानुकुल SRTC में आकर अपनी सेवाएं दे। 2. अनुदेशकों को आने वाली समस्याओं का समाधान करें। 3. अनुदेशक बच्चों से मित्रवत् व्यवहार करें 4. बच्चों को भावनात्मक सपोर्ट करें। 5. बच्चों को सुरक्षा का अहसास प्रदान करना

'' हम मंजिलों की बातें मंजिलों पर करेंगे,
अभी तो हमें चट्टानों में रास्ता बनाना है।
जिंदा रहना है तो कारवाँ बनाना है,
जमी की बस्तियों में आसमाँ बनाना है।''

नोट :

1. बच्चों के चिन्हांकन के दौरान अलग–अलग परिस्थितियों के अनुरूप SRTC की व्यवस्था स्वविवेक से की जा सकती है।
2. राज्य, जिला, विकासखण्ड या विभिन्न स्तरों के अधिकारियों का भी समय–समय पर SRTC का अवलोकन किया जाता है।
3. अवलोकन के दौरान केन्द्र प्रभारी, अनुदेशक व बच्चों की उपलब्धियों व समस्या को पहचान कर उचित प्रोत्साहन व समाधान अवश्य दें।

कार्ययोजना

SRTC के चिन्हांकन हेतु आपकी कार्ययोजना है :–

000000

> '' हे वीर हृदय! भारत माँ की युवा संतानों! तुम यह विश्वास रखो कि अनेक महान कार्य करने के लिए ही तुम लोगों की जन्म हुआ है। किसी के भी धमकाने से न डरो, यहाँ तक कि आकाश से प्रबल बज्रपात हो तो भी न डरो। उठा! कमर कसकर खड़े हो और कार्यरत हो जाओ।''
>
> "BE AND MAKE"
>
> • स्वामी विवेकानंद

7 अनुदेशक का चिन्हांकन

अनुदेशकों के चिह्नांकन के समय किन–किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

SRTC के लिए केवल पाठ्यक्रम का निर्धारण कर सामग्री निर्माण एवं उनका वितरण कर देने से शाला से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा नहीं जा सकता, इसके लिए आवश्यक है कि, उन सामग्रियों का समुचित उपयोग हो और उनके समुचित उपयोग के लिए आवश्यक है, योग्य एवं समर्पित अनुदेशकों का चिह्नांकन हो। अतः अनुदेशकों का चिह्नांकन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा।

1. शैक्षणिक योग्यता – अनुदेशक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल सर्टिफिकेट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।
2. निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाले अनुदेशक के न मिलने की स्थिति में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है।
3. पूर्व अनुभव – ऐसे व्यक्ति जिन्हें आर.बी.सी., एन.आर.बी.सी., नाईट सेंटर अनौपचारिकता शिक्षण केन्द्र एवं संपूर्ण साक्षरता अभियान जैसी अन्य योजनाओं में कार्य करने का अनुभव हो, उन्हें अनुदेशकों के चिह्नांकन के समय प्राथमिकता दी जाए।
4. माइक्रो प्लानिंग का अनुभव – ऐसे व्यक्ति जिनको पूर्व में आयोजित सामुदायिक सहभागिता के तहत माइक्रो प्लानिंग कार्य में शिक्षण स्वयं सेवक, कैटोलिक टीम के रूप में कार्य करने का अनुभव हो तो उन्हें प्राथमिकता दी जाए।
5. अनुदेशकों की स्थानीयता – अनुदेशकों का चिह्नांकन करते समय यह ध्यान रखा जाए कि वह स्थानीय क्षेत्र का निवासी हो, स्थानीय भाषा एवं बोली का पर्याप्त ज्ञान हो, उनका चिह्नांकन।

.6 अन्य भाषा का ज्ञान– SRTC केन्द्रों में ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं, जो अन्य किसी राज्य से विस्थापित हो अथवा पलायन करके आए हों। उनकी मातृभाषा भिन्न होगी। ऐसी परिस्थितियों में उन बच्चों की मातृभाषा के जानकार व्यक्ति का चिह्नांकन अनुदेशक के रूप में किया जाए।

7. कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी – अनुदेशकों का चिह्नांकन करते समय इस बात पर ध्यान रखा जाए कि ऐसे व्यक्ति जो कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता हो, स्थानीय लोकनृत्य, लोकगीत एवं लोक संस्कृति की जानकारी रखता हो, उसे प्राथमिकता दी जाए।

8. व्यावसायिक कौशलों का ज्ञान – ऐसे व्यक्ति जिसे स्थानीय स्तर के व्यवसाय एवं कौशलों की पर्याप्त जानकारी हो, जिसके माध्यम से वह बच्चों में अंतरनिहित उक्त व्यावसायिक कौशलों का विकास कर सकें, उसे प्राथमिकता दी जाए।

9. खेलकूद एवं व्यायाम – खेलकूद में विभिन्न स्तरों पर प्राप्त अनुभवों का प्रमाण–पत्रों पर अनुदेशकों के चिह्नांकन में प्राथमिकता दी जाए।

10. बाल मनोविज्ञान की समझ– अनुदेशकों का चिह्नांकन करते समय बाल मनोविज्ञान के प्रमाण–पत्र को ध्यान में रखा जाए। प्रमाण–पत्र के अभाव में प्रतिभागियों से ऐसी गतिविधियाँ करायी जाए, जिनसे बाल मनोविज्ञान की समझ के स्तर का पता चलता हो।

11. सामुदायिक कार्यों में अनुभव – ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सामुदायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभायी हो अथवा वर्तमान में जुड़े हों, शैक्षणिक संस्थाओं में संचालित योजनाओं जैसे– स्काउट एवं गाइड्स, एन.एस.एस., एन.सी.सी. रेडक्रास आदि क्रियाकलापों में अथवा एन.जी.ओ. के रूप में कार्य कर चुका हो, चिह्नांकन के समय प्राथमिकता दी जाए।

12. आयु सीमा – अनुदेशकों का चिह्नांकन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि अनुदेशकों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच हो को प्राथमिकता दी जाए।

13 अनुदेशकों का चिह्नांकन करते समय सतत् शिक्षा कार्यक्रम (साक्षर भारत अभियान) के अनुदेशकों सेवा निवृत्त शिक्षकों, भूतपूर्व सैनिकों आदि को आवश्यकतानुसार प्राथमिकता दी जा जावें।

00000

'' अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएँ।''

8 SRTC के लिए अनुदेशकों को प्रशिक्षण

उद्देश्य –

1. अधिकारियों को अनुदेशक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं से परिचित कराना।
2. केन्द्र के सफल संचालन हेतु अधिकारियों के द्वारा अनुदेशक प्रशिक्षण पर अधिक जोर देना।
3. S.R.T.C में गुणवत्ता युक्त अध्ययन हेतु विषयगत प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना।
4. अनुदेशक प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों को संवेदनशील एवं क्रियाशील बनाए रखना।

विधि – समूह चर्चा –

सभी अधिकारियों को समूह चर्चा के लिए समूह में विभक्त करना।

समूह चर्चा के लिए शीर्षक –

समूह चर्चा के लिए शीर्षक निम्नलिखित हैं –

1. क्या अनुदेशकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यदि हाँ तो क्यों? और यदि नहीं तो क्यों?
2. अनुदेशकों का प्रशिक्षण किन–किन बिन्दु पर हो?
3. अनुदेशकों के प्रशिक्षण पूर्व क्या–क्या तैयारियाँ हो?
4. प्रशिक्षण को गुणवत्ता युक्त बनाने हेतु कौन–कौन सी गतिविधियाँ होनी चाहिए?
5. प्रशिक्षण के तुरंत पश्चात् संचालन एवं बच्चों के शिक्षण के लिए किस तरह की रणनीति हो?

संभावित उत्तरः–

समूह–1

हाँ, क्योंकि

1. अनुदेशकों को अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक बनाने के लिए।
2. शिक्षण कार्य से जोड़ने के लिए।
3. S.R.T.C के कुशल प्रबंधन एवं संचालन के लिए।

4. अनुदेशकों के अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए।

समूह–2

1. बच्चों के चिन्हांकन की प्रक्रिया पर।
2. शिक्षण प्रक्रिया पर।
3. प्रबंधन पर।
4. बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए।

समूह–3

1. प्रशिक्षण कक्ष, आदेश/निर्देश उचित समय में अनुदेशकों को जानकारी देना।
2. सामग्री– स्टेशनरी, संदर्शिका, किट।
3. आवासीय व्यवस्था।
4. प्रायोगिक कार्य के लिए परिवहन व्यवस्था।
5. प्रशिक्षक एस. आर.जी तैयार करना

समूह–4

1. सभी लोगों की भागीदारी हो।
2. प्रशिक्षार्थी पूरे समय कक्ष में हो।
3. प्रशिक्षार्थी की भागीदारी हो।
4. प्रशिक्षार्थी को अपना विचार रखने का मौका दें।
5. प्रशिक्षार्थियों के कठिनाइयों का चिन्हांकन का समाधान करें।
6. व्यक्तित्व विकास पर भी चर्चा की जाए।
7. विभिन्न रोज की गतिविधियाँ कराई जाए।

जैसे–1 खेल विधि।

2. प्रश्न विधि।
3. एकांकी विधि, कहानी विधि।
4. समय सारणी का उचित उपयोग हो।
5. प्रतिदिन प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद प्रशिक्षणार्थियों की समीक्षा।

समूह–5

1. कक्षा शुरू करने हेतु सर्पोट।
2. निरंतर मॉनिटरिंग।
3. समीक्षा बैठक।
4. लगातार उन्मुखीकरण।

अनुदेशक प्रशिक्षण की आवश्यकता

1. ''आयु के अनुरूप कक्षा एवं कक्षा के अनुरूप शिक्षा जैसी– व्यवस्था से अलग बच्चों की वस्तुस्थिति को जानना, समझना व कार्य करना'' इस हेतु अनुदेशक को तैयार करना।
2. चूँकि अनुदेशक विशेष रूप से अनुभवी नहीं होंगे, इसलिए उन्हें अध्यापन परिवेश से जोड़ना।
3. SRTC एक आवासीय व्यवस्था होगी। शासकीय शालाओं की व्यवस्था, शिक्षक व बच्चों की स्थिति में यहाँ चुनौतीपूर्ण माहौल होगा, ऐसी परिस्थिति में कार्य करने हेतु सक्षम बनाना।
4. SRTC में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के संवेदनशील बच्चे होंगे, जिनमें एक साथ समन्वय बिठाना महत्वपूर्ण है – इस हेतु तैयार करना।
5. पालक, समुदाय व स्कूली शिक्षक के संपर्क में रहकर SRTC के बच्चों को ACK के अनुरूप बनाने में सक्षम करना।

प्रशिक्षण की रणनीति :

1. 15/20 ACK बच्चों के लिए 1 अनुदेशक का चयन।
2. चयन में प्राथमिकता ऐसे व्यक्ति को दें जो स्वयं 15/20 ACk असंतुलित बच्चों की तलाश कर SRTC में प्रवेशित कराएँ।
   - अ. ऐसे युवक/युवती जो न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण हो।
   - ब. जिनकी शैक्षणिक कार्य में रुचि हो।
   - स. समाज को नई दिशा देने का जज्बा/समन्वयवादी, उत्साही, आशावादी और सूझबूझ वाले हो।
3. अनुदेशकों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्धारिण।

4. प्रशिक्षण के प्रबंधकीय कार्य हेतु जिम्मेदारी सौंपना।

5. प्रशिक्षक एवं उनके संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्धारण।

6. आवास, भोजन, प्रशिक्षण सामग्री एवं किट की।

7. अवलोकन व प्रायोगिक कार्य हेतु MGML शाला व SRTC का चयन।

8. MGML शाला व SRTC तक लाने, ले जाने हेतु वाहन की व्यवस्था।

9. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण की गुणवत्ता व विभिन्न पहलुओं के अवलोकन हेतु मॉनीटरिंग टीम का गठन।

10. प्रशिक्षण के अंतिम दिवस अनुदेशकों के सीखने के लिए अपेक्षित उद्देश्य की समीक्षा।

11. प्रशिक्षण की सफलता एवं कठिनाईयों की रिपोर्टिंग।

0000

'' यह विश्वास करो कि तुम परिवर्तन कर सकते हो और
तुम परिवर्तन कर लोगे। ''

•

'' हम दरिया है, हमारे पास भी हुनर है, कि जिस ओर
भी चल पड़ेंगे, रास्ता हो जाएगा।

---

9 प्रेरक की भूमिका

उद्देश्य –

- SRTC / पालक / बालक / समुदाय के बीच सेतु के रूप में।
- अधिकारियों का अनिवार्य रूप से लिंक वर्कर चयन हेतु प्रोत्साहित करना।
- अधिकारियों को SRTC में लिंक वर्कर की भूमिका से अवगत कराना।
- लिंक वर्कर का अधिकारियों के साथ सीधा संपर्क।

प्रेरक चयन करते समय ध्यान देने योग्य बिन्दु :–

1. निरंतर Monitoring कर सकें
2. अच्छा समन्वयकर्ता हो
3. अभिव्यक्ति क्षमता सशक्त हो
4. अनुशासन प्रिय हो।
5. साहसी एवं ईमानदार हो।

प्रेरक की भूमिका

- ACK असंतुलित बच्चे का चिह्नांकन कर SRTC में नामांकित करना।
- ACK असंतुलित बच्चों के विषय में समुदाय को जानकारी देना व चर्चा करना
- ACK असंतुलित बच्चों की प्राथमिक समस्याओं को चिन्हित कर उसका निराकरण करना।
- बच्चों को पारिवारिक वातावरण देकर आत्मविश्वास बढ़ाना।
- SRTC के समीपस्थ विद्यालय से संपर्क स्थापित कर ACK अंसतुलित बच्चों को विद्यालय से जोड़ना।
- SRTC की व्यवस्था एवं संचालन में सहयोग करना।
- व्यावसायिक क्षेत्र में कार्य करने वाले जैसे – बढ़ई, लोहार, कुम्हार, किसान आदि को केन्द्र एवं बच्चों से संबंध स्थापित करना।
- SRTC के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके बच्चों का सतत् संपर्क बनाए रखना।
- स्थानीय स्रोत व्यक्तियों को आमंत्रित कर शिक्षण कार्य में सहायता लेना।

- शाला में बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्री, अभिनय आदि का प्रदर्शन कर, इस प्रदर्शन के समय माता–पिता और समुदाय के व्यक्तियों को आमंत्रित करना।
- SRTC में हो रहे अच्छे कार्यों को समाज को बताना।
- SRTC केन्द्र से संतुलित बच्चों को शाला तक वापस भेजना।

SRTC समुदाय और शाला के मध्य अच्छे संबंध बनाने के लिए सेतु के रूप में कार्य करना।

00000

'' जब कोई मिशन प्रगति पर हो तो कुछ न कुछ समस्याएँ अथवा असफलताएँ सामने आएंगी ही किंतु असफलताओं के कारण कार्यक्रम बाधित नहीं होना चाहिए। नेता को उस समस्या पर नियंत्रण रखना होता है, उसका अंत करना होता है तथा सफलता की दिशा में टीम का नेतृत्व करना होता है। ''

10 SRTC का प्रबंधन

उद्देश्य :–

1. SRTC प्रबंधन के महत्व को जानना।
2. SRTC में शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।
3. SRTC में प्रबंधन को निरन्तर बनाए रखने की समझ विकसित करना।
4. SRTC बच्चों के ठहराव हेतु सशक्त प्रबंधन की व्यवस्था करना।

आवश्यक सामग्री :– कोरा कागज, ड्राइंगशीट, मार्कर, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, चॉक आदि।

गतिविधि :–

1. प्रशिक्षक प्रतिभागियों का ग्रुप विभाजन करेंगे। प्रत्येक ग्रुप में कम से कम 6 प्रतिभागी होगें।
2. नीचे लिखे बिन्दुओं की पर्ची प्रत्येक समूह को एक–एक निकालने कहेंगे।
   - A. आप अपने नए घर–परिवार की सुव्यवस्थित संचालन के लिए क्या–क्या करेंगे?
   - B. SRTC संचालित होने वाले स्थान में क्या–क्या सुविधाएँ होनी चाहिए?
   - C. SRTC के सफल संचालन में किन–किन व्यक्तियों, संस्थाओं की आवश्यकता होगी?
   - D. SRTC में आवास भोजन के साथ किन–किन गतिविधियों को संचालित करने की आवश्यकता है?
   - E. SRTC में बच्चे कब पूरे मन के साथ ठहरेंगे?
3. प्रतिभागी समूह में चर्चा कर ड्राइंगशीट में लिखेंगे।
4. प्रतिभागियों द्वारा कक्ष में समूहवार प्रस्तुतीकरण किया जावेगा।
5. मुख्य बिन्दुओं को प्रशिक्षक बोर्ड में लिखते जायेंगे।

प्रशिक्षक कहेंगे कि, आइये अब हम SRTC के प्रबंधन के संबंध में आगे चर्चा करते हैं –

4. बच्चों का गणवेश साफ सुथरा हो।

5. सिलाई, मशीन, सुईधागा, बटन आदि का व्यवस्था ताकि कटे–फटे कपड़े की सिलाई हो सके।

विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र का बाहरी वातावरण

1. केन्द्र परिसर एवं भवन स्वच्छ एवं आकर्षक हो। केन्द्र वृक्षारोपण की दीवारों पर आकर्षक एवं शिक्षाप्रद चित्रकारी हो।

2. केन्द्र परिसर में वातावरण को स्वच्छ रखने हेतु वृक्षारोपण एवं फूलदार पौधे का रोपण किया जाए।

3. पौधों को सुरक्षित रखने हेतु बच्चों को प्रेरित करते हुए कार्य विभाजन किया जाये।

4. केन्द्र परिसर एवं भवन को स्वच्छ एंव आकर्षक बनाने हेतु सामुदायिक सहभागिता लिया जाये।

केन्द्र के कक्षों की स्थिति

1. कम से कम दो अध्ययन कक्ष होना चाहिए। जिसमें बच्चों के बैठने हेतु कुर्सी, टेबल, चटाई की व्यवस्था हो।

2. कक्षा की प्रतिदिन सफाई हो।

3. कक्षा हवादार एवं प्रकाशयुक्त हो।

4. कक्षा शिक्षकों एवं बच्चों के आपसी सहयोग से सजी हुई हो।

5. प्रत्येक कक्ष का नामकरण हो (एकलव्य, विवेकानंद आदि.....)

6. कक्षा के बाहर पैरदान रखा हो।

7. कमरे में डस्टबीन को उपलब्धता हो।

8. कक्षा के बाहर जूता रखने का व्यवस्थित एवं उचित प्रबंध हो।

9. कक्षा में आवश्यक सामग्री रखने हेतु आलमारी एवं रैक की व्यवस्था हो।

10. छात्रों की बैठक व्यवस्था परिवर्तनशील हो।

11. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उचित व्यवस्था हो।

12. कक्षा में साऊण्ड बॉक्स लगा हो जिसमें शैक्षिक गतिविधि कम्प्यूटर के माध्यम से जुड़ा हुआ हो।

13. अध्ययन कक्ष में दीवारों पर आमने सामने दो श्यामपट की व्यवस्था हो। श्यामपट का आकार 6/4 फीट का हो।

14. कक्षा में दर्पण, कंघी, नेलकटर एवं नेपकीन रखा हो।

15. कक्षा में शिक्षक व बच्चों द्वारा बनाये गये एवं प्रिंटेड शैक्षिक चार्ट लगा हो।

16. कक्षा के छत (सिलिंग) पर शैक्षिक चित्रकारी जैसे – सौर मण्डल एवं आकाशीय घटनाओं से संबंधित हो, जिसमे रेडियम का उपयोग हो।

17. कक्षा के दीवारों का उपयोग शैक्षिक रूप से हो जैसे – कहानियाँ, कविता, पर्यावरण से संबंधित चित्र, बाहरी दीवार पर समय विभाग चक्र, आवश्यक जानकारी के चार्ट टंगे हों।

18. कक्षा में रनिंग बोर्ड MGML के अनुरूप हो।

19. कक्षा में वालपेपर का प्रकाशन नियमित रूप से हो।

20. कक्षा में बच्चों का उपस्थिति पत्रक लगा हो।

21. कक्षा में बच्चों के बैठने के साथ सहायक सामग्री उपलब्ध हो।

22. कक्षा का फर्श टूटे–फूटे न हो। दीवार डिस्टेम्पर से पुताई किया हुआ हो।

23. कक्षा के दरवाजे का उपयोग गणितीय कोण के लिए हो।

24. कक्षा में प्रोजेक्टर हो।

25. अध्ययन कक्ष में बस्ता ले जाने की आवश्यकता नहीं हो।

26. पाठ्य सामग्री व्यवस्थित हो।

27. MGML सृजन कक्ष का निर्माण रैक, ट्रै, चटाई, लेडर समूह थाली व्यवस्थित एवं यथोचित स्थान पर लगी हो।

28. SRTC में लाइब्रेरी हो, जहाँ बच्चे स्व–अध्ययन कर सकें।

केन्द्र के अभिलेखों का रखरखाव एवं संधारण की स्थिति :

(1) समस्त प्रकार के अभिलेखों का नियमित रूप से संधारण हो।

(2) समस्त अभिलेखों के संधारण हेतु जिम्मेदारी तय हो।

(3) भोजन संबंधी अभिलेख का भी संधारण नियमित रूप से हो।

(4) केन्द्र में उपस्थिति पंजी, स्वास्थ्य पंजी, परीक्षा पंजी, निरीक्षण पंजी, आवक–जावक पंजी, वित्तीय पंजी, भ्रमण पंजी, आगंतुक पंजी, दानदाता पंजी, पाठकान पंजी,

कार्यक्रम पंजी, बैठक कार्यवाही पंजी, स्टॉक पंजी अनिवार्य रूप से हो।

पेय जल एवं शौचालय :

1. केन्द्र में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था एवं उसके सुव्यवस्थित देखरेख की स्थिति।
2. शौचालय की सुविधा बालक व बालिका हेतु अलग–अलग हो।
3. पेयजल एवं शौचालय की साफ–सफाई एवं सुरक्षा के लिए कर्त्तव्य निर्धारण हेतु बच्चों की समितियों का निर्माण कर किया जाना चाहिए।
4. शौचालय के बाहर दर्पण, वॉश बेसिन, साबुन, तौलिया की व्यवस्था हो।
5. शौचालय में टाईल्स लगा हुआ हो।

शैक्षिक प्रबंधन :

1. प्रक्रियाओं से कार्डों के द्वारा पढ़ाई की जावेगी।
2. विषय शिक्षक हेतु केन्द्र में आउट सोर्सींग की जाए।
3. पुस्तकालय निर्माण बच्चों के रूचि, स्तर, के अनुसार पुस्तकों का संकलन बच्चों के द्वारा स्वमेव संचालन किया जाए तथा पुस्तकालय का संचालन भी बच्चों द्वारा की जाए।
4. पुस्तक वाचन हेतु निश्चित समय निर्धारण किया जाए।

किचन शेड की साफ–सफाई मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था :

1. केन्द्र में किचन शेड धुंआ रहित हो।
2. सभी खाद्य सामग्री डिब्बों में बंद कर रखे गए हों।
3. सामान हेतु रैक बना हो।
4. किचन में डस्टबीन हो।
5. किचन में बर्तन धोने हेतु साफ जगह हो।
6. हाथ धोने एवं पानी भरने के लिए दो नल की व्यवस्था हो। स्वच्छ बर्तन में खाना परोसा जाता हो, खाना खाने का स्थान भी स्चच्छ हो।

कक्षा के बच्चों का स्वास्थ्यगत प्रबंधन एवं जागरूकता :

1. बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की जाँच अनुदेशकों/शिक्षकों के द्वारा समय–समय पर की जाती हो।

2. कम–से–कम तीन महीनों में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर/कार्यकर्त्ता द्वारा किया जावे।

3. बच्चों का हेल्थ चेक अप कार्ड बना हुआ हो एवं नियमित रूप से संधारित हो।

4. वजन मापक यंत्र एवं ऊंचाई मापक यंत्र की व्यवस्था हो।

5. तापमान यंत्र की व्यवस्था हो।

6. First Aids Box की व्यवस्था हो।

7. केन्द्र में कंघी, दर्पण, नेलकटर, तौलिया की व्यवस्था हो।

8. डंडेदार लोटे की व्यवस्था हो।

कक्षागत अन्य गतिविधियाँ :

1. केन्द्र में पाठ्य सहगामी गतिविधियों आयोजित होती हों, जिसमें सभी बच्चे भाग लेते हों।

2. छात्रों को अपना व्यक्तिगत हुनर को प्रदर्शन करने का एवं इसे संवारने के अवसर केन्द्र में मिलता हो।

3. विभिन्न महापुरूषों की जयंतियाँ मनाई जाती हों।

4. सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद–विवाद, प्रश्नोत्तरी/अंताक्षरी एवं चित्रकला का आयोजन करना।

5. नाचा, खेलकूद, योगा, व्यायाम नियमित हो।

6. साहित्यिक गतिविधि का आयोजन हो।

7. प्रत्येक केन्द्र में एक संगीत शिक्षक आऊट सोर्सिंग से की जावे।

आप अपने SRTC के सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करें :

0000

11 SRTC केन्द्र में बच्चों का ठहराव

उद्देश्य :

1. ठहराव के लिए संवेदनशील बनाना।
2. बच्चों का ठहराव कैसे हो। उनके विभिन्न पहलुओं का एहसास कराना।
3 उन बच्चों के ठहराव के लिए नये पहलुओं की तलाश करना।

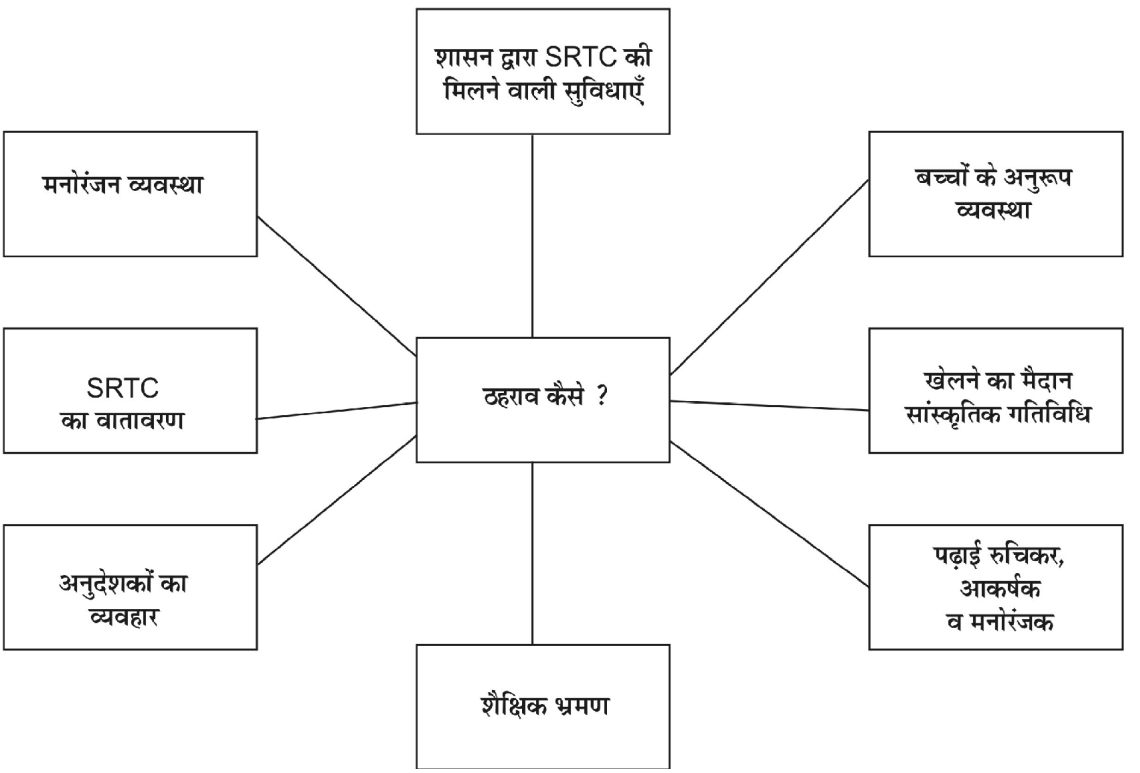

SRTC में बच्चों का ठहराव कैसे हो ?

1. बच्चों के अनुरूप व्यवस्था–

   SRTC में बच्चों के लिए पौष्टिक एवं संतुलित भोजन की व्यवस्था हो, जिससे बच्चे कुपोंषण का शिकार ना हो।

2. उचित मनोरंजन के साधन :

   बच्चों के मनोरंजन के लिए एवं उनके मन को स्फूर्ति प्रदान करने के लिए गतिविधियाँ करायी जाए। इसके लिए उचित संसाधन उपलब्ध हो जैसे– टी.वी म्यूजिक प्लेयर खिलौना आदि।

3. खेलने का मैदान :

SRTC में बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त स्थान हो। जहाँ बच्चे अपने मन पसंद खेलों एवं गतिविधियों को कर सके।

4. अनुदेशकों का व्यवहार :

अनुदेशकों का बच्चों के साथ मित्रवत् व्यवहार हो। अनुदेशक उन बच्चों के साथ स्नेह व प्रेम पूर्ण व्यवहार करे। उन्हें उनके अनुरूप समान व्यवहार एवं घर जैसे माहौल दें।

5. SRTC का वातावरण :

बच्चों को भय मुक्त वातावरण, उचित देखरेख का वातावरण दिया जाए। जिससे बच्चों को वहाँ का वातावरण आकर्षक लगे और बच्चों को वहाँ रूकने का मन करे।

6. पढ़ाई रूचिकर, आकर्षक व मनोरंजक हो :

बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी रूचि, क्षमता, स्तर गति के अनुरूप मनोरंजनात्मक गतिविधियाँ हो। पाठ्य सामग्री आकर्षक हो।

7. शासन द्वारा SRTC को मिलने वाली सुविधाएँ :

शासन द्वारा SRTC को कई सुविधाएं प्राप्त होती है। उनका वितरण सभी केन्द्रों में समय पर हो।

8. सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियां :

प्रत्येक SRTC में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों जैसे–भाषण, गीत, नृत्य, नाटक, अभिनय आदि के लिए एक निश्चित समय सुनिश्चित हो।

9. अध्ययन की कक्षाएँ आवासीय परिसर के बाहर हो। विभिन्न SRTC में बच्चों से बात करने पर यह बात सामने आई है कि बच्चे अपने आवासीय परिसर के अंदर पढ़ना पसंद नहीं करते बल्कि वे बाहर स्कूल भवन में पढ़ने जाना चाहते हैं।

10. शैक्षिक भ्रमण :

SRTC के सभी बच्चों को एक निश्चित समय के अंतराल में शैक्षणिक भ्रमण के लिए आस पास के किसी पर्यटन स्थल का भ्रमण अवश्य कराया जाये।

SRTC के बच्चों की कुछ कहानियाँ

1. सफलता की कहानी

तानी विश्वकर्मा, सेमरबँधा उम्र 4 वर्ष, दिसंबर 2010 में मेरे गाँव के SRTC लाई गई। पिता की मृत्यु के बाद माता ने दूसरा विवाह कर लिया। चार भाई–बहनों में बड़ा भाई काम करने के लिए अलग जगह चला गया। बड़ी दीदी की शादी हो गई। तानी दीदी के साथ आकर रहने लगी और उसकी छोटी बच्ची की देखभाल करने लगी। दोनों भाईयों को स्कूल में दाखिला तक नहीं दिलाया गया था। तानी तीसरी कक्षा तक पढ़ी थी। तीनों को मेरे गांव (गाँव का नाम) के SRTC में लाया गया। जहां से दोनों भाइयों (दीपक और गोपी) को माल डोंगरी के SRTC में भेज दिया गया। यहां तानी की शरारतें शुरू हो गई। जैसे – अन्य बच्चों को मारना, भोजन नहीं खाना, हठ करना आदि।

लेकिन अधिकारियों के सतत् मार्गदर्शन से यहाँ के अनुदेशकों की मेहनत और लगन से वर्तमान में यह बच्ची सामान्य बच्चों की तरह सीख रही है, और बहुत ही खुश है।

2.सफलता की कहानी

लीलिमा वारगुन्ज ग्राम की रहने वाली है। पहले उसके पिताजी रायगढ़ में पढ़ाते थे। परन्तु घर की आर्थिक स्थितियों के कारण उसकी शिक्षा अधूरी रह गई। फिर उसके पिताजी ने SRTC के विषय में सुना और उसे राजकट्टा के SRTC में भेजा।

आज लीलिमा खुश है, वह की व्यवस्था में बहुत अच्छी तरह से सहयोग करती है। सभी बच्चों के साथ मिलकर खुशी से रहती है।

यदि रायगढ़ जिले में रहने वाली लीलिमा को राजनांदगांव अन्तगर्त` राजकट्टा गांव के SRTC केन्द्र । जब इतनी दूर से बच्चे को ला कर उनका भविष्य सुधारा जा सकता है, तो हमारे जिले में क्यों नहीं?

केस स्टडी

सोहन एक ऐसा बालक था। जो रेलवे स्टेशन में रहकर कार्य करता व वही अपना भरण–पोषण करता था। एक दुर्घटना में उनके माता–पिता तथा भाई की मृत्यु हो गई तथा सोहन को भी चोट आई थी, पर अब वह ठीक हो गया है ,उसे आगे नाथ न पिछे पगहा है। वह 11 वर्ष का है और अपने अनुसार कार्य करता है। उससे बातचीत कर

SRTC केन्द्र में लाया गया। उसके लिए सारी व्यवस्थाएँ की गई। कुछ समय SRTC में रहने के बाद वह पुनः स्टेशन में चला गया, क्योकि उसे नशा करने की आदत थी। वह इन कार्यों का आदि हो चुका था। SRTC में रह कर वह घुटन महसूस करता था।

अनुदेशकों ने उसका पता लगाया कि वह कहाँ है ? वह किस होटल में काम कर रहा है। उसको SRTC में लाने का प्रयास किया गया परन्तु वह अब यहाँ नही आना चाहता। क्यों ?

ऐसे बच्चों को पुनः SRTC में लाने के लिये और कौन से कदम उठाये जा सकते है ?

000

'' शिक्षक देश की रीढ़ होते हैं, वे ऐसे स्तंभ होते हैं, जिसके ढाल पर सभी प्रकार की आकांक्षाएँ साकार होती है।''

•

'' सात साल के के लिए कोई बच्चा मेरी निगरानी में रह जाए, फिर भगवान हो या शैतान, कोई भी उसे नहीं बदल सकता।''

–यूनानी शिक्षक वेस्टोलॉजी

'' हमें सतत् बौद्धिक निष्ठा एवं सार्वभौम कारूण की खोज में रहना चाहिए। ये दो गुण किसी सच्चे शिक्षक की पहचान है।''

– डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

12 MGML

वर्तमान शिक्षण प्रक्रिया कैसी ?

प्रक्रिया	साधन	मान्यताएँ
एक के बाद एक पाठ पढ़ाना।	पाठ्य पुस्तक	सभी बच्चे सीख जाएँगे।
पढ़ाए हुए पाठ पर फिर वापस नहीं आना।	शिक्षक	सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाएगा।
एक साल पढ़ाना। एक वर्ष बाद दूसरे वर्ग/कक्षा में कक्षोन्नति देना।	टी.एल.एम. शिक्षक निधि	

क्या ये मान्यताएँ सही हैं?

इस प्रक्रिया को स्वीकारते हुए शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 14 वर्षों से लगातार कई कार्य किये जा रहे हैं। जिसमें –

- पाठ्य पुस्तकों का विकास
- शिक्षक प्रशिक्षण
- शिक्षक निधि
- विविध शिक्षण सामग्री।
- अन्य अनेक नवाचारी गतिविधियाँ।

इतने प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज भी

- शत–प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।
- ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।
- सभी बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा नहीं दी जा सकी।

आइये इनके कारणों को जानें :–

- पूरी शिक्षण की प्रक्रिया या सिस्टम में कहीं न कहीं कमी है।
- शिक्षा में समुदाय के सहयोग का अभाव रहा।

- पूरी व्यवस्था में बच्चों की भिन्नता, उनकी विविधता और सीखने की गति का ध्यान ही नहीं रखा गया।
- सीखने में निर्भरता एवं एक ही स्त्रोत का उपयोग।

स्कूल और अच्छे शैक्षिक अभ्यासों की बाधाएँ : –

- ➢ स्कूल व्यवस्था में विशेष तरह की कठोरता, जो बदलाव में बड़ी बाधा है।
- ➢ सीखने को अलग गतिविधि के रूप में देखना। परिणामस्वरूप बच्चा अपने ज्ञान को व्यावहारिक जीवन से नहीं जोड़ पाता।
- ➢ शिक्षण की व्यवस्था ही ऐसी है कि बच्चों एवं शिक्षकों में रचनात्मक चिन्तन और अन्तर्दृष्टि समाप्त हो जाती है।
- ➢ सीखने–सिखाने की जो कुछ भी सामग्री है, ज्ञान रचने और मानवीय सामर्थ्य को स्थापित कर पाने में पूर्ण सक्षम नहीं है।
- ➢ बच्चे के भविष्य को महत्वपूर्ण मान लिया जाता है, जिससे उसका वर्तमान खत्म हो जाता है।

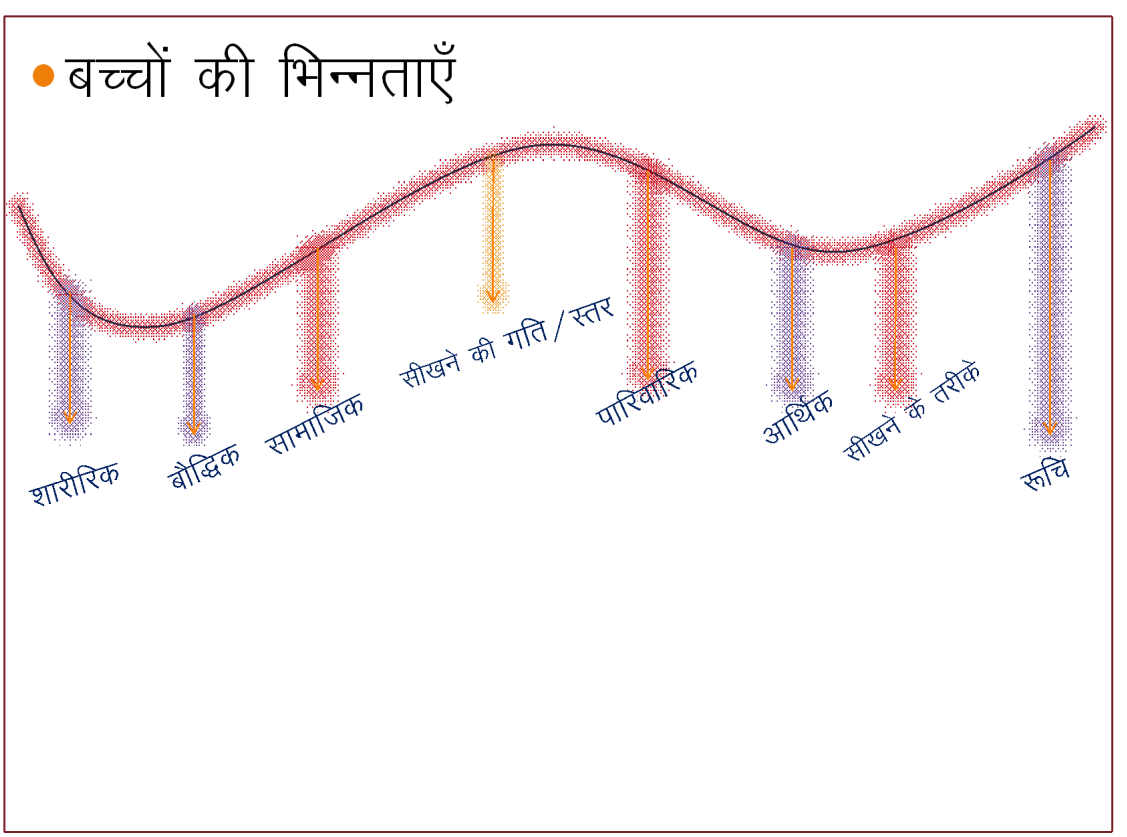

बच्चों की समानताएँ

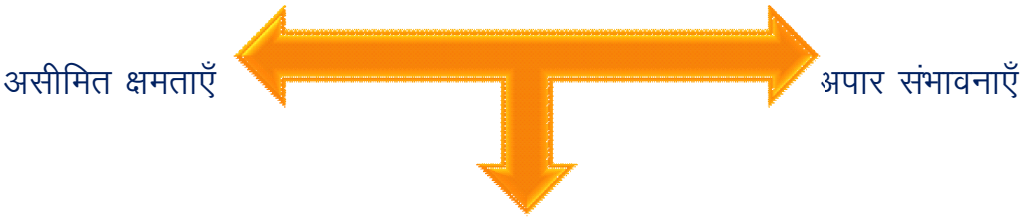

स्कूल के उद्देश्य

- जो भी बच्चा स्कूल के भीतर आए, अपेक्षित क्षमताएँ प्राप्त करके ही स्कूल से बाहर जाए।
- जहाँ बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हो।
- बिना किसी प्रतिस्पर्धा या तुलना के अपनी क्षमताओं के अनुरूप विकसित हो।
- कक्षा में प्रतियोगिता को स्थान दिया जाना।

प्रतियोगिता का अर्थ :–स्वयं में स्वयं के प्रति पूर्णता के लिए योग बराबर प्रतियोगिता

बच्चों के अधिकार

- सीखना हर बच्चे का अधिकार है।
- बच्चों को सीखने की अपनी गति के लिए सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है। बच्चों की विविधता का सम्मान हो।
- प्रत्येक बच्चे को समानता के साथ सीखने का अधिकार प्राप्त हो।
- शिक्षक ही ज्ञान का स्त्रोत नहीं है –सभी स्त्रोतों से सीखने का अधिकार और स्वयं सीखने की परिस्थितियाँ भी मिले।
- प्रत्येक बच्चे का हक है कि उसका प्रगतिकारक मूल्यांकन हो।
- 1825 दिन में प्रत्येक बच्चे को अच्छी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

MGML क्या है ?

- बच्चों की भिन्नताओं के अनुरूप सामग्री =
- लोक जीवन और शिक्षा का जुड़ाव =
- सीखने के तरीके एवं रूचि के अनुरूप =
- सभी बच्चों की सक्रिय और समान भागीदारी =
- बच्चों की समानताओं का विस्तार =
- सीखने के स्त्रोतों का विस्तार =
- बच्चों की गति के अनुरूप शिक्षण सामग्री =
- सीखने में निर्भरता से आत्मनिर्भरता और परस्पर निर्भरता =
- बच्चों की गति और स्तर के अनुरूप शिक्षण तकनीक =
- बच्चों की भिन्नताओं का शिक्षण प्रक्रिया से तालमेल =

M

G

M

L

सभी बच्चों को समान गुणवत्ता के साथ शिक्षण, राज्य की शैक्षिक आवश्यकता रही है। किसी कौशल को सीखने के लिए बच्चों में विविधता होती है, क्योंकि बच्चों के सीखने की गति अलग–अलग होती है, इसलिए एक ही समय में प्रत्येक बच्चे का स्तर अलग–अलग होता है। बच्चे सीखें इसके लिए जरूरी है कि उसके सीखने की गति का सम्मान किया जाए और उन्हें सीखने के पर्याप्त अवसर दिए जाएँ। साथ ही कक्षा में बालकेन्द्रित और आनंददायी शिक्षा भी आवश्यक है। जिसमें परीक्षा का भय न हो और न ही सीखने के समय का बंधन हो। बच्चे खेल–खेल में अपनी गति एवं स्तर के अनुरूप सीखें।

क्या कोई ऐसी कारगर प्रणाली है, जो उपर्युक्त बातों को पूरा करती हो ?

जी हाँ !

एम.जी.एम.एल. **ही आज की स्थिति में सबसे कारगर प्रणाली है।**

एम.जी.एम.एल.की अवधारणा –

बच्चा परिवेश के विभिन्न साधनों एवं स्रोतों से सीखता है। बच्चे की आवश्यकतानुसार उसके सीखने के स्तर और गति के अनुरुप सीखने के अवसर एवं साधन उपलब्ध करा

देना ही एम.जी.एम.एल. है। इसमें शिक्षक सुविधादाता की भूमिका निभाता है।

इस प्रणाली में बच्चों के स्तर का परीक्षण कर उनके स्तर के अनुसार पाठ्यसामग्री दी जाती है। प्रत्येक बच्चे को सीखने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। पुस्तक के स्थान पर कार्डों से शिक्षण होता है। बच्चों के बैठने हेतु विभिन्न समूह निर्धारित किए गए हैं।

इस प्रकार प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता, गति एवं स्तर के अनुसार गुणवत्तायुक्त शिक्षा लेकर ही आगे बढ़ता है। इस प्रणाली को निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है :–

गति :– प्रत्येक बच्चे की बुद्धिलब्धि, रुचियाँ, परिस्थितियाँ एवं इच्छाएँ भिन्न–भिन्न होती हैं, जिससे एक ही समय में हर बच्चे की विषय वस्तु को सीखने की क्षमता भी भिन्न–भिन्न होती है। सीखने की क्षमता एवं सीखने में लगने वाला समय ही सीखने की गति कहलाता है।

उदाहरण :– एक शिक्षक रमा, श्यामा, रज्जू को एक ही समय में जोड़ का अभ्यास सिखाते हैं। रमा बहुत तेजी से जोड़ सीखती है। श्यामा निर्धारित समय में सीखती है। रज्जू बहुत अधिक समय में सीखता है।

अर्थात् तीनों बच्चों के सीखने की गति अलग–अलग है।

स्तर :– स्तर से आशय अपेक्षित दक्षता को कुशलता पूर्वक प्राप्त करना है। सीखने की गति में भिन्नता के कारण बच्चों के स्तर में भी भिन्नता पाई जाती है।

उदाहरण :– रमा, श्यामा और रज्जू के सीखने की गति भिन्न–भिन्न है। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि –

– रमा को 2 अंकों का जोड़, हासिल सहित आता है।

– श्यामा को 2 अंकों का बिना हासिल वाला जोड़ आता है।

– रज्जू को 1 अंक का जोड़ आता है। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे का स्तर अलग–अलग है।

MGML के तत्व

बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण की अवधारणा के आधार पर सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु कुछ अलग–अलग कड़ियों के अध्ययन की आवश्यकता है। इस पद्धति में कुछ अलग–अलग तकनीकों एवं सामग्रियों को मिलाकर पूरी प्रणाली एवं शिक्षण प्रक्रिया स्पष्ट होती है। इन्हें MGML के तत्व कहते हैं।

1. माइलस्टोन : पाठ्यक्रम ही माईलस्टोन है।

माइलस्टोन कैसे बने?

1. पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को छोटे–छोटे कौशलों में विभक्त किया गया है।
2. सीखने के क्रम को ध्यान में रखकर प्रक्रिया को सहज, रोचक एवं क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया गया है।

माइलस्टोन क्यों?

1. माइलस्टोन में बच्चा एक उद्देश्य को पूरा करने के बाद ही दूसरे उद्देश्यों की ओर बढ़ता है।
2. उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिये विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है।
3. माइलस्टोन सरल से जटिल की ओर परिपक्वतापूर्ण बढ़ता है।
4. उद्देश्य छोटे–छोटे होते हैं, अतः यह रूचिकर होता है। बच्चे जल्दी सीखते हैं, परिणामस्वरूप आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
5. उद्देश्यों को माइलस्टोन में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, कि बच्चा स्पाइरल लर्निंग कर सके।
6. उपलब्धियों का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन करने में आसानी होती है।
7. तीव्र गति से सीखने वाले बच्चे के क्षेत्र विशेष की रूचि को पहचान कर अवसर प्रदान किया जाता है।
8. यदि कोई बच्चा उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उसकी कमजोरी को पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है।
9. बच्चा जब स्वयं सीखता है तब उस बच्चे के रचनात्मक चिंतन और उन उद्देश्यों के प्रति अन्तर्दृष्टि के साथ समझ विकसित होती है।

2. लोगो :–लोगो (Logo) प्रतीक हैं, जिनके आधार पर समूह व गतिविधियाँ बनाई गई

हैं। इससे कार्डों के रखरखाव में सुविधा होती है। विषयवार लोगो(Logo) रखे गए हैं, हिन्दी में – पशु, गणित में – पक्षी, पर्यावरण में– फल, एवं अंग्रेजी में– इलेक्ट्रॉनिक सामान ।

लोगो कैसे बने?

1. माइलस्टोन के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु गतिविधियों का निर्धारण किया गया।
2. विभिन्न गतिविधियों की पहचान, वर्गीकरण एवं कार्डों के रखरखाव के लिये लोगो बनाए गए।
3. यही लोगो लेडर में गतिविधि के क्रम और समूह की प्रकृति को भी निर्धारित करते हैं।

लोगो क्यों आवश्यक है?

1. लोगो से विषय एवं गतिविधि की जानकारी होती है।
2. एम.जी.एम.एल. की समस्त सामग्रियों के रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए।
3. लेडर में गतिविधियों को क्रमबद्ध रूप से जमाने के लिए।
4. समूह में बच्चों की बैठक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए।
5. बच्चों के लिये सामग्री को आकर्षक एवं रूचिकर बनाने के लिए।

विषय : हिन्दी

1 बैलगाड़ी– अवधारणा

2. तांगा–वर्कबुक

3 ट्रेक्टर– व्यवसायिक

4. वाईजहाज– मूल्यांकन

5. बस–उपचारात्मक

6. साइकिल–शब्दों से वर्ण पहचान

7 रेलगाड़ी – वर्ण जोड़कर शब्द बनाना।

8 कार – बिल्लस खेल

9. पानी जहाज – वर्ग पहेली / प्रथमाक्षरी

10. मोटर साइकिल – शब्द / वाक्य पट्टी

11. स्कूटर – पासा / खिड़की मात्रा कार्ड

12. रिक्शा – सामूहिक

13 ट्रक – सर्वे / संकलन / वर्गीकरण

विषय – गणित

1 पतंग– अवधारणा

2. झूला– बिल्लस / पास

8. रस्सीकूद– गुणा,भाग अभ्यास

9. गुब्बारा – वर्कबुक

3. हॉकी स्टीक– अभ्यास

4. फिरकी –कक्षा के अंदर का खेल

5 फिसलपट्टी– धन,ऋण अभ्यास

6. नेट– कक्षा के बाहर का खेल

7. गुलेल– तार्किक

10. बैट– व्यवसायिक

11. स्टम्प– मूल्यांकन

12. लट्टू– उपचारात्मक

13. फूटबॉल– सामूहिक खेल

विषय – अंग्रेजी

1. हारमोनियम–अवधारणा

2. नगाड़ा– वार्तालाप

3. ढोलक– चित्र शब्द कोष

4. तमूरा– संवाद एवं अभिनय

5. गिटार– बिल्ल्स/पासा खेल

6. बाँसुरी– व्यवसायिक

7. ड्रम– वर्कबुक

8. मोहरी–मूल्यांकन

9. डमरू– उपचारात्मक

10. तबला–अभ्यास

3. लेडर :

लेडर, लोगोवार आगे बढ़ते हुए माइलस्टोन पार करने का मार्ग है। साथ ही यह समस्त प्रक्रिया का नियंत्रक है। इसके आधार पर बच्चे क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित गतिविधियाँ करते हुए आगे बढ़ते हैं।

लेडर कैसे बने ?

1. बच्चे के सीखने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों को क्रम प्रदान किया गया है।
2. सीखने के सिद्धांत एवं बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों को क्रमिक रूप से जमाया गया है।
3. सीखे हुये उद्देश्यों को बार–बार दोहराने (स्पाइरल लर्निंग) को ध्यान में रखकर लेडर बनाये गये हैं।
4. कक्षा–कक्ष में समूह अनुसार बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टि से ।
5. लेडर में प्रत्येक अवधारणा को समझाने के लिये भिन्न–भिन्न गतिविधियाँ बनाई गई हैं, जिससे बच्चे रुचिपूर्वक सीखते हैं।

लेडर की आवश्यकता क्यों ?

1. कक्षा–कक्ष, सामग्रियों, गतिविधियों को व्यवस्थित एवं प्रबंधित करने के लिए।

2. छह समूहों के निर्धारण करने के लिए।
3. कक्षा–कक्ष के नियंत्रण के लिए।
4. बच्चों के गति एवं स्तर के मापन के लिए।
5. पर्यावरण विषय का लेडर बच्चों की व्यापक सोच की क्षमता को बढ़ाता है।
6. लेडर में आगे बढ़ने पर बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
7. आत्मनियंत्रित एवं स्वप्रेरित होकर बच्चे कार्य करते हैं।

4. समूह क्या है?

सीखने के सभी स्रोतों के उपयोग को ध्यान में रख कर बनाई गई बैठक व्यवस्था ही समूह है। जैसे–पहले समूह में बच्चे शिक्षक से सीखते हैं। तीसरे समूह में अपने साथियों से, पाँचवे समूह में स्वयं अध्ययन से एवं सर्वे के दौरान ग्राम में जा कर समुदाय से सीखते हैं।

एम.जी.एम.एल. SRTC में 4 समूह निर्धारित हैं :–

1. शिक्षक समर्थित समूह– इस समूह में शिक्षक द्वारा अवधारणा स्पष्ट किया जाता है।
2. सहपाठी समर्थित समूह–बच्चे गतिविधि करने के लिए एक–दूसरे का सहयोग करते हैं।
3. आंशिक सहपाठी समर्थित समूह–बच्चों को गतिविधि करने के लिए अपने साथियों के आंशिक सहयोग की जरूरत होती है।
4. स्वअधिगम एवं मूल्यांकन समूह– स्वाध्याय के कार्य जैसे– लेखन, पठन आदि इस समूह के अंतर्गत करते हैं। इस समूह में बच्चों का मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है।

विषय हिन्दी

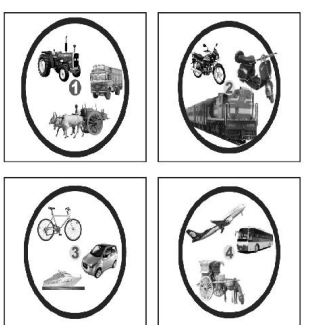

विषय गणित

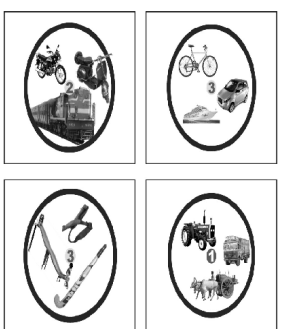

विषय अंग्रेजी

विषय – हिन्दी (लेडर)

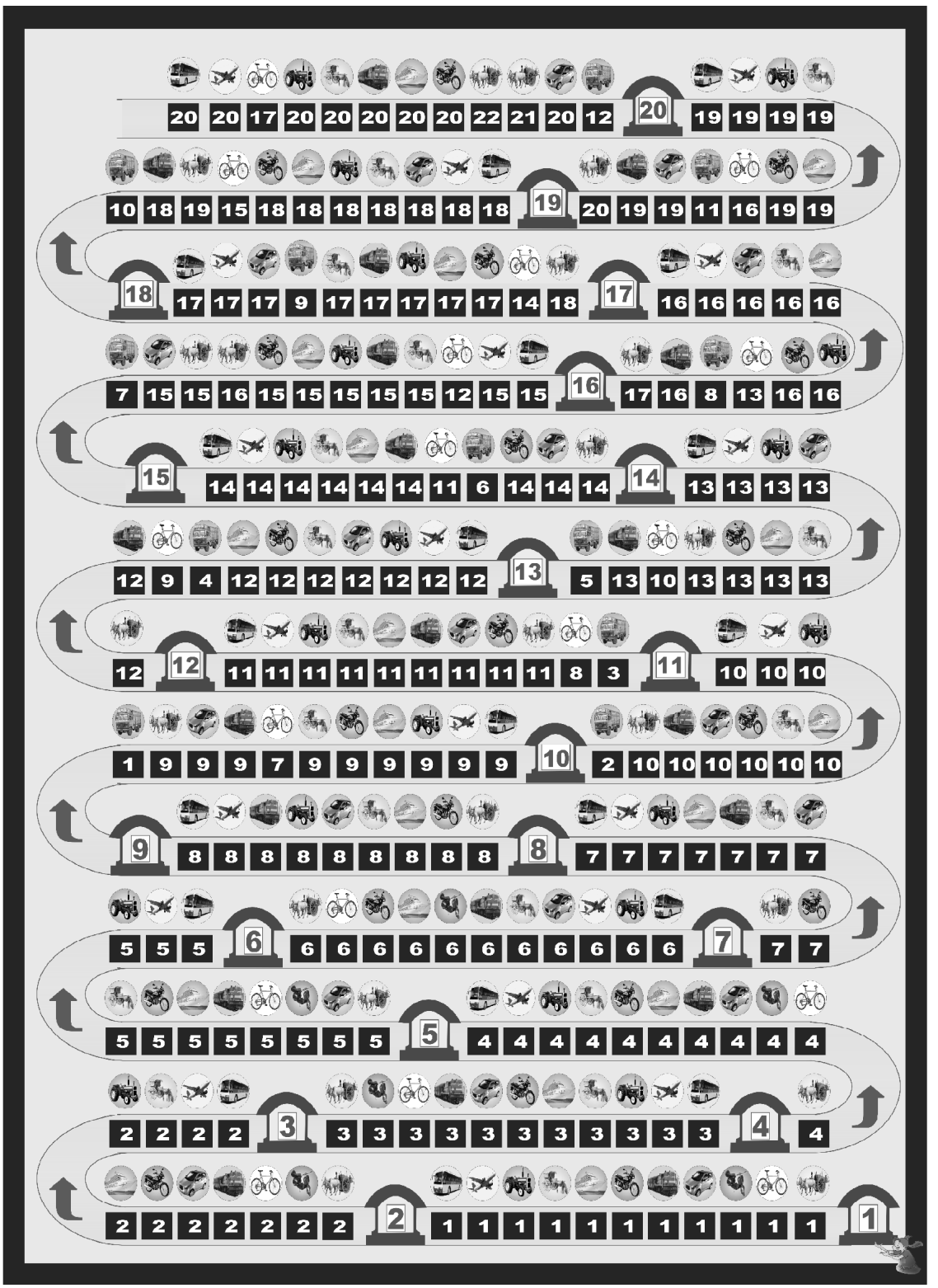
20 20 17 20 20 20 20 20 22 21 20 12 20 19 19 19 19
10 18 19 15 18 18 18 18 18 18 18 19 20 19 19 11 16 19 19
18 17 17 17 9 17 17 17 17 17 14 18 17 16 16 16 16 16
7 15 15 16 15 15 15 15 15 12 15 15 16 17 16 8 13 16 16
15 14 14 14 14 14 14 11 6 14 14 14 14 13 13 13 13
12 9 4 12 12 12 12 12 12 12 13 5 13 10 13 13 13 13
12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 3 11 10 10 10
1 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 10 2 10 10 10 10 10 10
9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

विषय – गणित (लेडर)

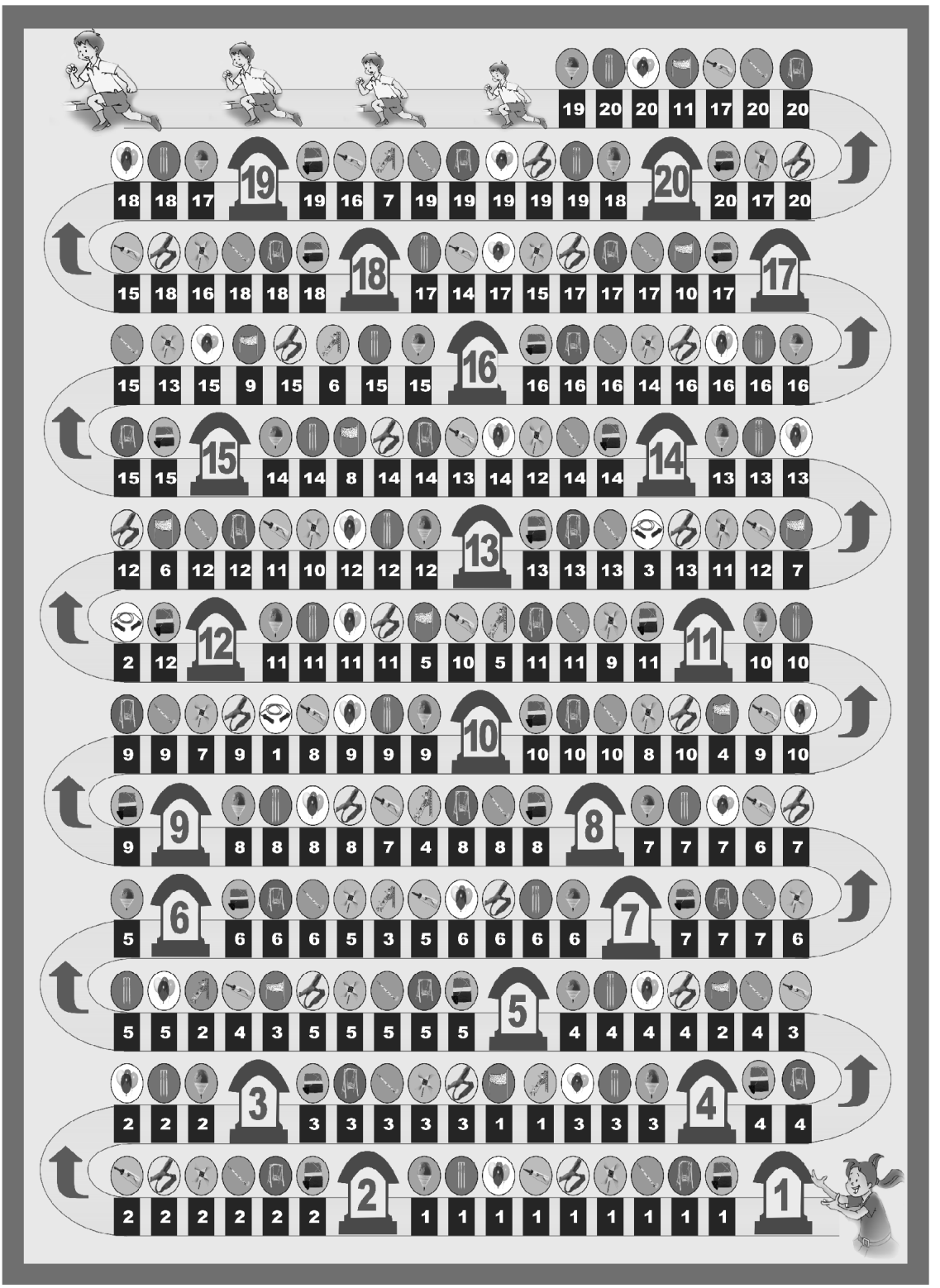
19 20 20 11 17 20 20
18 18 17 19 19 16 7 19 19 19 19 19 18 20 20 17 20
15 18 16 18 18 18 18 17 14 17 15 17 17 17 10 17 17
15 13 15 9 15 6 15 15 16 16 16 16 14 16 16 16 16
15 15 15 14 14 8 14 14 13 14 12 14 14 14 13 13 13
12 6 12 12 11 10 12 12 12 13 13 13 13 3 13 11 12 7
2 12 12 11 11 11 11 5 10 5 11 11 9 11 11 10 10
9 9 7 9 1 8 9 9 9 10 10 10 10 8 10 4 9 10
9 9 8 8 8 8 7 4 8 8 8 8 7 7 7 6 7
5 6 6 6 6 5 3 5 6 6 6 6 7 7 7 7 6
5 5 5 2 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 4 3
2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

विषय – अंग्रेजी (लेडर)

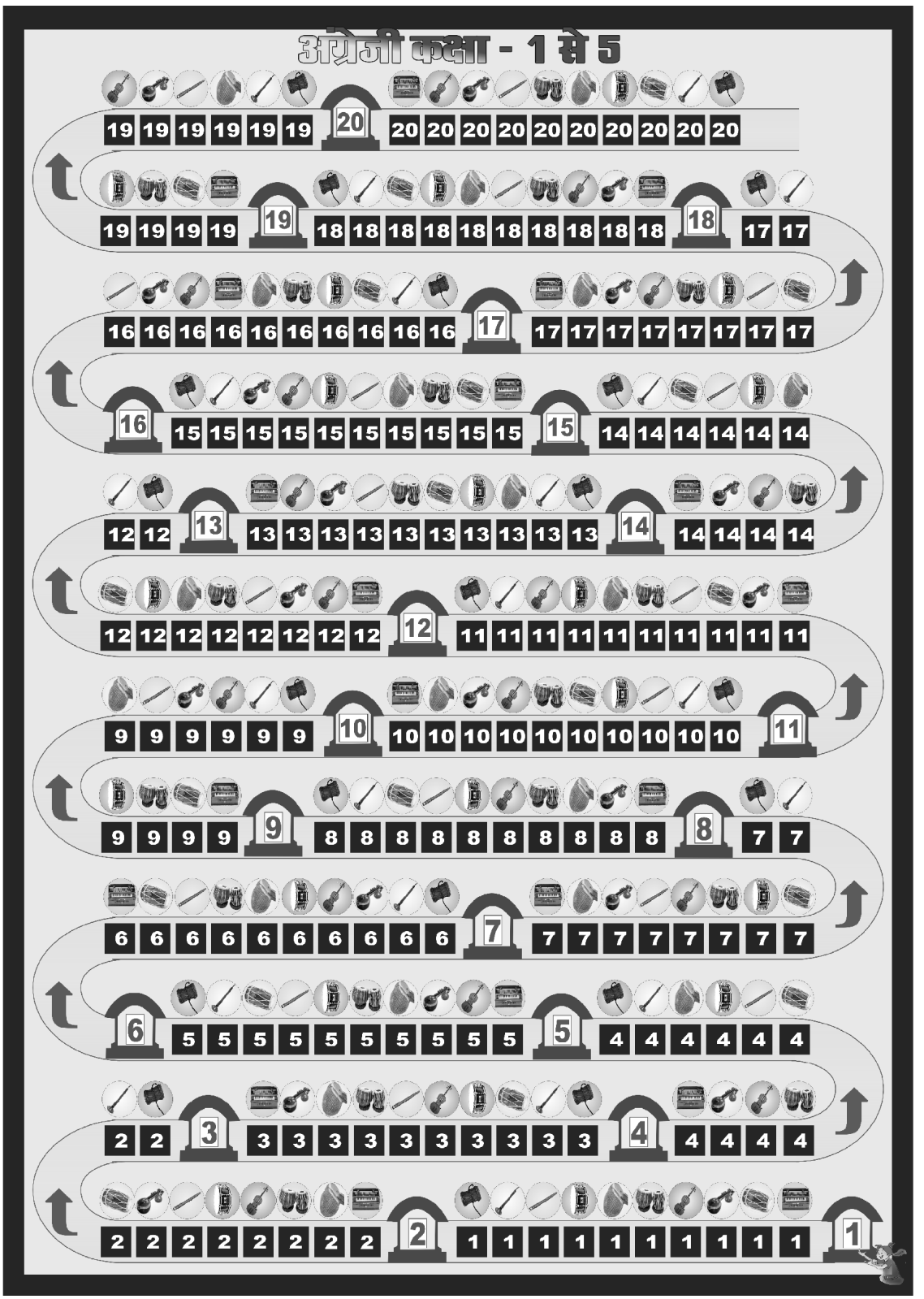
अंग्रेजी कक्षा - 1 से 5
19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17
16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14
12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14
12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11
9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11
9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

समूह निर्धारण प्रक्रिया

1. अनुमानित माइलस्टोन।

    अ. संदर्शिका में दिए गये परिशिष्ट को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे

    ब. कक्षा शुरू करने के पूर्व तीन–चार दिन बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। उनकी आवश्यकता एवं बुद्धि लब्धि स्तर को जानने का प्रयास करेंगे।

    स. अनुमानित माइलस्टोन निकालेंगे।

2. वास्तविक माइलस्टोन

    अ. अनुमानित माइलस्टोन के मूल्यांकन कार्ड से बच्चे के स्तर का मापन करेंगे।

उदाहरण :

अ. यदि रीना का अनुमानित माइस्टोन 5 है तो उसे माइलस्टोन 5 का मूल्यांकन कार्ड से मूल्यांकन करेंगे।

ब. यदि वह 5 का मूल्यांकन कार्ड पूरा करती है तो उसे माइलस्टोन 6 का मूल्यांकन कार्ड देंगे।

स. अब यदि वह माइलस्टोन 6 का मुल्यांकन कार्ड पूरा नहीं कर पाई तो उसका वास्तविक माइलस्टोन 6 होगा।

द. यदि मोहन का माइलस्टोन 9 है तो उसे माइलस्टोन 9 का मूल्यांकन कार्ड देंगे।

- माइलस्टोन 9 का मूल्यांकन कार्ड पूरा नहीं कर पाने पर माइलस्टोन 8 का मूल्यांकन कार्ड देंगे।
- माइलस्टोन 8 का कार्ड पूरा नहीं कर पाने पर उसे माइलस्टोन 7 का मूल्यांकन कार्ड देंगे।
- माइलस्टोन 7 का मूल्यांकन कार्ड पूरा कर लिया तो उस बच्चे का वास्तविक माइलस्टोन 8 होगा।

3. तत्पश्चात् बच्चों को कार्ड उठाने, लोगो पहचान, लेडर और समूह में चलने पर प्रशिक्षित करेंगे।

4. उसके पश्चात् वास्तविक माइलस्टोन से 1माइलस्टोन नीचे का कार्ड देकर समूह में गतिविधि करवाएँगे।

5. इस प्रकार बच्चे चारों समूह में घुमते हुए अपने गति और स्तर के अनुरूप सीखते हुए समूहों में घूमेंगे और शिक्षण कार्य चलता रहेगा।

कुछ प्रश्न जो मन में आएँगे –

प्रश्न – समूह निर्माण की प्रक्रिया क्यों ?

उत्तर : 1. सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए।

2. कक्ष को स्वनियंत्रित गति से चलाने के लिए।

3. बच्चों में MGML की संपूर्ण प्रक्रिया पर समझ बनाने के लिए।

4. सभी बच्चों की गतिविधि में सहभागिता के लिये।

5. बच्चों के स्तर की सही जानकारी हेतु।

6. स्तरानुरूप सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिये।

प्रश्न :– अनुमानित माइलस्टोन कैसे ज्ञात करेंगे ?

उत्तर – सृजन हस्त पुस्तिका में दिए गए परिशिष्ट से माइलस्टोन का बिन्दुवार अध्ययन करें तथा इसके आधार पर बच्चों का अनुमानित माइलस्टोन तय करें।

प्रश्न :– वास्तविक माइलस्टोन क्यों ?

उत्तर :– बच्चे का वास्तविक स्तर ज्ञात कर अध्यापन कार्य प्रारंभ करने के लिए वास्तविक माइलस्टोन निकालना आवश्यक है।

प्रश्न :– बच्चों को लोगो, लेडर से परिचय कराना क्यों आवश्यक है ?

उत्तर :– बच्चों को लोगो, लेडर से परिचित कराने के बाद ही MGML की कक्षाएँ संचालित होती हैं। बच्चे लेडर देखकर ही लोगो एवं नंबर के अनुसार कार्ड निकालते हैं व

निर्धारित समूह में बैठकर गतिविधि पूरा करते हैं। लोगो, लेडर के परिचय से ही समूह का निर्माण होता है। परिचय कराने के लिए बच्चों को कार्ड छूने दें, लेडर पर उँगली फिराकर उन्हें उनके वास्तविक माइलस्टोन का ज्ञान कराएँ।

प्रश्न : अनुमानित माइलस्टोन के बाद अस्थायी समूह बनाना क्यों आवश्यक है ?

उत्तर :–1. प्रत्येक बच्चे का वास्तविक माइलस्टोन निकालने के लिए।

2. सभी बच्चों का एक साथ वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अतः कक्षा को व्यवस्थित करने के लिए अस्थायी समूह बनाना आवश्यक है।

प्रश्न :– अस्थायी समूह के बच्चों को कौन–कौन सी गतिविधियाँ कराएँगे ?

उत्तर :–गीली मिट्टी के कार्य, चित्रकारी, कंकड़ से चित्र बनाना, चित्रों पर कंकड़ जमाना, कागज से खिलौने बनाना, विभिन्न वस्तुओं का संकलन, परिवेशीय अवलोकन कर रिपोर्टिंग करना, पूर्व के माइलस्टोन के खेल, कार्डों का खेल,बिल्लस का खेल आदि।

प्रश्न :– अवधारणा क्या है ?

[redacted]

हिन्दी

1. अवधारणा कार्ड कराने के पूर्व उस माइलस्टोन के सभी कार्डों की जानकारी रखें एवं अवधारणा स्पष्ट करते समय अन्य गतिविधि कार्डों का उपयोग अवश्य करें। जैसे – चूहा कार्ड, हिरण कार्ड आदि।
2. सबसे पहले शिक्षक अवधारणा कार्ड के चित्रों पर चर्चा कराएँ।
3. कविता/कहानी को हाव–भाव के साथ सुनाएँ।
4. रंगीन शब्दों पर जोर देते हुए कविता को सुनाएँ।
5. चित्र व शब्दों का मिलान कराएँ।
6. शिक्षक शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि की पहचान कराएँ।
7. शिक्षक द्वारा शब्दों को बोलने पर बच्चे शब्द को पहचान सकें।
8. कविता/कहानी को हाव–भाव के साथ दोहरा सकें एवं अपने शब्दों में व्यक्त कर सकें।
9. शिक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि बच्चा रंगीन शब्दों को अच्छी तरह पहचान गया है। तभी अगली गतिविधि के लिए बच्चे को निर्देशित करें।
10. कक्षा 3 व 4 में अवधारणा स्पष्ट करने से पूर्व उस माइलस्टोन का उपचारात्मक कार्ड (भालू) का अध्ययन करना अति आवश्यक है।
11. शिक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि बच्चे को अवधारणा पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गई है, तभी अगली गतिविधि के लिए बच्चे को निर्देशित करें।

गणित :–

1. अवधारणा स्पष्ट करने से पहले दैनिक जीवन से संबंधित मौखिक प्रश्न पूछें। जैसे – जोड़ की अवधारणा से पहले हम पूछें कि आपके पास दो पेन है और आपके दोस्त के पास तीन पेन है। कुल कितने पेन हुए ?
2. मौखिक प्रश्न के बाद कंकड़, बीज, माचिस की तीली, कंचे, बटन, मोती आदि विभिन्न सहायक सामग्री से उन्हें अवधारणा स्पष्ट कराएँ।
3. अवधारणा स्पष्ट करते समय उस माइलस्टोन के अन्य कार्डों का उपयोग अवश्य करें। जैसे – कबूतर कार्ड, बतख कार्ड आदि।
4. शिक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि बच्चा अवधारणा से संबंधित सवाल हल कर सकता है, तभी उसे अगले कार्ड की गतिविधि के लिए भेजें।

पर्यावरण : –

1. सर्वप्रथम शिक्षक सर्वे कार्ड का अवलोकन करें। संकलित जानकारियों पर बच्चों के साथ चर्चा करें ।
2. कहानी/कविता को समझाते हुए अवधारणा को स्पष्ट करें।
3. अवधारणा स्पष्ट कराने के लिए उस विषय वस्तु से संबंधित अन्य कार्डों का उपयोग अवश्य करें। जैसे – केला कार्ड, अनार कार्ड, पपीता कार्ड आदि।
4. शिक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि अवधारणा पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गई है, तभी बच्चे को अगली गतिविधि के लिए निर्देशित करें।

अंग्रेंजी :–

1. शिक्षक हाव–भाव के साथ कविता को सुनाएँ।
2. कार्ड में दी गई क्रियाओं को स्वयं करके बताएँ।
3. अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए अन्य गतिविधि कार्डों का उपयोग करें।
4. यदि बच्चे क्रियाओं के साथ कविता को सुना पाते हैं तभी अगले कार्ड की गतिविधि ा कराएँ।
5. शिक्षक के द्वारा की गई क्रियाओं को बच्चे कर पाएँ एवं बोल पाएँ, तभी उन्हें अगला कार्ड दें।

अवधारणा स्पष्ट करने के लिए शिक्षक को **MGML** के सभी कार्डों का गहन अध्ययन करना आवश्यक है।

प्र.1 बच्चा अगले लोगो का कार्ड कब उठाएगा ?

उ. जिस कार्ड पर गतिविधि हो रही है, उस कार्ड की पक्की समझ ही अगले लोगो की गतिविधि के लिए सहायक होगी। जब तक बच्चा दक्ष न हो जाए तब तक गतिविधि दोहराएँ। ध्यान रखें कि गतिविधि कार्ड के निर्देश के अनुरुप किया हो। यदि बच्चा कार्ड की गतिविधि नहीं कर पा रहा है, तो इसका अर्थ यह होगा कि उसने पिछली गतिविधि को अच्छी तरह नहीं किया है।

प्र.2 शिक्षक सभी समूहों पर कैसे ध्यान रखें?

उ. 1. शिक्षक समर्थित समूह में प्रत्येक अवधारणा कार्ड को शिक्षक ही कराएँ।

2. आंशिक शिक्षक समर्थित समूह प्रथम समूह के पास हो, जिससे शिक्षक आवश्यकतानुसार सहयोग कर सके।

3. सहपाठी समर्थित समूह के बच्चों को आपसी सहयोग से गतिविधि करने हेतु प्रेरित करें। उच्च माइलस्टोन के बच्चों का सहयोग लें।

4. स्वअधिगम समूह में बच्चे स्वयं कार्य कर रहे हैं, यदि नहीं तो शिक्षक उन्हें स्वयं करने हेतु प्रेरित करें।

5. स्वअधिगम समूह में बच्चे स्वयं कार्य कर रहे हैं, यदि नहीं तो शिक्षक उन्हें स्वयं करने हेतु प्रेरित करें।

6. मूल्यांकन समूह में बच्चों द्वारा किये गये कार्य एवं दिये गये उत्तरों की जाँच शिक्षक स्वयं करें। मूल्यांकन कार्य पूर्ण न करने पर शिक्षक अनिवार्य रूप से उपचारात्मक गतिविधि करा कर पुनः मूल्यांकन लें।

00000

'' एक तेजस्वी मस्तिष्क इस धरती पर धरती के नीचे
या ऊपर आसमान में सबसे सशक्त संसाधन है। ''

13 MGML और NCF, RTE

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या

1. शिक्षा बिना बोझ के (लर्निंग विदाउट बर्डन) पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों की रूप रेखा में विशेष परिर्वतन और समाज की मानसिकता में बदलाव लाने की सिफारिश की। (पृष्ठ क्रमांक 03) भारी स्कूली बस्ते, शारीरिक असुविधा के सामान्य स्रोत (पेज 16)

2. आसपास के पर्यावरण (जिसमें मातृभाषा एवं कार्य भी आते हैं) का साधन के रूप में उपयोग किया जाए।(पृष्ठ क्र. 04 पश्चावलोकन) सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है आसपास के वातावरण प्रकृति चीजों व लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से अंत क्रिया करना।(पेज 21)

3. मार्गदर्शक सिद्धान्त (पृष्ठ 5, 6)

   (अ) ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना।

   (ब) पढ़ाई रटन्त प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना

   (स) पाठ्यपुस्तक का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों को चहुँमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए,बजाए इसके कि वह पाठ्यपुस्तक केन्द्रित बनकर रह जाए।

एम.जी.एम.एल. कैसे पूर्ण करता है

1. इस प्रणाली में पाठ्यपुस्तक को छोटे–छोटे भागों में माइलस्टोन के रूप में विभक्त किया गया, जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी गति व क्षमता के आधार पर मानसिक बोझ से मुक्त होकर सीखते हैं।

2. एम.जी.एम.एल. प्रक्रिया में बच्चे पर्यावरण अध्ययन में सर्वेक्षण अवलोकन कर सीखते हैं, साथ ही स्थानीय सामग्रियों का शिक्षण कार्य में सीखने के लिये उपयोग किया जाता है। कार्डो में लोगों के रूप में परिवेशीय पशु–पक्षी, फल एवं वस्तुओं का उपयोग किया गया है, इसके साथ ही कार्डों का स्थानीय भाषा में भी विकसित किया गया है।

3. (अ) बच्चे समूह में गतिविधि करते हुए विभिन्न कामगारों की सहायता से बाहरी जीवन में भी सीखता है।

   (ब) एम.जी.एम.एल. शिक्षण प्रणाली पूर्णतः गतिविधि आधारित है प्रत्येक अवधारणा को अनेक गतिविधियों के द्वारा करके सीखने पर जोर देती है।

   (स) एम.जी.एम.एल. शिक्षण प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान के साथ जोड़कर सिखाया जाता है इसमें बच्चों को अपने विचारों के व्यक्त करने के पर्याप्त अवसर दिये जाते हैं।

(द) परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना।

(द) परीक्षा के स्थान पर स्वमूल्याकंन की व्यवस्था है। बच्चे भयमुक्त वातावरण में सहजता से स्वमूल्यांकन करते हैं।

मुल्यांकन का यह प्रयोजन नही है

4 बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। (पेज 80)

(4) एम जी एम एल शिक्षण प्रणाली बा।लकेन्द्रित है, इसमें बच्चों के रूचि क्षमता व गति अनुसार आनन्दायी ढ़ंग से खेल–खेल में सीखते हैं, जिससे आत्म विश्वास बढ़ता है। इसमें शिक्षण गतिविधियाँ आधारित है। बच्चे के अनुभव व पूर्व ज्ञान के अनुसार गतिविधियों को अधिक स्थान दिया गया है। जैसे बिल्लस, नदी पहाड़, सांप सीढ़ी, पासा, पिट्टुल का खेल व अमानक इकाइयों द्वारा मापन आदि।

(अ) बाल केन्द्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों इनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना है। (पेज 15–22)

(ब) सभी बच्चों को एक ऐसे कार्यक्रम के जरिए स्कूलों से जोड़ना तथा उन्हें टिकाए रखना जो हर बच्चे की महत्ता को फिर से दृढ़ करने को महत्वपूर्ण समझे और सभी बच्चों को उनकी गरिमा का एहसास कराए तथा उनमें सीखने का विश्वास जगाए। (पेज 6)

5 शिक्षा के लक्ष्य– बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति और सौन्दर्यात्मक आस्वादन की क्षमता के विस्तार के लिये साधन और अवसर मुहैया करना शिक्षा का अनिवार्य कर्तव्य है। (पेज 13)

(5) एम जी एम एल शिक्षण प्रणाली में बच्चों के लिये चित्र, कहानी, कविता, वर्णन, अभिनय सृजनात्मक कार्य करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है। बच्चे अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से रखते हैं, जिसका पूरा पूरा सम्मान किया जाता है।

6 विद्यार्थी का संदर्भ में रखना– किताबी ज्ञान को दोहराने की क्षमता के विकास के बजाए पाठ्यचर्या, बच्चों को इतना सक्षम बनाये कि वे अपनी आवाज ढूँढ़ सकें, अपनी उत्सुकता का पोषण कर सकें, स्वयं करें, सवाल पूछें, जाँचें–परखें और अपने अनुभवों को स्कूली ज्ञान के साथ जोड़ सकें। (पेज 15– 2.2)

(6) इस शिक्षण प्रणाली में शिक्षक सुविधाादाता के रूप में होते हैं। सारी गतिविधियाँ बच्चे समूह में करके सीखते हैं और निष्कर्ष व अनुभवों के आधार पर बात करते हैं, जिसका पर्याप्त अवसर दिया जाता है साथ ही सम्मान भी किया जाता है। प्रायोजना कार्य के माध्यम से बच्चा अपने अनुभवों को स्कूली ज्ञान से जोड़ता है।

7 बच्चों को पर्यावरण व पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना।	(7) एम.जी.एम.एल. शिक्षण प्रणाली में पर्यावरण के अध्ययन में प्रत्यक्ष अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण का कार्य करते हैं। जिससे इनमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का भाव आता है।
8 स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती है।(पेज 18)	(8) कक्षा के अन्दर एवं बाहर सीखने के लिए गतिविधि कार्ड विकसित किया गया है।
9 स्कूल विभिन्न आयु के बच्चों के समूह बनाकर उन्हें साथ साथ काम करने के लिए परियोजना कार्य भी दे सकते हैं।(पेज 23)	(9) इस प्रणाली में छः समूह निर्धारित किये गये हैं। प्रत्येक समूह में कक्षा पहली से 4 थी तक विभिन्न आयु के बच्चे एक साथ गतिविधि करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्रायोजना कार्य बच्चो से कराया जाता है।
10 गतिविधि आधारित शिक्षण पर जोर(पेज 24–25) कक्षा के ज्ञान को बच्चों के जीवन अनुभव से जोड़ा जाए। (पेज 7 क) हाशिए के समाजों के बच्चों को जिन्हें काम से जुड़े कौशल का ज्ञान होता है। अपने सम्पन्न साथियों का मान–सम्मान पाने का अवसर मिल सकेगा। (पेज 7 ख)	(10) इस प्रणाली में ग्राम के कामगारो को आमंत्रित किया जाता है। वे अपने काम धंधो के बारे में बच्चे को जानकारी देते हैं। स्वअधिगम करके तथा साथी समर्थित समूह में एक दूसरे के सहयोग करके गतिविधियों द्वारा समुदाय को बच्चो के अर्जित ज्ञान को परखने का अवसर प्राप्त होता है। एम जी एम एल प्रणाली क्रियात्मक गतिविधियों पर आधारित है। तेज गति से सीखने वाले बच्चे का अनुभव और ज्ञान का लाभ उस समूह के अन्य बच्चों को मिलता है। स्वयं करके सीखने के कारण बच्चों का आत्म विश्वास प्रबल होता है।
11 गतिविधि शब्द आज अधिकतर प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के रजिस्टर का अंग बन चुका है। लेकिन अक्सर हम यह पायेंगे कि हरबर्ट द्वारा दी गई	11 इस शिक्षण पद्धति की समूह लोगो गतिविधि को निर्धारित करता है। अतः पूरा शिक्षण गतिविधि आधारित ही है।

पाठ योजना पर परियोजनाओं की कलम भर लगाई गई होती है और वे पाठ के अंत में दिये गये परिणामों से अभिप्रेरित होती है।

बच्चे गतिविधि करते हैं और सीखते जाते हैं। शिक्षक मार्ग दर्शक के रूप में बच्चों को प्रोत्साहन एवं सुविधा देने का कार्य करता है।

12 स्कूली गणित का दर्शन

(1) बच्चे गणित से भयभीत होने के बजाये उसका आनंद उठाये। (पेज 49)

गणितीय खेल पहे लिया और कहानियां सकारात्मक रूझान पैदा करने और गणित को रोजमर्रा की जिन्दगी से संबंध जोड़ने में मददगार हो सकती है। यह ख्याल रखना जरूरी है।(पेज 51)

12 एम जी एम एल शिक्षण पद्धति में गणित विषय के अध्ययन को विभिन्न खेलों जैसे– बोल भाई कितने पिट्टूल, सांप सीढी, पासा, रेल गाड़ी खेल के माध्यम से सभी पूर्ण एवं आनंद दायक बनाया गया है।

13 ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिसमें महिलाओं के प्रति सम्मान और उत्तर दायित्व की भावना का विकास हो।(पेज 70)

13 महिलाओं के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना के विकास हेतु माताओं द्वारा स्कूल में आकर बच्चों को कहानी सुनाने हेतु प्रेरित किया जाता है।

14 बच्चे उस स्थान पर रहना पसंद करते हैं, जो रंग–रंगोली, दोस्ताना और साथ हो। जहाँ ढेर सी खुली जगह हो, साथ ही छोटे कोने हों, पशु– पक्षी, पेड़ पौधे और खिलौने हों। बच्चों को आकर्षित करने के लिए विद्यालयों में इन चीजों का होना आवश्यक है।(पेज 89)

14 कक्षा को विभिन्न चित्र चार्ट और महापुरूषों की तस्वीर, समूह थाली, लेडर, भू स्तर श्यामपट आदि से सजाया जाता है। ऊपर तार की जाली लगायी जाती है। कक्षा रैक, ट्रे एवं कार्ड से सुसज्जित होती है।

15 बच्चों के द्वारा की गई चित्रकारी और हस्त कार्य के नमूने दीवारों पर लगाने से माता–पिता और बच्चों को यह दृढ संदेश जाता है। कि उनके काम को सराहा जा रहा है। इन कला कृतियों को ऐसी जगहों और उतनी ऊँचाई पर लगाना चाहिए ताकि स्कूल के विभिन्न

15 बच्चों, पालको द्वारा लिखी कहानी कविता एवं चित्र को सम्मान पूर्वक कक्ष के तार की जाली पर लटकाया जाता है।

आयु वर्ग के बच्चे आसानी से पहुँचें और उनको देख पायें।(पेज 89)

16 बच्चे छोटे समूहों में इकट्ठे बैठ पाएँ या बड़े घेरे में बैठ कहानी सुन सकें, या अपना व्यक्तिगत लेखन या पठन का काम कर सकें, इसके लिए कुर्सी, मेज या दरियाँ ऐसी कक्षाओं के लिए बिल्कुल सही है।(पेज 90)

17 अभिभावकों एवं समुदाय के लिए स्थान

अभिभावक और समुदाय के सदस्य स्कूल में संदर्भ व्यक्ति के रूप में आकर पढ़ाये जा रहे विषय से संबधित अपना ज्ञान बाँट सकते हैं। उदा. किसी मैकेनिक को बुलाकर उनके अपने अनुभवों की जानकारी कक्षा में दे, सभी स्कूलों को ऐसे तरीके खोजने की जरूरत है, जिनसे अभिभावकों की भागीदारी और जुड़ाव को प्रोत्साहन मिले और वह बरकरार रह पाये।

16 एम जी एम एल कक्षा में बच्चें प्रत्येक समूह में गोल घेरे मे ही बैठते है और बैठने के लिए चटाई या दरियों का उपयोग किया जाता है।

(17) इस शिक्षण प्रणाली में समुदाय की सक्रिय भूमिका एवं भागीदारी बरकरार रहे, इस हेतु समय–समय पर ग्राम के विभिन्न कामगार को बुलाया जाता है। विभिन्न कार्यक्रमों में पाठ्य सामग्री तथा कार्डो को प्रदर्शित किया जाता है। समुदाय के लोगों से कहानी कथन करवाया जाता है।

MGML और **RTE**

शिक्षा का अधिकार अधिनियम और	बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण
1. धारा 3 के उपधारा 4 –आयु अनुरूप कक्षा में सीधे दाखिला पाये बच्चे को दूसरे बच्चे के बराबर आने के लिये निध ार्ारित तरीके एवं समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।	* शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिये राज्य शासन आवासीय एवं गैर आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन कर रही है। यदि इन केन्द्रों में एमजीएमएल शिक्षण पद्धति से शिक्षा दी जाये तो बच्चे तीव्र गति से सीखेंगे एवं निर्धारित समय सीमा से पहले दक्षताओं को प्राप्त कर लेंगे
* धारा 8 की उपधारा ग –दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक के प्रति पक्षपात न हो।	* एमजीएमएल शिक्षण प्रक्रिया में व्यक्तिगत शिक्षण होता है अर्थात् प्रत्येक बच्चे को पहले समूह में अवधारणा सिखाने का कार्य शिक्षक को ही करना होता है अतः इस प्रक्रिया में किसी भी बच्चे के साथ पक्षपात की संभावना नहीं होती।
* धारा 8 की उपधारा छ– प्राथमिक शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करना।	* एमजीएमएल प्रक्रिया में यदि शिक्षक अवधारणा कार्ड और बाकी सभी कार्डों को बेहतर तरीके से उपयोग करता है तो निर्धारित समयावधि में बच्चा सीख ही जाता है इस प्रक्रिया में बच्चों की कमियों को पहचानने का भी उपकरण है।
* धारा 8 की उपधारा ज– प्राथमिक शिक्षा के लिये पाठ्याचार और पाठ्यक्रम को समय से विहित करना।	* एमजीएमएल प्रक्रिया में प्रत्येक माइलस्टोन में पाठ्याचार और पाठ्यक्रम को विहित किया गया है
* धारा 8 में प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित हो, कहा गया है	* एमजीएमएल प्रत्येक बच्चे की सीखने की स्थिति को सुनिश्चित करता है।
* धारा 9 में अकादमिक कैलेण्डर का विनिश्चय करना।	* साल भर शाला में क्या–क्या होगा एमजी एमएल का माइलस्टोन अपने आप तय करता है।
* धारा 16 के अन्तर्गत किसी भी बालक या बालिका को किसी भी कारण से फेलनहीं	* एमजीएमएल प्रक्रिया में पास या फेल

किया जायेगा।	पर ध्यान नहीं दिया गया है। बल्कि प्रत्येक माईल स्टोन को गुणवत्ता के साथ सीखने पर जोर दिया गया है।
* धारा 24 की उपधारा 'ख' तय समय सीमा के अंदर पाठ्यक्रम संचालित करना एवं पूरा करना।	* एमजीएमएल प्रक्रिया में माईल स्टोन अर्थात् पाठ्यक्रम है। जिसमें समय का निर्धारण है। निर्धारित अवधि में पूरा नहीं करने पर शिक्षक बच्चे की कठिनाईयों को तलाशता/ पहचानता है। बच्चे की शिक्षण की कमजोरियों को पहचानकर उपचारात्मक शिक्षण कर समय सीमा में पाठ्यक्रम को पूरा करता है।
* धारा 24 की उपधारा 'घ' प्रत्येक बच्चे की पढ़ने के स्तर का निर्धारण और तदनुसार अतिरिक्त शिक्षण	* प्रक्रिया की मुख्य विशेषता प्रत्येक बच्चे की गति एवं स्तर के अनुसार शिक्षण है। विषय आधारित लेडर प्रत्येक कार्ड की गतिविधि कराने एवं अगले कार्डों में जाने के पहले उपचारात्मक कार्डों की व्यवस्था है। नई योजना तैयार कर प्रत्येक बच्चे को जाँचने और उसके अनुरूप शिक्षण की पूरी व्यवस्था करता है।
* धारा 24 की उपधारा '1' ङ के अंतर्गत माता–पिता एवं पालकों को बच्चों की नियमित उपस्थिति, अधिगम क्षमता एवं अधिगम में उन्नति और अन्य संबंधित सूचना देना।	* एमजीएमएल प्रक्रिया में माता–पिता, पालकों एवं समुदाय को कहानी सुनाने व चर्चा करने के लिए स्कूल बुलाया जाता है। इस दौरान दीवार में लगे मूल्यांकन चार्ट एवं शिक्षक की निजी डायरी द्वारा प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति, बच्चों द्वारा सीखी गई दक्षताएँ और उनकी प्रगति के बारे में जानकारी दी जाती है।
* धारा 24 की उपधारा '1' च के अंतर्गत इसी प्रकार के अन्य कार्य संपादित करना।	* प्रक्रिया में गाँव के कामगारों (कृषक, बढ़ई, लोहार आदि) को कक्षा में अपने रोजगार के बारे में जानकारी देने के लिए कहा जाता है। साथ ही पर्यावरण शिक्षण के दौरान बच्चों को सर्वे करने एवं सीधे ग्रामीणों से चर्चा करने के लिए गतिविधियाँ दी जाती है।

* धारा 29 की उपधारा 'ख' बालक का सर्वांगीण विकास।	*	एमजीएमएल प्रक्रिया में प्रत्येक बच्चे को शिक्षक, साथी और स्वयं से सीखने के कई अवसर उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। यही कारण है कि इस कक्षा के बच्चे आत्मविश्वासी होते हैं।
* धारा 29 की उपधारा 'ग' बालक के ज्ञान, अंतशक्ति और योग्यता का निर्माण करना।	*	एमजीएमएल प्रक्रिया में अवधारणात्मक समझ के पश्चात् 10–14 कार्ड अभ्यास, अंतःशक्ति और योग्यता का निर्माण करने हेतु प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध होते हैं। समूह विभाजन की प्रक्रिया से गुजरकर स्वअधिगम तक जाने में धारा 29'ग' की स्थिति पूर्ण होती है।
* धारा 29 की उपधारा 'ङ' बाल अनुकूल और बाल केन्द्रित रीति में क्रियाकलापों प्रकटीकरण और खोज के द्वारा शिक्षण।	*	एमजीएमएल की प्रक्रिया, किट और सामग्री, बाल अनुकूल और बाल केन्द्रित रीति का ही अनुपालन करती है। पासा, अंताक्षरी,रेलगाड़ी का खेल, बिल्लस का खेल आदेश– निर्देश के पालन संबंधी खेल तथा पर्यावरण में खेल के अवसर प्राप्त होते हैं।
* धारा 29 की उपधारा 'छ' बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बालक को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना।	*	यही पूरी प्रक्रिया बच्चे को भय मुक्त तो करती ही है साथ ही कई ऐसे कार्य है, जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने के अवसर देते हैं। समूह शिक्षण प्रक्रिया इस पूरी प्रक्रिया में मदद करता है।
* धारा 2 के 'क' के अंतर्गत संविधान द्वारा संकलित पवित्र मूल्यों का समावेश।	*	एमजीएमएल प्रक्रिया सहयोग के सिद्धांत पर बनी है। सीखे हुए बच्चे, नहीं सीखे हुए बच्चों का स्वप्रेरित होकर सिखाते है साथ ही पूरे कार्डों का रख–रखाव एवं प्रबंधन बच्चों के द्वारा ही किया जाता है। कार्डों में विशेष रूप से प्रेम, प्रकृति प्रेम, सद्भावना,नैतिक दायित्व, सार्वजानिक संपत्तियों के संरक्षण, जीवन–विद्या एंव

		अच्छी आदतों के विकास जैसे अनेक नैतिक मूल्यों को रखा गया है।
* धारा 29 की उपधारा (2)'घ'के अंतर्गत बाल मैत्री व बालकेन्द्रित तरीके से गतिविधियों खोजों और परीक्षणों द्वारा अधिगम।	*	एमजीएमएल पूर्णतया बालकेन्द्रित एवं बाल मैत्रीपूर्ण शिक्षण पद्धति है। इसमें शिक्षक बच्चों के साथ जमीन पर बैठता है एवं बच्चों की रूचि के अनुरूप शिक्षा देता है। साथ ही किसी प्रश्न का उत्तर बच्चों पर थोपने के बजाय बच्चों को गतिविधियाँ कराकर खोजों एवं परीक्षणों द्वारा हल पाने का प्रयास करवाता है। गणित, हिन्दी, अंग्रेजी जैसे विषयों को बड़े ही रोचक एवं मैत्रीपूर्ण तरीके से पढ़ाया जाता है। पर्यावरण विषय का आधार तो खोज एवं परीक्षण ही है।
* धारा 29 की उपधारा (2) 'च' के अंतर्गत शिक्षण का माध्यम जहाँ तक व्यवहारिक हो मातृभाषा होगी।	*	एमजीएमएल शिक्षण पद्धति मातृभाषा द्वारा शिक्षण को बहुत महत्व देती है। इस हेतु एमजीएमएल के कार्डों को हल्बी, भतरी एवं गोंडी जैसे स्थानीय बोलियों में कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए निर्मित किया जा रहा है। इसके अलावा एमजीएमएल के अंतर्गत 'रीडर्स' को बच्चों की मातृभाषा में बताया जाता है।

00000

14 सपना सच कैसे हो?

जिला राजनांदगाँव के एक SRTC में अध्ययनरत एक बालिका जिसका नाम कुमारी सीमा है– SRG के भ्रमण के दौरान; मेरी उनसे बातें हुई –

प्र.1 तुम्हारे परिवार में कौन–कौन है?

उ. सीमा :– कोई नहीं

प्र.2 तुम आगे चलकर क्या करोगी?

उ. सीमा :– ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ।

प्र.3 क्यों?

उ. सीमा :– स्वालंबी बनना चाहती हूँ।

प्र.4 और क्या करोगी?

उ. सीमाः– मेरे जैसे और लड़कियों को भी आत्म निर्भर बनाना चाहती हूँ।

इन प्रश्नों से मेरे मन में अनेको प्रश्न उठने लगे। क्या हमारा SRTC ऐसी व्यवस्था दे पा रहा है?

प्र0 इस विषय पर आप क्या करना चाहोगे?

उ. .....

प्र0 क्या सीमा का लक्ष्य पूरा हो पाएगा?

उ. .....

प्र0 क्या सीमा समाज के उन लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाएगी?

उ. .....

प्र0 सीमा के लक्ष्य को पूरा करने में हमारी भूमिका क्या होगी?

उ. .....

प्र0 सीमा का मार्गदर्शन कैसे करेंगे?

उ. .....

मेरा सपना

राजनांदगाँव जिले के कैलाश नगर SRTC में एक बच्चा है प्रहलाद। वह बहुत ही मेहनती है। जब हमने उनसे बात की तो वह बड़ी उत्सुकतापूर्वक हमसे बात करने लगा। जब हमने उससे पूछा कि तुम आगे पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते हो, तो उसने जो कहा वह अचंभित करने वाली थी। उसने कहा – मैं किसान बनना चाहता हूँ। हमने पूछा क्यों – तो उसने कहा क्योंकि मैं बहुत सारा धान उगाना चाहता हूँ। अपने पिताजी जितना कमाते हैं, उससे ज्यादा।

आइए अब हम इस बच्चे के सपने पर गौर करें –

1. क्या इस बच्चे ने खेती के क्षेत्र को अपना लक्ष्य चुनकर कोई गलती की है?
2. यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों?

00000

'' सीखने से सृजनशीलता आती है। सृजनशीलता सोचने की राह बनाती है। सोचने से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान व्यक्ति को महान बनाता है।''

15 DPC/ DEO/ DIET/ AC/ BEO/ B.R.C.C/ CAC
प्रधान पाठक/शिक्षक/ समुदाय की भूमिका

उद्देश्यः

1. जिले में शाला त्यागी, अप्रवेशी, कमजोर बच्चे के उम्र एवं कक्षा ज्ञान के लक्ष्य को पूरा करना।
2. जिला, विकासखंड एंव स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट करना।

जिला शिक्षाअधिकारी की भूमिका

1. कार्यक्रम की प्रगति कारक समीक्षा करना ।
2. जिले में संचालित SRTC की जानकारी कलेक्टर को देना एंव समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
3. एक माह में कम से कम दो SRTC का मानिटरिंग करना।
4. कलेक्टर से व्यावहारिक आदेश प्रसारित करने के लिए आग्रह करना।
5. SRTC केन्द्रों की आवासीय प्रबंधन की समीक्षा एवं आवश्यक सुधार हेतु पहल करना।

ftyk ifj;kstuk leUo;d dh Hkwfedk

1. जिले में SRTC का संचालन करवाना।
2. जिले के SRTC का मानिटरिंग व वित्तीय प्रबंधन करना।
3. किसी एक A.P.C को सेल प्रभारी नियुक्त करना।
4. अनुदेशक चयन प्रक्रिया में योगदान देना।
5. SRTC का निरीक्षण प्रति माह प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम एक केन्द्र का करना।
6. S.R.T.C की व्यवस्था, स्थापना एवं अनुदेशकों का प्रशिक्षण कराना।
7. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/बी.आर.सी सी, डी.आर.जी की समीक्षा बैठक (प्रतिभागी ए. पी.सी, डी.आर.जी, बी.आर.जी, बी.ई.ओ,बी.आर.सी सी, एस.आर.जी, एम.जी.एम. एल/एस.आर.टी.सी)
8. जिले के प्रगति कारक प्रतिवेदन राज्य को भेजना।

9 जिले की कार्य योजना राज्य को भेजना/प्रस्तुत करना।

10 जिला स्तर पर प्रचार–प्रसार करना।

10. आवश्यकतानुसार बच्चों का (विशेष संवेदनशील बच्चों के संबंध में) SRTC में स्थानांन्तरण।

fodkl [k.M f'k{kk vf/kdkjh dh Hkfedk

1. विकासखण्ड में SRTC के लिए माहौल बनाना।
2. समस्त SRTC का माह में कम से कम दो बार निरीक्षण करना (15 दिन के अंतराल में)
3. केन्द्र से प्राप्त वित्त व्यवस्था को समय सीमा में उपलब्ध कराना।
4. विकास खण्ड के अन्दर सूचना के आधार पर प्राप्त हितग्राही बच्चों को केन्द्र तक लाने में व्यक्तिगत रूप से योगदान देना।
5. खण्ड स्तरीय जन प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करना, उन्हें केन्द्र के साथ जोड़ना।
6. विकास खण्ड स्तर पर प्रचार–प्रसार करना।
7. विकास खण्ड स्तर की जानकारी डी.पी.सी को देना एंव कार्य योजना प्रस्तुत करना।
8. SRTC के लिए उपयुक्त स्थान एंव भवन का चयन करना।
9. SRTC के लिए अन्य भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग देना
10. D.P.C से बच्चों की उपलब्धि या समस्या के लिए सतत् सम्पर्क में रहना।

B.R.C.C. की भूमिका

1. विकास खण्ड में SRTC केन्द्र स्थापित करना।
2. विकास खण्ड में SRTC के लिए चिन्हांकित प्रत्येक बच्चे के लिए केन्द्र तक आने के लिए व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करना ।
3. SRTC का प्रचार–प्रसार करना।
4. सभी SRTC केन्द्रों की मानिटरिंग प्रति सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप करना
5. SRTC केन्द्र की व्यवस्था में सुधार करना ।

6. SRTC केन्द्र का प्रगति कारक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

7. जिला स्तरीय बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेना।

8. किसी एक B.A.C को प्रभार देना।

9. C.A.C द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर व्यवहारिक समस्यों का निदान करना।

10. A.C.K प्राप्त बच्चों को सामान्य अध्यापन से जोड़ने में सहयोग करना।

CAC की भूमिका

- संकुल क्षेत्र के अन्तर्गत बच्चों का SRTC के लिए चिन्हांकन कर उसकी सूची बनाना एंव उसे विकास खण्ड में प्रस्तुत करना।
- चिन्हांकित बच्चों/पालकों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उन्हें SRTCमें आने के लिए प्रेरित करना।
- SRTC का प्रसार–प्रसार करना।
- प्रतिदिन SRTC के अनुदेशकों एवं बच्चों से सम्पर्क स्थापित कर प्रगति कारक मूल्यांकन प्रपत्र तैयार करना।
- प्रत्येक सप्ताह किसी पालक से सम्पर्क स्थापित कर SRTC के प्रति उसकी प्रतिक्रिया जानना।
- प्रत्येक सप्ताह किसी एक जनप्रतिनिधि से SRTC पर प्रतिक्रिया जानना एवं SRTC के अवलोकन के लिए प्रेरित करना।
- SRTC के लिए आवश्यकतानुरूप विषय विशेषज्ञ उपलब्ध कराने के लिए विषय विशेषज्ञ से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उनके सुविधा के अनुसार उनका लाभ केन्द्र को दिलवाना।
- समुदाय से SRTC केन्द्र के लिए जन सहभागिता के लिए प्रेरित करना।
- SRTC के प्रति उसकी व्यक्तिगत रूचि है,ऐसा उसके व्यवहार एवं गतिविधि से झलकना चाहिए।
- A.C.K असंतुलित बच्चों को कक्षा में जोड़ना।

i/kku ikBd dh Hkfedk

- चिन्हांकित बच्चे एंव उसके पालक से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करना।
- प्रधान पाठक के द्वारा चिन्हांकित बच्चों को SRTC में आने लिए प्रेरित करना।

– चिन्हांकित बच्चे के केस स्टडी के लिए प्रमाणित जानकारी बनाने में अनुदेशकों, बी. आर.सी एवं अन्य सहयोगी को सहयोग देना।

– SRTC से संबंद्ध बच्चे को प्रक्रियानुसार, प्रवेश, गुणवत्ता आदि में सहयोग देना।

– सहयोगी शिक्षकों को भी SRTC के प्रति योगदान देने के लिए प्रेरित करना।

– बच्चे का चिन्हांकन करने तथा चिन्हांकित बच्चे को SRTC तक पहुँचाने में शाला प्रबंधन समिति, अन्य समिति तथा समुदाय से भागीदारी लेना।

f'k{kd dh Hkfedk

– अपने शाला ग्राम की समितियों, मण्डलियों एवं समुदाय से SRTC के लिए चिन्हांकन में सहयोग लेना।

– बच्चों की केस स्टडी में सहयोग करना।

– अध्यापन में विषय विशेषज्ञ के रूप में योगदान।

– अपने विशेष रूचि की अभिव्यक्ति कर बच्चों में कौशल विकास की क्षमता विकसित करना।

– SRTC का प्रचार–प्रसार करना।

– अपने अनुभवों का लाभ SRTC में देना।

– अनुदेशकों को प्रोत्साहित करना।

lenk; dh Hkfedk&

– समुदाय, बालक, जन प्रतिनिधि SRTC केन्द्र का अवलोकन करें।

– चिन्हांकन, केस स्टडी, नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता प्राप्त करने में सहयोग, व्यावसायिक जानकारी देने के लिए ग्राम व आस–पास के लोगों को आमंत्रित कर समझ विकसित करना।

– S.R.T.C के प्रति सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों को SRTC केन्द्र के लिए प्रतिनिधि बनाकर योगदान करना।

00000

16 समुदाय से सहभागिता

शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है,बिना समुदाय के शिक्षा की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। बच्चों का अधिकांश समय समुदाय में ही बीतता है। यही से सीखने की शुरूआत भी होती है। शैक्षिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शिक्षा में समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इस हेतु विद्यालय और समुदाय के बीच समन्वय आवश्यक है।

आर.टी.सी/एन.आर.टी.सी. में अध्ययनरत बच्चे, शिक्षा की मुख्य धारा से अलग हो चुके बच्चे होते हैं, जिन्हें पुनः मुख्यधारा में लाने की विशेष प्रशिक्षण दी जाती है।ऐसे बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से तो अलग हो गये थे। किन्तु समुदाय के सम्पर्क में सतत् रहे एकाएक इन्हें समुदाय से अलग कर विद्यालय से जोड़ देना, इन बच्चों के साथ अन्याय होगा। बच्चे का मन केन्द्र में लगा रहे तथा शिक्षा की गुणवत्ता भी स्थापित हो इसके लिए केन्द्र एवं समुदाय के बीच समन्वय होना आवश्यक है। इसके लिए अनुदेशक को पहल करना होगा।

अनुदेशक निम्न गतिविधियों के द्वारा समुदाय से समन्वयन स्थापित कर सकता है।

1. बच्चो को सर्वे के लिए समुदाय में भेज कर।
2. स्थानीय ग्राम चौपाल अथवा सामुदायिक भवन में समुदाय एवं बच्चों के साथ बैठक आयोजित करके।
3. माताओं को कहानी सुनाने, पाक कला सिखाने, घरों के रखरखाव एवं सजावट सिखाने के लिए आमंत्रित करना।
4. स्थानीय कामगारों को अपने–अपने व्यवसाय की जानकारी देने के लिए आमंत्रित करके।
5. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कलाकार जैसे–चित्रकार,गायक, वादक, मूर्तिकार, लोकनर्तक दल इत्यादि को भी आमंत्रित करना।
6. स्थानीय त्योहारों को आर.टी.सी/एन.आर.टी.सी. केन्द्रों में भी मनाना चाहिए।
7. केन्द्र में समय–समय पर समुदाय और बच्चों का खेल आयोजित करना।
8. पालक सम्मेलन आयोजित करना।

9. पालक एवं समुदाय के बैठक आयोजित कर बच्चों की उपलब्धियों का उल्लेख करना।

10. बच्चों को स्ट्रीमींग (मुख्यधारा से जुड़ाव) के पश्चात् प्रमाण पत्र का वितरण समुदाय की उपस्थिति में करना।

11. बच्चों के मूल्यांकन में समुदाय का सहयोग लेना।

उपरोक्त गतिविधियों के संचालन से बच्चे अपने आपको सतत् समुदाय के करीब पायेंगे।उनका मन केन्द्र में लगा रहेगा, तथा समुदाय भी अपने बच्चों की प्रगति को स्पष्ट रूप से देख पाएँगे। इस प्रकार समुदाय और अनुदेशक के मध्य मधुर सम्बंध से शिक्षा की गुणवत्ता में गुणोत्तर विकास होगा।

S.R.T.C हेतु सामुदायिक सहभागिता

क्षमता	उपयोग
1. बच्चों को S.R.T.C केन्द्र तक लाना।	1. समुदाय पालकों को अच्छी समझा पाता है यहाँ कुछ ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति होते है, जिनकी बातों का ग्राम वासी सम्मान करते है। इनके सहयोग से हम S.R.T.C में बच्चों को ला सकते है।
2. पालकों को समझाने।	2. समुदाय के ऐसे व्यक्ति, जो निकटतम संबंध रखते हैं, कुछ मित्र होते हैं, इनकी बातों का असर पालक पर पड़ता है, जिससे वह सहर्ष अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना स्वीकार कर लेता है।
3. सुचारू रूप से संचालन हेतु।	3. समुदाय यदि अपना बच्चा S.R.T.C केन्द्र भेजता है और वह चाहता है कि बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल सही हो। अतः सुचारू रूप से संचालन हेतु समिति गठन कर निरीक्षण अवलोकन की जवाब दारी बखूबी से निभा सकता है।
4. मानिटरिंग कार्य	4. चूंकि समुदाय केन्द्र के आस–पास ही होते हैं। इनके द्वारा नियमित मानिटरिंग की जा सकती है।
5. व्यावयसायिक शिक्षा प्रदान करने	5. केन्द्र के आस–पास गाँव या शहर ऐसे व्यक्ति कार्यरत रहते हैं ,जो कि स्वरोजगार से जीविका निर्वहन करते हैं। ऐसे व्यक्ति अवकाश समय पर अपनी सेवा दे सकते हैं। जिससे बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं, जैसे–

	बढ़ई, लोहार,कृषक, कुम्हार, टोकरी बनाने वाले आदि।
6 विषय विशेषज्ञ के रूप में।	6. समुदाय के पढ़े–लिखे लोगों को केन्द्र में विषय विशेषज्ञ के रूप में बुलाये। वे अपना कार्य के अलावा खाली समय में केन्द्र में आकर किसी भी विषय जैसे– हिन्दी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत कला, चित्र कला आदि S.R.T.C केन्द्र को सहयोग दे सकते हैं तब हम उन्हें पारिश्रमिक देकर भी बुला सकते हैं।
7. प्रचार–प्रसार में सहयोग।	7. प्रचार–प्रसार में समुदाय का सहयोग अधिक से अधिक लिया जा सकता है। जैसे : 1. ग्राम सभा में शिक्षा के महत्व को समझने। 2. जागरण रैली में। 3. नुक्कड़ नाटक में उनकी सहभागिता लेकर।
8. बीहड़ क्षेत्र में पहुंच	8. बीहड़ इलाके जो हमारी पहुँच से बहुत दूर होती है इन इलाको के जागरूक लोगों के माध्यम से शिक्षा एवं S.R.T.C से लोगों को जोड़ा जा सकता है।
9. संवेदनशील क्षेत्र में पहुंच।	9. समुदाय के लोग समस्याओं के बाद भी जनसम्पर्क में हमारी मदद कर सकते हैं।
10. सामाजिक कार्यकर्ता	10. ग्राम, मोहल्ले में ऐसी समितियाँ होती हैं जो सामुहिक कार्य करती है , जैसे– युवा समिति, क्रीडा समिति, ग्राम विकास समिति, गणेश समिति, दुर्गा समिति, मानस मण्डली आदि के कार्यकर्ताओं का अपना स्थान होता है वे अपने कार्य कुशलता से शिक्षा के विकास में मदद करते हैं।
11. जातिय प्रमुख	11. किसी भी जाति में चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी एक मुखिया या सम्मानीय व्यक्ति अवश्य होता है। उनसे चर्चा करेंाये व्यक्ति अपने जाति के विकास हेतु S.R.T.C का सहयोग कर सकते हैं।
12. राजनीतिक पकड़	12. गाँव में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते है। उनका किसी खास क्षेत्र पर अच्छा प्रभाव होता है, सम्मान होता है। उससे अपनी बात कहकर शिक्षा से जोड़ सकते हैं।

00000

17 मॉनीटरिंग एवं समीक्षा बैठक

उद्देश्यः–

– S.R.T.C केन्द्रों के सफल संचालन के लिए।

– समय सीमा में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए।

– कठिनाइयों को पहचान पाने के लिए।

– कठिनाइयों को दूर करने के लिए।

मानिटरिंग के क्षेत्र–

1. प्रशासनिक 2. अकादमिक

1. एस.सी.ई.आर.टी.के फेकेल्टी मेम्बर
2. निर्देशित सदस्य
3. तकनीकी एवं अनुसमर्थन समूह टी.एस.जी।

राज्य स्तर

जिला स्तर

DEO DPC AC DIET PRINCIPAL

विकास खण्ड स्तर

BEO BRCC SUPPORTIVE TEACHER

संकुल स्तर

CAC CRC SRTC

मानिटरिंग के बिन्दु

प्रशासनिक पहलू

1. SRTC/ NSRTCखुले हुए पाए गये – हाँ / नहीं

2 सभी शिक्षक/अनुदेशक उपस्थित पाए गये – हाँ / नहीं

3 बच्चों की कुल दर्ज संख्या –

4 बच्चों की उपस्थिति संख्या – उपस्थित–––––––अनुपस्थित–––––––

5 बच्चे गणवेश में उपस्थित है –

भवन व्यवस्था

1 बच्चों के अध्ययन हेतु पर्याप्त कक्ष है – हाँ/नही

2 पृथक शयनकक्ष है – हाँ/नही

3 रसोईकक्ष है – हाँ/नही

4 स्टोर रूम (SRTC कें लिए) उपलब्ध है – हाँ या नही

5 शौचालय है – हाँ/नही

6 शौचालय साफ सुथरा है एव उपयोग हो रहा है – हाँ /नही

अनुदेशक संख्या/उपस्थिति

1 केन्द्र में पर्याप्त अनुदेशक है – हाँ/ नही

2 अनुदेशक प्रशिक्षित है हाँ तो कितने दिनो का प्रशिक्षण लिए हैं?

3 अनुदेशक प्रतिदिन केन्द्र में समय पर आते है – हाँ/नही

4 अनुदेशक प्रतिदिन अध्ययन कराते है – हाँ/नही

5 प्राप्त सामग्री का उपयोग अध्यपन में करते है – हाँ/नही

6 केन्द्र प्रमुख विषय विशेषज्ञ शिक्षक/व्यक्ति को समय समय पर अध्यपन के लिए आंमत्रित करते है हाँ/नही

7 आमंत्रित विशेषज्ञ शिक्षक के आने से निम्न में क्या परिवर्तन आया –

1 बच्चों में 2 शिक्षक में

अकादमिक पहलु

शिक्षण

1. अनुदेशक प्रतिदिन अध्यापन करते हैं ?
2. प्राप्त सामग्रीयों का उपयोग हो रहा है ?
3. बच्चे के स्तर में सुधार हो रहा है ?
4. बच्चे चर्चा में भाग ले रहे है ?
5. अनुदेशकों को विषय वस्तु की समझ है या नही ?
6. प्रत्येक विषय का अध्यापन प्रतिदिन होता है ?
7. अनुदेशक ने कोई नवाचार किया है या नही , यदि हां तो उसका विवरण लिखयें
8. क्या बच्चों की समस्याओं का निदान अनुदेशक करते है ?

पंजी संधारण

1. प्रत्येक बच्चे के लिए प्रोफाइल बनाया गया है
2. उपस्थिति पंजी बनाया गया है एंव उनका संधारण प्रतिदिन होता है
3 मूल्यांकन पंजी/प्रपत्र बनाया गया है एंव उनका संधारण प्रतिदिन किया जाता है

बच्चों की सहभागिता

1. अध्यापन के दौरान बच्चों की सहभागिता होती है ?
2. बच्चे अपनी समस्याओं को अनुदेशकों के समक्ष रख पाते है ?
3. बच्चों ने चित्र, कहानी,कविता इत्यादि कोई सामग्री का निमार्ण किया है?
4. बच्चों को समयानुसार खेल करवाते है ?

सामुदायिक सहभागिता

1. माताएं, काहानी सुनने के लिए आती है ?
2. स्थानीय कामगारों को बच्चों को सीखाने के लिए बुलाया जाता है ?
3. अभी तक कितने कामगारों को बुलाया गया है ?
4. समुदाय के लोग केन्द्र का अवलोकन करते है, यदि हां तो माह में कितने बार
5. कैटोलिक टीम ''प्रेरक'' का सहयोग ले रहे है ?

0000

18 व्यावसायिक कौशल

उद्देश्य :

1. अधिकारियों को व्यावसायिक शिक्षा से परिचित करना।
2. SRTC में आने वाले बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के महत्व से परिचित कराना।
3. व्यावसायिक शिक्षा संबंधी केन्द्रों की जानकारी देना।
4. व्यावसायिक शिक्षा हेतु सहयोग देने के लिए प्रेरित करना।

आवश्यकता क्यों ?

1. SRTC में आने वाले बच्चे अक्सर कामकाजी होते हैं।
2. ऐच्छिक या अनैच्छिक रूप से ये बच्चे कार्य में लगे रहते हैं।जैसे :– झिल्ली–पन्नी बीनना, होटल, ढाबों में कार्य, रेल्वे प्लेटफार्म, बस स्टैण्ड या अन्य जगहों पर कलाबाजी दिखाना इत्यादि।
3. कई बच्चों के परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं।ये अपने बच्चों के परिवार के लिए आय के स्रोत मानकर इनकी शिक्षा के प्रति उदासीन हो जाते हैं।
4. ऐसे बच्चों में उम्र से अधिक कार्य करने की रुचि एवं क्षमता ज्यादा होती है व पढ़ाई से दूर होने लगते हैं।

प्रयास :–

1. ऐसे बच्चों को लघुउद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तकला के कार्य, मैकेनिकल कार्य की जानकारी शिक्षा के साथ दी जाए।
2. इन्हें सृजनात्मक क्षमता विकास के प्रति शालाओं में प्रारंभिक जानकारी दे दी जाए तो उन्हें आगे शिक्षण के पश्चात् स्वरोजगार का जरिया मिल जाएगा।
3. ऐसे प्रयास से निश्चित तौर पर इन बच्चों में शिक्षा के प्रति एक विश्वास का भाव जागृत होगा।

समुह–1 खनिज आधारित उद्योग

1. कुटीर कुम्हारी उद्योग

समूह – 2 वनाधारित उद्योग

1. कागज निर्माण।
2. कत्था निर्माण।
3. गोंद और रेजिन निर्माण।
4. लाख निर्माण।
5. कुटीर. दियासलाई उद्योग, पटाखे और अगर बत्ती निर्माण।
6. बाँस और बेंत कार्य।
7. कागज के प्याले,तस्तरी, झोले और कागज के डिब्बों का निर्माण।
8. कापियों का निर्माण, जिल्द साजी, लिफाफा निर्माण रजिस्टर और कागज से बनाई जाने वाली अन्य लेखन सामग्रियाँ
9. खस पट्टी और झाड़ू निर्माण।
10 वनोत्पादों का संग्रह प्रशोधन और पैकिंग।
11 फोटी जड़ना
12 जूट उत्पादों का निर्माण(रेशा उद्योग के अंर्तगत)

समूह– 3 कृषि आधारित और खाद्य उद्योग

1. अनाज,दाल ,मसाला, चटपटे, मसाले आदि का प्रशोधन पेंकिग और विपणन।
2. नूडल निर्माण
3. विद्युत चालित आटा चक्की का उपयोग संबंधी कार्य
4. दलिया निर्माण।
5. धान/चावल छिल्का उतारने की छोटी ईकाई
6. ताड़–गुड़ निर्माण और अन्य ताड़ उत्पाद उद्योग।
7. गन्ना, गुड़, और खांड सारी निर्माण।
8. भारतीय मिष्ठान्न निर्माण।
9. रसवंती – गन्ना रस पान इकाई
10 मधु मक्खी पालन।

11 अचार सहित फल और सब्जी का प्रशोधन परीक्षण एवं डिब्बा बंदी।

12 घानी तेल उद्योग

13 मेथाल तेल

14 नारियल जटा के अलावा रेशा से बनी वस्तुओं का निर्माण

15 औषधि कार्यों के लिए जड़ी बुटियों का संग्रह

16 मक्का और रागी का प्रशोधन

17. काजु प्रशोधन

18. पशु चारा एवं मुर्गी चारा निर्माण,

समूह– 4 बहुलक और रसायन आधारित उद्योग

1. कुटीर साबुन उद्योग।

3. रबर की वस्तुओं का निर्माण।

4. रेग्जिन, पीवीसी से बने उत्पादन।

5. मोमबत्ती कपूर और मोहर वाली मोम का निर्माण।

6. प्लास्टिक की पैकिंग व प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्माण।

7. बिन्दी निर्माण

8. मेंहदी निर्माण

9. शैम्पू निर्माण।

10 केश तेल निर्माण।

11 डिटर्जेंट और धुलाई पावडर निर्माण।

समूह–5 इंजीनियरिंग और गैर परंपरागत उर्जा

1. बढ़ईगिरी।

2. लोहारी।

3. एल्युमिनियम के घरेलू बर्तनों का उत्पादन।

4. गोबर और अन्य उत्पादों का पुनः उपयोग।

5. कागज पिन क्लिप, सेफ्टी पिन आदि का निर्माण।

6. केंचुआ पालन तथा कचरा निपटारा।

7. सजावटी बल्ब, बोतल, ग्लास आदि का निर्माण।

8. छाता उत्पादन।

9. सौर तथा पवन उर्जा उपकरण निर्माण।

10 हस्त निर्मित पीतल के बर्तनों का निर्माण।

11. हस्त निर्मित ताँबे के बर्तनों का निर्माण।

12. हस्त निर्मित काँसे के बर्तनों का निर्माण।

13. पीतल, ताँबे और काँसे की अन्य वस्तुओं का निर्माण।

14. रेडियो का निर्माण

15 कैसेट प्लेयर का निर्माण।

16 वोल्टेज स्टेपलाइजर का उत्पादन।

17. इलेक्ट्रानिक घड़ियों और अलार्म घड़ियों का निर्माण।

18 लकड़ी पर नक्काशी और कलात्मक फर्नीचर निर्माण।

19 मोटर वाइंडीग

20 तार की जाली बनाना

21 लोहे की झझरी का निर्माण

22 ग्रामीण यातायात वाहन जैसे हाथ गाड़ी, बैल गाड़ी छोटी नाव, दुपहिया साइकिल, रिक्शा, मोटर युक्त गाड़ियों का निर्माण

23 संगीत साजों का निर्माण

समूह–6 वस्त्रोद्योग(खादी को छोड़कर)

1. लोकवस्त्र का निर्माण

2. होजियरी

3. सिलाई और सिली–सिलाई पोशाक तैयार कराना

4. छींटाकारी।

5. खिलौना और गुड़िया निर्माण

6. धागे का गोला,ऊनी तथा लच्छी निर्माण

7. कसीदा कारी

8. शल्यचिकित्सीय पट्टी का निर्माण

9. स्टोव की बत्तियां

10. दरी निर्माण

11 बुनाई, पारंपरिक पोशाकों से संबंधित कार्य

12 शाल बुनाई

समूह–7 सेवा उद्योग

1 धुलाई

2. नाई

3. नलसाजी

4. बिजली की वायरिंग और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत

5. डीजल इंजनों, पम्प सेटों आदि की मरम्मत

6. टायर वल्कली करण।

8. लाउडस्पीकर, ध्वनि प्रसारक, माइक आदि ध्वनी प्रणालियों को किराये पर देना।

9. बैटरी भरना

10 कला फलक चित्रकारी

11. साइकिल मरम्मत की दुकानें

12 राजगीर

13 बैण्ड मण्डली।

14 केवल गोवा के लिए मोटर युक्त स्थानीय नाव।

15 टैक्सी के रूप में चलने वाली मोटर सायकल।

16 संगीत वाद्य

17 ढाबा (शराब रहित)

18 चाय की दुकान

19 आयोडिन युक्त नमक निर्माण।

क्र	सेक्टर कोर्सेस	MES कोर्सेस की संख्या	क्र.	सेक्टर	MES की संख्या
1	आटोमेटिक रिपेयर	18.	25	सिक्युरिटी	9
2	बैंकिंग एवं एकाउन्टींग	01	26	वूड वर्क	02
3.	ब्युटी कल्चर एण्ड हेयर ड्रेसिंग	09	27	मिडिया	03
4	कारपेट	22	28	फूड प्रोसेसिंग एण्ड प्रीजरवेशन	01
5	केमीकल	14	29	लेदर एण्ड स्पोर्टर्स गुडस	12
6	इलेक्ट्रीकल	18	30	एग्रीकल्चर	28
7	फेब्रिकेशन	11	31	ट्रेवल्स एंड टुरिज्म	09
8	गारमेन्ट मेकिंग	98	32	साफ्ट स्कील्स	03
9	फैशन डिजाइन	21	33	कूरियर एंड लॉजिस्टिकस्	06
10	जैम एण्ड ज्वेलरी	20	34	इन्श्योरेंस	03
11	हास्पिटलिटी	33	35	जूट डाइवर्सिफाईड सेक्टर	20
12	इंफोरमेशन एण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी	28	36 37	जूट प्रोडक्ट सेक्टर फिशरिंग एंड एलाइड सेक्टर	06 16
13	खादी	08	38	फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग	02

14	मेडिकल एण्ड नर्सिंग	25	39	बिजनेस एंड कॉमर्स	08
15	प्लास्टिक प्रोसेसिंग	10	40	मटेरियल मैनेजमेंट	05
16	प्रिंटींग	10	41	पेपर प्रोडक्ट्स	03
17	प्रोसेस इन्ट्रुमेंटेशन	7	42	इंडट्रियल इेक्ट्रिकल	03
18	प्रोडक्शन एण्ड मैनूफेक्चरिंग	08	43	सेरिकल्चर	26
19	रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडिशनिंग	06	44	पोल्ट्री	24
20	रिटेल	02			
21	टॉय मेंकिंग	07			
22	इंडियन स्वीट्स स्नेक्स एण्ड फूड	35			
23	पेंट	06			
24	कंस्ट्रक्शन	19			

00000

'' नयेपन और बदलाव को स्वीकार करना विचारों और संभावनाओं से खेलना, नजरिए का लचीलापन, हर अच्छी चीज को और बेहतर बनाने के बारे में सोचते हुए उसे अपनाने की आदत सृजनशीलता की पहचान है।''

19 चलते–चलते .....

1. आप अपने जिले में SRTC खोलने के लिए क्या करेंगे?
2. RTE के क्रियान्वयन के लिए आप क्या करेंगे?
3. आपके जिले के सभी बच्चे स्कूल में हों इसके लिए आप क्या करेंगे?
4. बच्चों की Main Streaming में आपकी क्या भूमिका होगी?
5. आप अपने जिले की सघन Monitoring के लिए कौन–कौन–से कदम उठाएँगे?
6. बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिए आप अपने जिले में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्य करेंगे?
7. समुदाय को से जोड़ने और उनकी सहभागिता लेने के लिए क्या करेंगे?

0000

'' भँवरे की बनावट उड़ान भरने की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है। किंतु उड़ने का पक्का इरादा लेकर वह उड़ने में सफल हो जाता है।''

– एरोडायना मिक्स

•••

'' वर्तमान शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो बच्चों पर काम के बोझ को कम करें तथा इन्हें सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करें।''

1 आपकी राय में ...

प्र.1. निः शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आपके जिले में हुए कार्यः–

उ. .....

.....

.....

प्र.2. आपके जिले में 6–14 आयु समूह के बच्चों की स्थितिः–(अनुमानित)

कुल बच्चे	शाला में नामांकित बच्चे	अप्रवेशी बच्चे	शालात्यागी बच्चे

प्र.3. ऐसे बच्चे जिनके नाम उपस्थिति पंजी में दर्ज तो है, लेकिन मुद्दती अनुपस्थित हैं। उन्हें आप किस श्रेणी में रखेंगे?

(1) नामांकित बच्चे (2) अप्रवेशी बच्चे

(3) शालात्यागी बच्चे (4) अन्य

उ. .....

.....

प्र.4. यदि आप उपर्युक्त बच्चों का नाम नामांकित बच्चों की श्रेणी में रखते हैं, तो क्या ये बच्चे शिक्षित हो पाएँगे?

उ. .....

.....

प्र.5. इन अप्रवेशी, शाला त्यागी, अध्ययन त्यागी बच्चों की शिक्षा के लिए आपके पास क्या कार्ययोजना है?

उ. .....

.....

प्र.6. क्या आप अपने **BEO, BRCC** के साथ बैठकों में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार की चर्चा करते हैं?

उ. .....

.....

प्र.7. क्या आपके जिले के समस्त संकुल शैक्षिक समन्वयक शालाओं की शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं? अथवा केवल पत्र–वाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं?

उ. .....

.....

प्र.8. क्या आपको अपने जिले के ऐसे शिक्षकों, संकुल शैक्षिक समन्वयकों की जानकारी है, जो **A** ग्रेड में हैं। (अनुमानित)

(1) कुल शिक्षक संख्या ''ए'' ग्रेड के शिक्षकों की संख्या।

.....

(2) कुल संकुल शैक्षिक समन्वयकों की संख्या, ''ए'' ग्रेड के संकुल शैक्षिक समन्वयकों की संख्या

.....

000000

2 SRTC क्या और क्यों

उद्देश्य :

(1) SRTC की जानकारी देना।

(2) SRTC की आवश्यकता एवं महत्व को बताना।

(3) SRTC केन्द्र के प्रति जागरूक करना।

(4) SRTC खोलने हेतु अधिकारियों को संवेदनशील करना।

(5) SRTC के उचित क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहित करना।

RTE और SRTC

RTE की अध्याय 2 की धारा (4) के अनुसार ऐसे बच्चे जो 6 वर्ष से अधिक उम्र के किसी स्कूल में प्रवेश नहीं दिलाया गया हो या प्रवेश दिलाया गया हो लेकिन अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है। तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।

ऐसे बच्चों को जिन्हें उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में सीधे प्रवेश दिया गया है, तो उन्हें दूसरे बच्चों के बराबर आने के लिए विशेष प्रशिक्षण निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने का अधिकार होगा।

SRTC क्या है ? उदाहरणः–

अस्पताल Hospital	SRTC
1. मरीज को Hospital में भर्ती कराना।	1. SRTC में शाला त्यागी बच्चों को सेन्टर में लाना।
2. उसके बीमारी का परीक्षण (पहचान) करना।	2. उन्हें एक पारिवारिक वातावरण देना। बच्चों की समस्याओं व कठिनाईयों का पता लगाना।
3. उसके बीमारी का आवश्यकता अनुसार (स्वस्थ होने तक) ईलाज करना।	3. उसके आयु, स्तर व रूचि के अनुरूप शिक्षा देकर एवं उसके व्यवहार में परिवर्तन कर उनको आयु के शिक्षा देना।
4. स्वस्थ हो जाने पर उसे उसके घर वापस भेजना।	4. बच्चों को शाला में ले जाकर उम्र के अनुसार कक्षा में भर्ती करना।

आवश्यकता क्यों ?

1 प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए।

2 बच्चों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास के लिए।

4 बच्चों के ठहराव व निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए।

5 दूरस्थ एवं सुविधाविहीन क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर उनके विकास को गति देने के लिए।

6 रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड पर आर्थिक उपार्जन करने वाले बच्चों को सेन्टर से जोड़कर शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने एवं एक सामाजिक परिवेश देने के लिए।

7 जूता पॉलिश करने वाले, गाड़ी पोंछने वाले, अपराधिक परिवेश में रहने वाले बच्चों के संतुलित विकास के लिए।

8 धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को विशेष शिक्षा देते हुए उनको उनकी दक्षता/स्तर के अनुरूप पहुँचाने के लिए।

9 ऐसे बच्चे जिनके पालक नहीं हैं, या उनका कोई संरक्षक नहीं है। उनको SRTC के संरक्षण में आयु एवं स्तरानुरूप शैक्षिक व सामाजिक परिवेश एवं पारिवारिक वातावरण देने के लिए।

10 बच्चों को उनकी आयु अनुरूप कक्षा के स्तर तक लाने तथा शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु।

(11) निःशक्त बच्चों को समान अवसर एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए।

कार्य योजना

क्र.	SRTC खोलने हेतु	निगरानी कौन करेगा	कब तक
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....

0000

3 SRTC का प्रचार–प्रसार

उद्देश्य :

1. पालकों एवं अधिकारियों को जागरूक बनाने हेतु।
2. केन्द्र से शिक्षा एवं सुविधाओं की जानकारी हेतु।
3. शिक्षा के अधिकार कानून को जन–जन तक पहुँचाने।

प्रचार–प्रसार के क्षेत्र–

1. जनसम्पर्क :

SRTC संचालन हेतु इनकी जानकारी जन–जन तक पहुँचाना आवश्यक है। जिसमें पंच–सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य आदि जन प्रतिनिधियों को SRTC केन्द्रों की गतिविधि एवं शासन के उद्देश्यों की जानकारी होना आवश्यक है। ताकि उस क्षेत्र में शाला त्यागी, अप्रवेशी बच्चों की स्थिति से अवगत कराकर उन्हें इस कार्य में सहयोग हेतु प्रोत्साहित कर सकें।

इसके लिए हम ग्राम सभा, जनपद पंचायत, एवं जिला पंचायत की बैठक में बच्चों की स्थिति एवं SRTC के महत्व को चर्चा हेतु रख सकते हैं।

2. सभा का आयोजनः–

ग्राम, वार्ड, चौराहे या शाला में छोटी सभा का आयोजन कर उस क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित करें। उस क्षेत्र में शिक्षा से दूर बच्चे जैसे– झिल्ली–पन्नी बीनने वाले, धन उपार्जन करने वाले, श्रम करने वाले बच्चों की जानकारी का विवरण दें। और उन बच्चों को SRTC केन्द्र तक लाने हेतु आमंत्रित करें।

3. सफल केन्द्रों का भ्रमणः–

हम अपने जन प्रतिनिधियों एवं शिक्षा से जुड़े अधिकारी को उन SRTC केन्द्रों का भ्रमण कराएँ। जहाँ शाला त्यागी, अप्रवेशी बच्चे और अध्ययन त्यागी बच्चे बड़े ही खुशनुमा माहौल में अध्ययन कर रहे हैं तथा शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। साथ ही उन केन्द्रों में सफल संचालन हेतु कितना श्रम किया, कितनी कठिनाईयाँ आईं और उसे उन्होंने किस तरह हल किया, इसकी जानकारी दें।

4. शैक्षिक स्टॉल एवं प्रदर्शनः–

विभिन्न उत्सव, मेला एवं त्यौहारों में शैक्षिक स्टॉल लगाएँ। जिसमें शिक्षण

विधि, शिक्षण सहायक सामग्री एवं सन्दर्भ ग्रंथ आदि का प्रदर्शन हो। बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं का चार्ट, व्यावसायिक शिक्षा की जानकारी एवं SRTC केन्द्र से प्राप्त होने वाले शैक्षिक सफलता के उल्लेख से संबंधित चार्ट का प्रदर्शन, व्यावसायिक शिक्षा से दक्ष बच्चों द्वारा निर्मित हस्त कार्य का प्रदर्शन आदि हो।

5. सफलता की कहानियों का प्रदर्शनः–

जिस बच्चे ने विशेष दक्षता प्राप्त की है या जिस SRTC केन्द्र ने विशेष उपलब्धि प्राप्त किया है। उसी प्रकार जिस विकास खण्ड एवं जिले में SRTC अच्छा कार्य किया हो, उसका अन्य केन्द्र एवं अन्य जिलों में प्रदर्शन।

6. पाम्प्लेट व समाचार पत्र द्वारा–

पोस्टर एवं पाम्प्लेट के माध्यम से शिक्षा के अधिकार की जानकारी देना तथा इसके तहत चलाए जा रहे केन्द्रों की सम्पूर्ण जानकारी, बच्चों को मिलने वाली सुविधा को लिख कर प्रत्येक गली, शहर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि जगहों पर चश्पा करें। साथ–ही–साथ दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से भी प्रचार–प्रसार करें।

7. दूर संचार के माध्यम से, रेडियो, टी.वी के माध्यम से केन्द्रों का प्रचार किया जा सकता है।

8. अन्य विभागों से समन्वय –

विभिन्न विभागों से सम्पर्क करें जैसे– पंचायत, स्वास्थ्य, पुलिस, सहकारिता विभाग आदि से संपर्क कर इस विषय का प्रचार किया जा सकता है। इनके सहयोग से हम उन बच्चों को अपने केन्द्र तक जोड़ सकते हैं।

9. संवेदनशील क्षेत्र में प्रचार–प्रसार–

घने जंगल, पहाड़ी एवं समस्याग्रस्त क्षेत्र में प्रचार–प्रसार टी.वी. रेडियो एवं इन्टरनेट के माध्यम से देवें। हॉट, बाजारों, मेला उत्सव में मशाल रैली निकालें। जन समूह के माध्यम से प्रचार करें। सभा आयोजित करें, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश प्रसारित करें।

10. फ्लैक्स बोर्ड चौक चौराहों पर लगाएँ।

11. कलेण्डर– शाला कलेन्डर या शिक्षा कलेन्डर में SRTC संबंधी बातों को जगह देकर घर–घर तक पहुँचाएँ।

12. बस–गाड़ियों में विज्ञापन देकर।

13. दीवारों पर शिक्षा एवं SRTC संबंधी का नारे का लेखन करें।

14. टोपी या टी शर्ट पर SRTC का प्रचार–प्रसार करें।

कार्ययोजना

प्र. यदि आपको SRTC का प्रचार–प्रसार करना है तो, आप और कौन–कौन से तरीकों को अपनाएँगें?

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

0000

---

1. '' जब तक कि व्यक्ति या कार्य करने वाला स्वयं के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया से नहीं गुजरता, तब तक उसके द्वारा बाहरी वातावरण में परिवर्तन या तो बहुत कम या बिल्कुल नहीं लाया जा सकता। बाहरी व्यवहार में परिवर्तन, स्वयं अंदरूनी विचार मंथन के परिणामों की अभिव्यक्ति मात्र है। ''

2. '' शिक्षक कभी साधारण नहीं होते, प्रलय और निर्माण की गोद में खेला करते हैं ''

• चाणक्य

SRTC खोलने हेतु कार्य योजना

बच्चों का चिन्हांकन	स्थल का चयन	भवन की व्यवस्था	कार्यकर्ता का चयन	केन्द्र प्रभारी, अनुदेशकों व प्रेरक प्रशिक्षण	बच्चों का SRTC में लाना	ACK के अनुरूप शिक्षण	प्रक्रियाओं की समीक्षा	ACK संतुलित शिक्षण उपरांत शाला से जोड़ना
कौन करेगा								
– केन्द्र प्रभारी – अनुदेशक – प्रेरक – आं. बा. कार्यकर्ता – प्रधान पाठक – सी.ए.सी.	DPC DIET AC BRCC	DPC, DEO DIET AC, DEO BRCC	DPC, DEO AC, DIET BEO, BRCC	SRG	– केन्द्र प्रभारी – अनुदेशक – प्रेरक/लिंक वर्कर – जनप्रतिनिधि	केन्द्र प्रभारी अनुदेशक	(DPC जिला स्तर) (BRC ब्लाक स्तर) (CAC संकुल स्तर) (SRG जिला स्तर)	प्रेरक केन्द्र प्रभारी अनुदेशक
जिम्मेदारी/ निगरानी								
DPC DIET DEO AC SRG BRCC DEO BAC SAC	DPC BRCC	DPC BRCC	DPC DEO AC DIET प्राचार्य	DPC DEO DIET प्राचार्य AC BRCC DEO SRG	DPC BRCC CAC	DPC BRCC SRG	DPC AC DIET प्राचार्य DEO SRG	DIET प्राचार्य DPC DEO AC BRCC BEO SRG
कब तक								

5 SRTC के लिए बच्चों का चिन्हांकन

उद्देश्यः–

1. उन बच्चों को चिन्हांकित करने में सहयोग करने की समझ विकसित करना।
2. RTE के परिप्रेक्ष्य में बच्चों के चिह्नांकन का महत्व बताना।
3. ऐसे बच्चों को main streaming करने के लिए संवेदनशील करना।
4. ऐसे बच्चों के main streaming करने के महत्व का एहसास कराना।

SRTC में किन बच्चों को प्रवेश देंगे ?

2. अनियमित बच्चे :–

ऐसे बच्चे जिनका शाला में दाखिला होने के बाद भी शाला नियमित नहीं आते हैं।

3. धीमी गति से सीखने वाले बच्चे :

ऐसे बच्चे जिनका शाला में दाखिला हो गया है। वे नियमित शाला भी आ रहे हैं। लेकिन वे शाला की समस्त शैक्षिक गतिविधियों में रूचिपूर्वक भाग नहीं लेते। अन्य बच्चों की तरह सामान्य गति से भी सीख नहीं पाते।

इस प्रकार के सभी बच्चों को SRTC में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें सामान्य बच्चों के समान स्तर पर लाकर उनके आयुनुरूप कक्षा में भेज दिया जाएगा।

इसके अलावा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 2 की उपधारा 4 में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए किसी भी शाला में प्रवेश प्राप्त बालक, 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा।

इसका अर्थ यह है कि ऐसा बच्चा जिसका स्कूल में दाखिला हो गया है, परन्तु प्रारंभिक शिक्षा से वंचित है वह 14 वर्ष की उम्र के पश्चात् भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक अनिवार्य शिक्षा का हकदार होगा। जिस बच्चे ने स्कूल में

प्रवेश नहीं लिया है, और उसकी उम्र 14 वर्ष से अधिक है, वह भी 18 वर्ष तक भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का हकदार होगा।

SRTC के लिए बच्चों का चिन्हांकन :

के लिए बच्चों का चिन्हांकन ग्रामीण एवं शहरी दोनों परिवेश में अलग–अलग होगा। क्योंकि इन बच्चों की क्षेत्र विशेष के आधार पर परिस्थितियाँ एवं वातावरण अलग–अलग होता है।

1. ग्रामीण क्षेत्र :

ग्रामीण क्षेत्रों में ये बच्चे अपने माता–पिता के साथ खेतों में काम करते, पशु चराते, घर की रखवाली करते, अपनों से छोटे बच्चों की देखभाल करते मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे अपने परिवार के साथ जीविकोपार्जन के लिए अन्य़ पलायन कर जाते हैं।

2. शहरी क्षेत्र :

इन क्षेत्रों में बच्चे रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हॉटलों में काम करते, कबाड़ बीनते, झिल्ली बीनते तथा दुकानों में काम करते मिल जाते हैं।

3. घूमंतु बच्चे

कुछ ऐसे लोग जो कबीले के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेरा डालकर रहते हैं। ये कुछ दिन एक स्थान में रहने के बाद जल्द ही दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे देवार जाति के लोग, शिकारी जाति के लोग, भटरी जाति के लोग। इनके बच्चों को भी SRTCमें लाना एक बड़ी चुनौती है।

रेलवे स्टेशन में जो बच्चे रहते हैं, उनकी एक अलग दुनिया होती है। नशा करना, असामाजिक कार्य करना तथा यात्रियों से भीख मांगना आदि इनकी दिनचर्या होती है। ऐसे बच्चों के पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उनके अतीत की पूरी जानकारी लेकर उनका चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना होगा। हम सबको इनकी शिक्षा के बारे में संवेदनशील होना होगा। यदि हमने समय रहते इनकी शिक्षा के बारे में नही सोचा, तो ये अपराध के अंधेरे की दुनिया में खो जाएँगे।

3. बालिकाएँ– यदि आप प्राथमिक स्तर पर देखें, तो पता चलता है कि बालक और बालिकाओं की संख्या में विशेष अंतर नहीं होता, परन्तु माध्यमिक स्तर पर

प्रवेशित संख्या में बालिकाओं की संख्या अत्यन्त न्यून हो जाती है। इसका अर्थ है कि माध्यमिक स्तर पर शाला त्याग का दर बालिकाओं का अधिक है।

अतः इस बात का ध्यान रखना होगा कि 6 से 14 वर्ष की बालिकाएँ ना छूटने पाएँ।

कार्ययोजना :–

क्र.	कार्य का नाम	जिम्मेदारी किसकी	पूर्ण कब तक	निगरानी कौन करेगा
1.	बच्चों का चिन्हांकन।			
2.	उन बच्चों का SRTC में प्रवेश।			
3.	उन बच्चों की main streaming			
4	main streaming के पश्चात् भावनात्मक सहयोग।			

00000

6 SRTC का चिन्हांकन

उद्देश्यः–

1. SRTC के चिन्हांकन हो?

मानक	क्या हो? क्या न हो?
1. स्थान की चयन	1. SRTC केन्द्र के लिए ऐसे स्थान का चयन हो जहाँ ACK असंतुलित बच्चों की उपलब्धता हो। 2. ब्लॉक मुख्यालय से नजदीक हो। 3. प्रारंभिक स्थिति में कोई खाली पड़े भवन/घर का उपयोग। 4. स्वतंत्र एवं एकांत माहौल में हो। 5. लगभग 35–40 बच्चों के लिए एक केन्द्र की व्यवस्था हो।. 6. एक से अधिक केन्द्र होने पर एक ही जगह/ज्यादा नजदीक न हो। दो केन्द्रों के मध्य पर्याप्त अंतर हो। 7. शहर/कस्बा/गाँव के भीड़ वाले जगह में केन्द्र का संचालन ना हो।
2. परिवेश का चयन	1. केन्द्र का भवन व परिवेश साफ, स्वच्छ व आकर्षक हो। 2. केन्द्र की दीवारों पर आकर्षक, सरल, एवं शिक्षाप्रद लेख व चित्रकारी हो। 3. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सुविधा हो। 4. बच्चों के आवास और पढ़ने का कक्ष अलग–अलग हो। 5. केन्द्र में दीवाल आदि पर शैक्षणिक/व्यवहार/संस्कार की जानकारी, चित्र/वाक्य के रूप में उल्लेखित हो। 6. केन्द्र के आस–पास असामाजिक तत्वों की उपस्थिति ना हो।
3. सामाजिक वातावरण	1. केन्द्र के समीप समुदाय का भरपुर सहयोग हो। 2. काम काजी पालाकों का केन्द्र में बच्चों के जीवन कौशल हेतु मार्गदर्शन प्राप्त हो।
4. मुख्य शाला	1. केन्द्र के आस–पास प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला की व्यवस्था हो जहाँ समय–समय पर बच्चों को शाला में ले जाया जा सके। 2. प्राथमिक/माध्यमिक शाला की दूरी 1 किलो मीटर से अधिक ना हो।

5. संसाधन के आधार पर	1. केन्द्र का चयन ऐसे स्थान पर SRTC हो जहाँ संसाधनों की उपलब्धता हो। 2. आवागमन का साधन हो। 3. बिजली एवं पानी की पर्याप्त सुविधा हो।
6. व्यावसायिक शिक्षा	1. केन्द्र में बच्चों के जीवन कौंशल से संबंधित व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था हो जैसे – मोटर मैकेनिक, कम्प्युटर का ज्ञान, संगीत कला, चित्र कारिता आदि। 2. केन्द्र में विभिन्न रोजगार मूलक, हस्तकौंशल, इत्यादि कार्यों की विस्तृतसूची का बच्चों के व्यक्तित्व में विकास एवं सृजनात्मक गतिविधियों से संबंधित सहायक शिक्षण सामग्री की उपलब्धता हा
7. अनुभवी शिक्षक	1. SRTC ऐसे स्थान पर हो जहाँ विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता हो और जो समयानुकुल SRTC में आकर अपनी सेवाएं दे। 2. अनुदेशकों को आने वाली समस्याओं का समाधान करें। 3. अनुदेशक बच्चों से मित्रवत् व्यवहार करें 4. बच्चों को भावनात्मक सपोर्ट करें। 5. बच्चों को सुरक्षा का अहसास प्रदान करना

'' हम मंजिलों की बातें मंजिलों पर करेंगे,
अभी तो हमें चट्टानों में रास्ता बनाना है।
जिंदा रहना है तो कारवाँ बनाना है,
जमी की बस्तियों में आसमाँ बनाना है।''

नोट :

1. बच्चों के चिन्हांकन के दौरान अलग–अलग परिस्थितियों के अनुरूप SRTC की व्यवस्था स्वविवेक से की जा सकती है।
2. राज्य, जिला, विकासखण्ड या विभिन्न स्तरों के अधिकारियों का भी समय–समय पर SRTC का अवलोकन किया जाता है।
3. अवलोकन के दौरान केन्द्र प्रभारी, अनुदेशक व बच्चों की उपलब्धियों व समस्या को पहचान कर उचित प्रोत्साहन व समाधान अवश्य दें।

कार्ययोजना

SRTC के चिन्हांकन हेतु आपकी कार्ययोजना है :–

000000

> '' हे वीर हृदय! भारत माँ की युवा संतानों! तुम यह विश्वास रखो कि अनेक महान कार्य करने के लिए ही तुम लोगों की जन्म हुआ है। किसी के भी धमकाने से न डरो, यहाँ तक कि आकाश से प्रबल बज्रपात हो तो भी न डरो। उठा! कमर कसकर खड़े हो और कार्यरत हो जाओ।''
>
> "BE AND MAKE"
>
> • स्वामी विवेकानंद

7 अनुदेशक का चिन्हांकन

अनुदेशकों के चिह्नांकन के समय किन–किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

SRTC के लिए केवल पाठ्यक्रम का निर्धारण कर सामग्री निर्माण एवं उनका वितरण कर देने से शाला से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा नहीं जा सकता, इसके लिए आवश्यक है कि, उन सामग्रियों का समुचित उपयोग हो और उनके समुचित उपयोग के लिए आवश्यक है, योग्य एवं समर्पित अनुदेशकों का चिह्नांकन हो। अतः अनुदेशकों का चिह्नांकन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा।

1. शैक्षणिक योग्यता – अनुदेशक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल सर्टिफिकेट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।
2. निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाले अनुदेशक के न मिलने की स्थिति में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है।
3. पूर्व अनुभव – ऐसे व्यक्ति जिन्हें आर.बी.सी., एन.आर.बी.सी., नाईट सेंटर अनौपचारिकता शिक्षण केन्द्र एवं संपूर्ण साक्षरता अभियान जैसी अन्य योजनाओं में कार्य करने का अनुभव हो, उन्हें अनुदेशकों के चिह्नांकन के समय प्राथमिकता दी जाए।
4. माइक्रो प्लानिंग का अनुभव – ऐसे व्यक्ति जिनको पूर्व में आयोजित सामुदायिक सहभागिता के तहत माइक्रो प्लानिंग कार्य में शिक्षण स्वयं सेवक, कैटोलिक टीम के रूप में कार्य करने का अनुभव हो तो उन्हें प्राथमिकता दी जाए।
5. अनुदेशकों की स्थानीयता – अनुदेशकों का चिह्नांकन करते समय यह ध्यान रखा जाए कि वह स्थानीय क्षेत्र का निवासी हो, स्थानीय भाषा एवं बोली का पर्याप्त ज्ञान हो, उनका चिह्नांकन।

.6 अन्य भाषा का ज्ञान– SRTC केन्द्रों में ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं, जो अन्य किसी राज्य से विस्थापित हो अथवा पलायन करके आए हों। उनकी मातृभाषा भिन्न होगी। ऐसी परिस्थितियों में उन बच्चों की मातृभाषा के जानकार व्यक्ति का चिह्नांकन अनुदेशक के रूप में किया जाए।

7. कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी – अनुदेशकों का चिह्नांकन करते समय इस बात पर ध्यान रखा जाए कि ऐसे व्यक्ति जो कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता हो, स्थानीय लोकनृत्य, लोकगीत एवं लोक संस्कृति की जानकारी रखता हो, उसे प्राथमिकता दी जाए।

8. व्यावसायिक कौशलों का ज्ञान – ऐसे व्यक्ति जिसे स्थानीय स्तर के व्यवसाय एवं कौशलों की पर्याप्त जानकारी हो, जिसके माध्यम से वह बच्चों में अंतरनिहित उक्त व्यावसायिक कौशलों का विकास कर सकें, उसे प्राथमिकता दी जाए।

9. खेलकूद एवं व्यायाम – खेलकूद में विभिन्न स्तरों पर प्राप्त अनुभवों का प्रमाण–पत्रों पर अनुदेशकों के चिह्नांकन में प्राथमिकता दी जाए।

10. बाल मनोविज्ञान की समझ– अनुदेशकों का चिह्नांकन करते समय बाल मनोविज्ञान के प्रमाण–पत्र को ध्यान में रखा जाए। प्रमाण–पत्र के अभाव में प्रतिभागियों से ऐसी गतिविधियाँ करायी जाए, जिनसे बाल मनोविज्ञान की समझ के स्तर का पता चलता हो।

11. सामुदायिक कार्यों में अनुभव – ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सामुदायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभायी हो अथवा वर्तमान में जुड़े हों, शैक्षणिक संस्थाओं में संचालित योजनाओं जैसे– स्काउट एवं गाइड्स, एन.एस.एस., एन.सी.सी. रेडक्रास आदि क्रियाकलापों में अथवा एन.जी.ओ. के रूप में कार्य कर चुका हो, चिह्नांकन के समय प्राथमिकता दी जाए।

12. आयु सीमा – अनुदेशकों का चिह्नांकन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि अनुदेशकों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच हो को प्राथमिकता दी जाए।

13 अनुदेशकों का चिह्नांकन करते समय सतत् शिक्षा कार्यक्रम (साक्षर भारत अभियान) के अनुदेशकों सेवा निवृत्त शिक्षकों, भूतपूर्व सैनिकों आदि को आवश्यकतानुसार प्राथमिकता दी जा जावें।

00000

'' अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएँ।''

8 SRTC के लिए अनुदेशकों को प्रशिक्षण

उद्देश्य –

1. अधिकारियों को अनुदेशक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं से परिचित कराना।
2. केन्द्र के सफल संचालन हेतु अधिकारियों के द्वारा अनुदेशक प्रशिक्षण पर अधिक जोर देना।
3. S.R.T.C में गुणवत्ता युक्त अध्ययन हेतु विषयगत प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना।
4. अनुदेशक प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों को संवेदनशील एवं क्रियाशील बनाए रखना।

विधि – समूह चर्चा –

सभी अधिकारियों को समूह चर्चा के लिए समूह में विभक्त करना।

समूह चर्चा के लिए शीर्षक –

समूह चर्चा के लिए शीर्षक निम्नलिखित हैं –

1. क्या अनुदेशकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यदि हाँ तो क्यों? और यदि नहीं तो क्यों?
2. अनुदेशकों का प्रशिक्षण किन–किन बिन्दु पर हो?
3. अनुदेशकों के प्रशिक्षण पूर्व क्या–क्या तैयारियाँ हो?
4. प्रशिक्षण को गुणवत्ता युक्त बनाने हेतु कौन–कौन सी गतिविधियाँ होनी चाहिए?
5. प्रशिक्षण के तुरंत पश्चात् संचालन एवं बच्चों के शिक्षण के लिए किस तरह की रणनीति हो?

संभावित उत्तरः–

समूह–1

हाँ, क्योंकि

1. अनुदेशकों को अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक बनाने के लिए।
2. शिक्षण कार्य से जोड़ने के लिए।
3. S.R.T.C के कुशल प्रबंधन एवं संचालन के लिए।

4. अनुदेशकों के अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए।

समूह–2

1. बच्चों के चिन्हांकन की प्रक्रिया पर।
2. शिक्षण प्रक्रिया पर।
3. प्रबंधन पर।
4. बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए।

समूह–3

1. प्रशिक्षण कक्ष, आदेश/निर्देश उचित समय में अनुदेशकों को जानकारी देना।
2. सामग्री– स्टेशनरी, संदर्शिका, किट।
3. आवासीय व्यवस्था।
4. प्रायोगिक कार्य के लिए परिवहन व्यवस्था।
5. प्रशिक्षक एस. आर.जी तैयार करना

समूह–4

1. सभी लोगों की भागीदारी हो।
2. प्रशिक्षार्थी पूरे समय कक्ष में हो।
3. प्रशिक्षार्थी की भागीदारी हो।
4. प्रशिक्षार्थी को अपना विचार रखने का मौका दें।
5. प्रशिक्षार्थियों के कठिनाइयों का चिन्हांकन का समाधान करें।
6. व्यक्तित्व विकास पर भी चर्चा की जाए।
7. विभिन्न रोज की गतिविधियाँ कराई जाए।

जैसे–1 खेल विधि।

2. प्रश्न विधि।
3. एकांकी विधि, कहानी विधि।
4. समय सारणी का उचित उपयोग हो।
5. प्रतिदिन प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद प्रशिक्षणार्थियों की समीक्षा।

समूह–5

1. कक्षा शुरू करने हेतु सर्पोट।
2. निरंतर मॉनिटरिंग।
3. समीक्षा बैठक।
4. लगातार उन्मुखीकरण।

अनुदेशक प्रशिक्षण की आवश्यकता

1. ''आयु के अनुरूप कक्षा एवं कक्षा के अनुरूप शिक्षा जैसी– व्यवस्था से अलग बच्चों की वस्तुस्थिति को जानना, समझना व कार्य करना'' इस हेतु अनुदेशक को तैयार करना।
2. चूँकि अनुदेशक विशेष रूप से अनुभवी नहीं होंगे, इसलिए उन्हें अध्यापन परिवेश से जोड़ना।
3. SRTC एक आवासीय व्यवस्था होगी। शासकीय शालाओं की व्यवस्था, शिक्षक व बच्चों की स्थिति में यहाँ चुनौतीपूर्ण माहौल होगा, ऐसी परिस्थिति में कार्य करने हेतु सक्षम बनाना।
4. SRTC में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के संवेदनशील बच्चे होंगे, जिनमें एक साथ समन्वय बिठाना महत्वपूर्ण है – इस हेतु तैयार करना।
5. पालक, समुदाय व स्कूली शिक्षक के संपर्क में रहकर SRTC के बच्चों को ACK के अनुरूप बनाने में सक्षम करना।

प्रशिक्षण की रणनीति :

1. 15/20 ACK बच्चों के लिए 1 अनुदेशक का चयन।
2. चयन में प्राथमिकता ऐसे व्यक्ति को दें जो स्वयं 15/20 ACk असंतुलित बच्चों की तलाश कर SRTC में प्रवेशित कराएँ।
   - अ. ऐसे युवक/युवती जो न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण हो।
   - ब. जिनकी शैक्षणिक कार्य में रुचि हो।
   - स. समाज को नई दिशा देने का जज्बा/समन्वयवादी, उत्साही, आशावादी और सूझबूझ वाले हो।
3. अनुदेशकों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्धारिण।

4. प्रशिक्षण के प्रबंधकीय कार्य हेतु जिम्मेदारी सौंपना।

5. प्रशिक्षक एवं उनके संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्धारण।

6. आवास, भोजन, प्रशिक्षण सामग्री एवं किट की।

7. अवलोकन व प्रायोगिक कार्य हेतु MGML शाला व SRTC का चयन।

8. MGML शाला व SRTC तक लाने, ले जाने हेतु वाहन की व्यवस्था।

9. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण की गुणवत्ता व विभिन्न पहलुओं के अवलोकन हेतु मॉनीटरिंग टीम का गठन।

10. प्रशिक्षण के अंतिम दिवस अनुदेशकों के सीखने के लिए अपेक्षित उद्देश्य की समीक्षा।

11. प्रशिक्षण की सफलता एवं कठिनाईयों की रिपोर्टिंग।

0000

'' यह विश्वास करो कि तुम परिवर्तन कर सकते हो और
तुम परिवर्तन कर लोगे। ''

•

'' हम दरिया है, हमारे पास भी हुनर है, कि जिस ओर
भी चल पड़ेंगे, रास्ता हो जाएगा।

---

9 प्रेरक की भूमिका

उद्देश्य –

- SRTC / पालक / बालक / समुदाय के बीच सेतु के रूप में।
- अधिकारियों का अनिवार्य रूप से लिंक वर्कर चयन हेतु प्रोत्साहित करना।
- अधिकारियों को SRTC में लिंक वर्कर की भूमिका से अवगत कराना।
- लिंक वर्कर का अधिकारियों के साथ सीधा संपर्क।

प्रेरक चयन करते समय ध्यान देने योग्य बिन्दु :–

1. निरंतर Monitoring कर सकें
2. अच्छा समन्वयकर्ता हो
3. अभिव्यक्ति क्षमता सशक्त हो
4. अनुशासन प्रिय हो।
5. साहसी एवं ईमानदार हो।

प्रेरक की भूमिका

- ACK असंतुलित बच्चे का चिह्नांकन कर SRTC में नामांकित करना।
- ACK असंतुलित बच्चों के विषय में समुदाय को जानकारी देना व चर्चा करना
- ACK असंतुलित बच्चों की प्राथमिक समस्याओं को चिन्हित कर उसका निराकरण करना।
- बच्चों को पारिवारिक वातावरण देकर आत्मविश्वास बढ़ाना।
- SRTC के समीपस्थ विद्यालय से संपर्क स्थापित कर ACK अंसतुलित बच्चों को विद्यालय से जोड़ना।
- SRTC की व्यवस्था एवं संचालन में सहयोग करना।
- व्यावसायिक क्षेत्र में कार्य करने वाले जैसे – बढ़ई, लोहार, कुम्हार, किसान आदि को केन्द्र एवं बच्चों से संबंध स्थापित करना।
- SRTC के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके बच्चों का सतत् संपर्क बनाए रखना।
- स्थानीय स्रोत व्यक्तियों को आमंत्रित कर शिक्षण कार्य में सहायता लेना।

- शाला में बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्री, अभिनय आदि का प्रदर्शन कर, इस प्रदर्शन के समय माता–पिता और समुदाय के व्यक्तियों को आमंत्रित करना।
- SRTC में हो रहे अच्छे कार्यों को समाज को बताना।
- SRTC केन्द्र से संतुलित बच्चों को शाला तक वापस भेजना।

SRTC समुदाय और शाला के मध्य अच्छे संबंध बनाने के लिए सेतु के रूप में कार्य करना।

00000

'' जब कोई मिशन प्रगति पर हो तो कुछ न कुछ समस्याएँ अथवा असफलताएँ सामने आएंगी ही किंतु असफलताओं के कारण कार्यक्रम बाधित नहीं होना चाहिए। नेता को उस समस्या पर नियंत्रण रखना होता है, उसका अंत करना होता है तथा सफलता की दिशा में टीम का नेतृत्व करना होता है। ''

10 SRTC का प्रबंधन

उद्देश्य :–

1. SRTC प्रबंधन के महत्व को जानना।
2. SRTC में शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।
3. SRTC में प्रबंधन को निरन्तर बनाए रखने की समझ विकसित करना।
4. SRTC बच्चों के ठहराव हेतु सशक्त प्रबंधन की व्यवस्था करना।

आवश्यक सामग्री :– कोरा कागज, ड्राइंगशीट, मार्कर, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, चॉक आदि।

गतिविधि :–

1. प्रशिक्षक प्रतिभागियों का ग्रुप विभाजन करेंगे। प्रत्येक ग्रुप में कम से कम 6 प्रतिभागी होगें।
2. नीचे लिखे बिन्दुओं की पर्ची प्रत्येक समूह को एक–एक निकालने कहेंगे।
   - A. आप अपने नए घर–परिवार की सुव्यवस्थित संचालन के लिए क्या–क्या करेंगे?
   - B. SRTC संचालित होने वाले स्थान में क्या–क्या सुविधाएँ होनी चाहिए?
   - C. SRTC के सफल संचालन में किन–किन व्यक्तियों, संस्थाओं की आवश्यकता होगी?
   - D. SRTC में आवास भोजन के साथ किन–किन गतिविधियों को संचालित करने की आवश्यकता है?
   - E. SRTC में बच्चे कब पूरे मन के साथ ठहरेंगे?
3. प्रतिभागी समूह में चर्चा कर ड्राइंगशीट में लिखेंगे।
4. प्रतिभागियों द्वारा कक्ष में समूहवार प्रस्तुतीकरण किया जावेगा।
5. मुख्य बिन्दुओं को प्रशिक्षक बोर्ड में लिखते जायेंगे।

प्रशिक्षक कहेंगे कि, आइये अब हम SRTC के प्रबंधन के संबंध में आगे चर्चा करते हैं –

4. बच्चों का गणवेश साफ सुथरा हो।

5. सिलाई, मशीन, सुईधागा, बटन आदि का व्यवस्था ताकि कटे–फटे कपड़े की सिलाई हो सके।

विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र का बाहरी वातावरण

1. केन्द्र परिसर एवं भवन स्वच्छ एवं आकर्षक हो। केन्द्र वृक्षारोपण की दीवारों पर आकर्षक एवं शिक्षाप्रद चित्रकारी हो।

2. केन्द्र परिसर में वातावरण को स्वच्छ रखने हेतु वृक्षारोपण एवं फूलदार पौधे का रोपण किया जाए।

3. पौधों को सुरक्षित रखने हेतु बच्चों को प्रेरित करते हुए कार्य विभाजन किया जाये।

4. केन्द्र परिसर एवं भवन को स्वच्छ एंव आकर्षक बनाने हेतु सामुदायिक सहभागिता लिया जाये।

केन्द्र के कक्षों की स्थिति

1. कम से कम दो अध्ययन कक्ष होना चाहिए। जिसमें बच्चों के बैठने हेतु कुर्सी, टेबल, चटाई की व्यवस्था हो।

2. कक्षा की प्रतिदिन सफाई हो।

3. कक्षा हवादार एवं प्रकाशयुक्त हो।

4. कक्षा शिक्षकों एवं बच्चों के आपसी सहयोग से सजी हुई हो।

5. प्रत्येक कक्ष का नामकरण हो (एकलव्य, विवेकानंद आदि.....)

6. कक्षा के बाहर पैरदान रखा हो।

7. कमरे में डस्टबीन को उपलब्धता हो।

8. कक्षा के बाहर जूता रखने का व्यवस्थित एवं उचित प्रबंध हो।

9. कक्षा में आवश्यक सामग्री रखने हेतु आलमारी एवं रैक की व्यवस्था हो।

10. छात्रों की बैठक व्यवस्था परिवर्तनशील हो।

11. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उचित व्यवस्था हो।

12. कक्षा में साऊण्ड बॉक्स लगा हो जिसमें शैक्षिक गतिविधि कम्प्यूटर के माध्यम से जुड़ा हुआ हो।

13. अध्ययन कक्ष में दीवारों पर आमने सामने दो श्यामपट की व्यवस्था हो। श्यामपट का आकार 6/4 फीट का हो।

14. कक्षा में दर्पण, कंघी, नेलकटर एवं नेपकीन रखा हो।

15. कक्षा में शिक्षक व बच्चों द्वारा बनाये गये एवं प्रिंटेड शैक्षिक चार्ट लगा हो।

16. कक्षा के छत (सिलिंग) पर शैक्षिक चित्रकारी जैसे – सौर मण्डल एवं आकाशीय घटनाओं से संबंधित हो, जिसमे रेडियम का उपयोग हो।

17. कक्षा के दीवारों का उपयोग शैक्षिक रूप से हो जैसे – कहानियाँ, कविता, पर्यावरण से संबंधित चित्र, बाहरी दीवार पर समय विभाग चक्र, आवश्यक जानकारी के चार्ट टंगे हों।

18. कक्षा में रनिंग बोर्ड MGML के अनुरूप हो।

19. कक्षा में वालपेपर का प्रकाशन नियमित रूप से हो।

20. कक्षा में बच्चों का उपस्थिति पत्रक लगा हो।

21. कक्षा में बच्चों के बैठने के साथ सहायक सामग्री उपलब्ध हो।

22. कक्षा का फर्श टूटे–फूटे न हो। दीवार डिस्टेम्पर से पुताई किया हुआ हो।

23. कक्षा के दरवाजे का उपयोग गणितीय कोण के लिए हो।

24. कक्षा में प्रोजेक्टर हो।

25. अध्ययन कक्ष में बस्ता ले जाने की आवश्यकता नहीं हो।

26. पाठ्य सामग्री व्यवस्थित हो।

27. MGML सृजन कक्ष का निर्माण रैक, ट्रै, चटाई, लेडर समूह थाली व्यवस्थित एवं यथोचित स्थान पर लगी हो।

28. SRTC में लाइब्रेरी हो, जहाँ बच्चे स्व–अध्ययन कर सकें।

केन्द्र के अभिलेखों का रखरखाव एवं संधारण की स्थिति :

(1) समस्त प्रकार के अभिलेखों का नियमित रूप से संधारण हो।

(2) समस्त अभिलेखों के संधारण हेतु जिम्मेदारी तय हो।

(3) भोजन संबंधी अभिलेख का भी संधारण नियमित रूप से हो।

(4) केन्द्र में उपस्थिति पंजी, स्वास्थ्य पंजी, परीक्षा पंजी, निरीक्षण पंजी, आवक–जावक पंजी, वित्तीय पंजी, भ्रमण पंजी, आगंतुक पंजी, दानदाता पंजी, पाठकान पंजी,

कार्यक्रम पंजी, बैठक कार्यवाही पंजी, स्टॉक पंजी अनिवार्य रूप से हो।

पेय जल एवं शौचालय :

1. केन्द्र में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था एवं उसके सुव्यवस्थित देखरेख की स्थिति।
2. शौचालय की सुविधा बालक व बालिका हेतु अलग–अलग हो।
3. पेयजल एवं शौचालय की साफ–सफाई एवं सुरक्षा के लिए कर्त्तव्य निर्धारण हेतु बच्चों की समितियों का निर्माण कर किया जाना चाहिए।
4. शौचालय के बाहर दर्पण, वॉश बेसिन, साबुन, तौलिया की व्यवस्था हो।
5. शौचालय में टाईल्स लगा हुआ हो।

शैक्षिक प्रबंधन :

1. प्रक्रियाओं से कार्डों के द्वारा पढ़ाई की जावेगी।
2. विषय शिक्षक हेतु केन्द्र में आउट सोर्सींग की जाए।
3. पुस्तकालय निर्माण बच्चों के रूचि, स्तर, के अनुसार पुस्तकों का संकलन बच्चों के द्वारा स्वमेव संचालन किया जाए तथा पुस्तकालय का संचालन भी बच्चों द्वारा की जाए।
4. पुस्तक वाचन हेतु निश्चित समय निर्धारण किया जाए।

किचन शेड की साफ–सफाई मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था :

1. केन्द्र में किचन शेड धुंआ रहित हो।
2. सभी खाद्य सामग्री डिब्बों में बंद कर रखे गए हों।
3. सामान हेतु रैक बना हो।
4. किचन में डस्टबीन हो।
5. किचन में बर्तन धोने हेतु साफ जगह हो।
6. हाथ धोने एवं पानी भरने के लिए दो नल की व्यवस्था हो। स्वच्छ बर्तन में खाना परोसा जाता हो, खाना खाने का स्थान भी स्चच्छ हो।

कक्षा के बच्चों का स्वास्थ्यगत प्रबंधन एवं जागरूकता :

1. बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की जाँच अनुदेशकों/शिक्षकों के द्वारा समय–समय पर की जाती हो।

2. कम–से–कम तीन महीनों में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर/कार्यकर्त्ता द्वारा किया जावे।

3. बच्चों का हेल्थ चेक अप कार्ड बना हुआ हो एवं नियमित रूप से संधारित हो।

4. वजन मापक यंत्र एवं ऊंचाई मापक यंत्र की व्यवस्था हो।

5. तापमान यंत्र की व्यवस्था हो।

6. First Aids Box की व्यवस्था हो।

7. केन्द्र में कंघी, दर्पण, नेलकटर, तौलिया की व्यवस्था हो।

8. डंडेदार लोटे की व्यवस्था हो।

कक्षागत अन्य गतिविधियाँ :

1. केन्द्र में पाठ्य सहगामी गतिविधियों आयोजित होती हों, जिसमें सभी बच्चे भाग लेते हों।

2. छात्रों को अपना व्यक्तिगत हुनर को प्रदर्शन करने का एवं इसे संवारने के अवसर केन्द्र में मिलता हो।

3. विभिन्न महापुरूषों की जयंतियाँ मनाई जाती हों।

4. सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद–विवाद, प्रश्नोत्तरी/अंताक्षरी एवं चित्रकला का आयोजन करना।

5. नाचा, खेलकूद, योगा, व्यायाम नियमित हो।

6. साहित्यिक गतिविधि का आयोजन हो।

7. प्रत्येक केन्द्र में एक संगीत शिक्षक आऊट सोर्सिंग से की जावे।

आप अपने SRTC के सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करें :

0000

11 SRTC केन्द्र में बच्चों का ठहराव

उद्देश्य :

1. ठहराव के लिए संवेदनशील बनाना।
2. बच्चों का ठहराव कैसे हो। उनके विभिन्न पहलुओं का एहसास कराना।
3 उन बच्चों के ठहराव के लिए नये पहलुओं की तलाश करना।

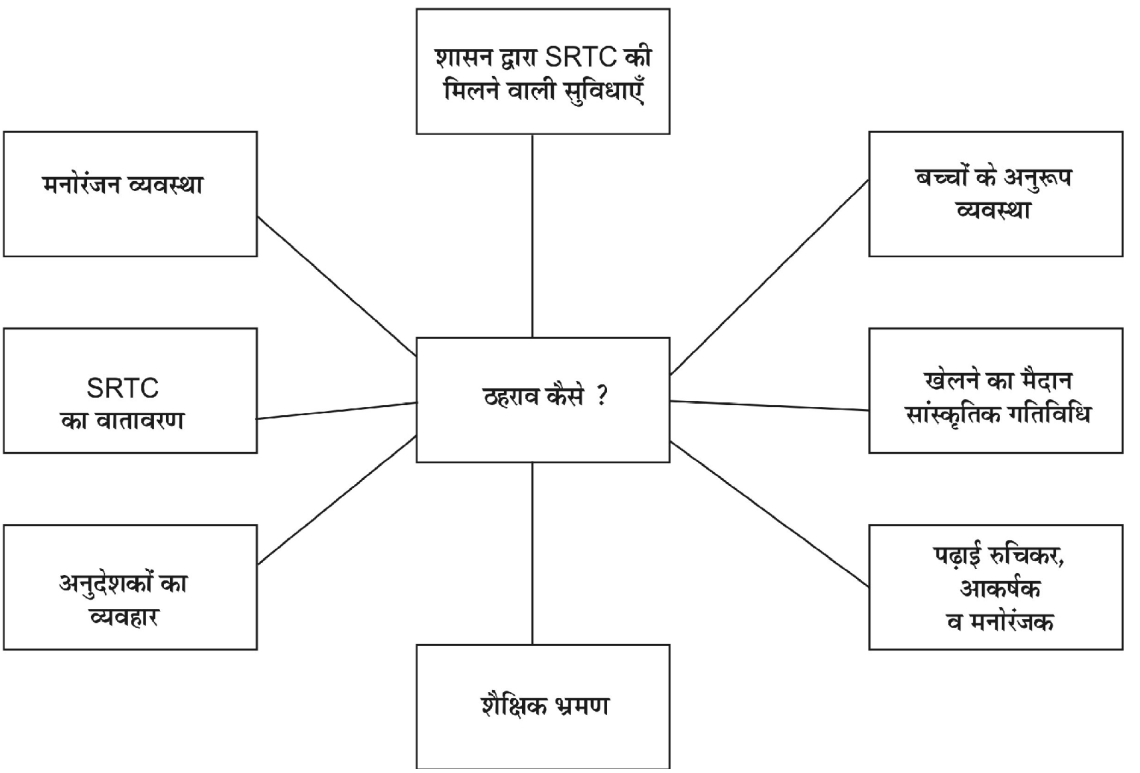

SRTC में बच्चों का ठहराव कैसे हो ?

1. बच्चों के अनुरूप व्यवस्था–

   SRTC में बच्चों के लिए पौष्टिक एवं संतुलित भोजन की व्यवस्था हो, जिससे बच्चे कुपोंषण का शिकार ना हो।

2. उचित मनोरंजन के साधन :

   बच्चों के मनोरंजन के लिए एवं उनके मन को स्फूर्ति प्रदान करने के लिए गतिविधियाँ करायी जाए। इसके लिए उचित संसाधन उपलब्ध हो जैसे– टी.वी म्यूजिक प्लेयर खिलौना आदि।

3. खेलने का मैदान :

SRTC में बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त स्थान हो। जहाँ बच्चे अपने मन पसंद खेलों एवं गतिविधियों को कर सके।

4. अनुदेशकों का व्यवहार :

अनुदेशकों का बच्चों के साथ मित्रवत् व्यवहार हो। अनुदेशक उन बच्चों के साथ स्नेह व प्रेम पूर्ण व्यवहार करे। उन्हें उनके अनुरूप समान व्यवहार एवं घर जैसे माहौल दें।

5. SRTC का वातावरण :

बच्चों को भय मुक्त वातावरण, उचित देखरेख का वातावरण दिया जाए। जिससे बच्चों को वहाँ का वातावरण आकर्षक लगे और बच्चों को वहाँ रूकने का मन करे।

6. पढ़ाई रूचिकर, आकर्षक व मनोरंजक हो :

बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी रूचि, क्षमता, स्तर गति के अनुरूप मनोरंजनात्मक गतिविधियाँ हो। पाठ्य सामग्री आकर्षक हो।

7. शासन द्वारा SRTC को मिलने वाली सुविधाएँ :

शासन द्वारा SRTC को कई सुविधाएं प्राप्त होती है। उनका वितरण सभी केन्द्रों में समय पर हो।

8. सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियां :

प्रत्येक SRTC में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों जैसे–भाषण, गीत, नृत्य, नाटक, अभिनय आदि के लिए एक निश्चित समय सुनिश्चित हो।

9. अध्ययन की कक्षाएँ आवासीय परिसर के बाहर हो। विभिन्न SRTC में बच्चों से बात करने पर यह बात सामने आई है कि बच्चे अपने आवासीय परिसर के अंदर पढ़ना पसंद नहीं करते बल्कि वे बाहर स्कूल भवन में पढ़ने जाना चाहते हैं।

10. शैक्षिक भ्रमण :

SRTC के सभी बच्चों को एक निश्चित समय के अंतराल में शैक्षणिक भ्रमण के लिए आस पास के किसी पर्यटन स्थल का भ्रमण अवश्य कराया जाये।

SRTC के बच्चों की कुछ कहानियाँ

1. सफलता की कहानी

तानी विश्वकर्मा, सेमरबँधा उम्र 4 वर्ष, दिसंबर 2010 में मेरे गाँव के SRTC लाई गई। पिता की मृत्यु के बाद माता ने दूसरा विवाह कर लिया। चार भाई–बहनों में बड़ा भाई काम करने के लिए अलग जगह चला गया। बड़ी दीदी की शादी हो गई। तानी दीदी के साथ आकर रहने लगी और उसकी छोटी बच्ची की देखभाल करने लगी। दोनों भाईयों को स्कूल में दाखिला तक नहीं दिलाया गया था। तानी तीसरी कक्षा तक पढ़ी थी। तीनों को मेरे गांव (गाँव का नाम) के SRTC में लाया गया। जहां से दोनों भाइयों (दीपक और गोपी) को माल डोंगरी के SRTC में भेज दिया गया। यहां तानी की शरारतें शुरू हो गई। जैसे – अन्य बच्चों को मारना, भोजन नहीं खाना, हठ करना आदि।

लेकिन अधिकारियों के सतत् मार्गदर्शन से यहाँ के अनुदेशकों की मेहनत और लगन से वर्तमान में यह बच्ची सामान्य बच्चों की तरह सीख रही है, और बहुत ही खुश है।

2.सफलता की कहानी

लीलिमा वारगुन्ज ग्राम की रहने वाली है। पहले उसके पिताजी रायगढ़ में पढ़ाते थे। परन्तु घर की आर्थिक स्थितियों के कारण उसकी शिक्षा अधूरी रह गई। फिर उसके पिताजी ने SRTC के विषय में सुना और उसे राजकट्टा के SRTC में भेजा।

आज लीलिमा खुश है, वह की व्यवस्था में बहुत अच्छी तरह से सहयोग करती है। सभी बच्चों के साथ मिलकर खुशी से रहती है।

यदि रायगढ़ जिले में रहने वाली लीलिमा को राजनांदगांव अन्तगर्त` राजकट्टा गांव के SRTC केन्द्र । जब इतनी दूर से बच्चे को ला कर उनका भविष्य सुधारा जा सकता है, तो हमारे जिले में क्यों नहीं?

केस स्टडी

सोहन एक ऐसा बालक था। जो रेलवे स्टेशन में रहकर कार्य करता व वही अपना भरण–पोषण करता था। एक दुर्घटना में उनके माता–पिता तथा भाई की मृत्यु हो गई तथा सोहन को भी चोट आई थी, पर अब वह ठीक हो गया है ,उसे आगे नाथ न पिछे पगहा है। वह 11 वर्ष का है और अपने अनुसार कार्य करता है। उससे बातचीत कर

SRTC केन्द्र में लाया गया। उसके लिए सारी व्यवस्थाएँ की गई। कुछ समय SRTC में रहने के बाद वह पुनः स्टेशन में चला गया, क्योकि उसे नशा करने की आदत थी। वह इन कार्यों का आदि हो चुका था। SRTC में रह कर वह घुटन महसूस करता था।

अनुदेशकों ने उसका पता लगाया कि वह कहाँ है ? वह किस होटल में काम कर रहा है। उसको SRTC में लाने का प्रयास किया गया परन्तु वह अब यहाँ नही आना चाहता। क्यों ?

ऐसे बच्चों को पुनः SRTC में लाने के लिये और कौन से कदम उठाये जा सकते है ?

000

'' शिक्षक देश की रीढ़ होते हैं, वे ऐसे स्तंभ होते हैं, जिसके ढाल पर सभी प्रकार की आकांक्षाएँ साकार होती है।''

•

'' सात साल के के लिए कोई बच्चा मेरी निगरानी में रह जाए, फिर भगवान हो या शैतान, कोई भी उसे नहीं बदल सकता।''

–यूनानी शिक्षक वेस्टोलॉजी

'' हमें सतत् बौद्धिक निष्ठा एवं सार्वभौम कारूण की खोज में रहना चाहिए। ये दो गुण किसी सच्चे शिक्षक की पहचान है।''

– डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

12 MGML

वर्तमान शिक्षण प्रक्रिया कैसी ?

प्रक्रिया	साधन	मान्यताएँ
एक के बाद एक पाठ पढ़ाना।	पाठ्य पुस्तक	सभी बच्चे सीख जाएँगे।
पढ़ाए हुए पाठ पर फिर वापस नहीं आना।	शिक्षक	सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाएगा।
एक साल पढ़ाना। एक वर्ष बाद दूसरे वर्ग/कक्षा में कक्षोन्नति देना।	टी.एल.एम. शिक्षक निधि	

क्या ये मान्यताएँ सही हैं?

इस प्रक्रिया को स्वीकारते हुए शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 14 वर्षों से लगातार कई कार्य किये जा रहे हैं। जिसमें –

- पाठ्य पुस्तकों का विकास
- शिक्षक प्रशिक्षण
- शिक्षक निधि
- विविध शिक्षण सामग्री।
- अन्य अनेक नवाचारी गतिविधियाँ।

इतने प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज भी

- शत–प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।
- ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।
- सभी बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा नहीं दी जा सकी।

आइये इनके कारणों को जानें :–

- पूरी शिक्षण की प्रक्रिया या सिस्टम में कहीं न कहीं कमी है।
- शिक्षा में समुदाय के सहयोग का अभाव रहा।

- पूरी व्यवस्था में बच्चों की भिन्नता, उनकी विविधता और सीखने की गति का ध्यान ही नहीं रखा गया।
- सीखने में निर्भरता एवं एक ही स्त्रोत का उपयोग।

स्कूल और अच्छे शैक्षिक अभ्यासों की बाधाएँ : –

- ➢ स्कूल व्यवस्था में विशेष तरह की कठोरता, जो बदलाव में बड़ी बाधा है।
- ➢ सीखने को अलग गतिविधि के रूप में देखना। परिणामस्वरूप बच्चा अपने ज्ञान को व्यावहारिक जीवन से नहीं जोड़ पाता।
- ➢ शिक्षण की व्यवस्था ही ऐसी है कि बच्चों एवं शिक्षकों में रचनात्मक चिन्तन और अन्तर्दृष्टि समाप्त हो जाती है।
- ➢ सीखने–सिखाने की जो कुछ भी सामग्री है, ज्ञान रचने और मानवीय सामर्थ्य को स्थापित कर पाने में पूर्ण सक्षम नहीं है।
- ➢ बच्चे के भविष्य को महत्वपूर्ण मान लिया जाता है, जिससे उसका वर्तमान खत्म हो जाता है।

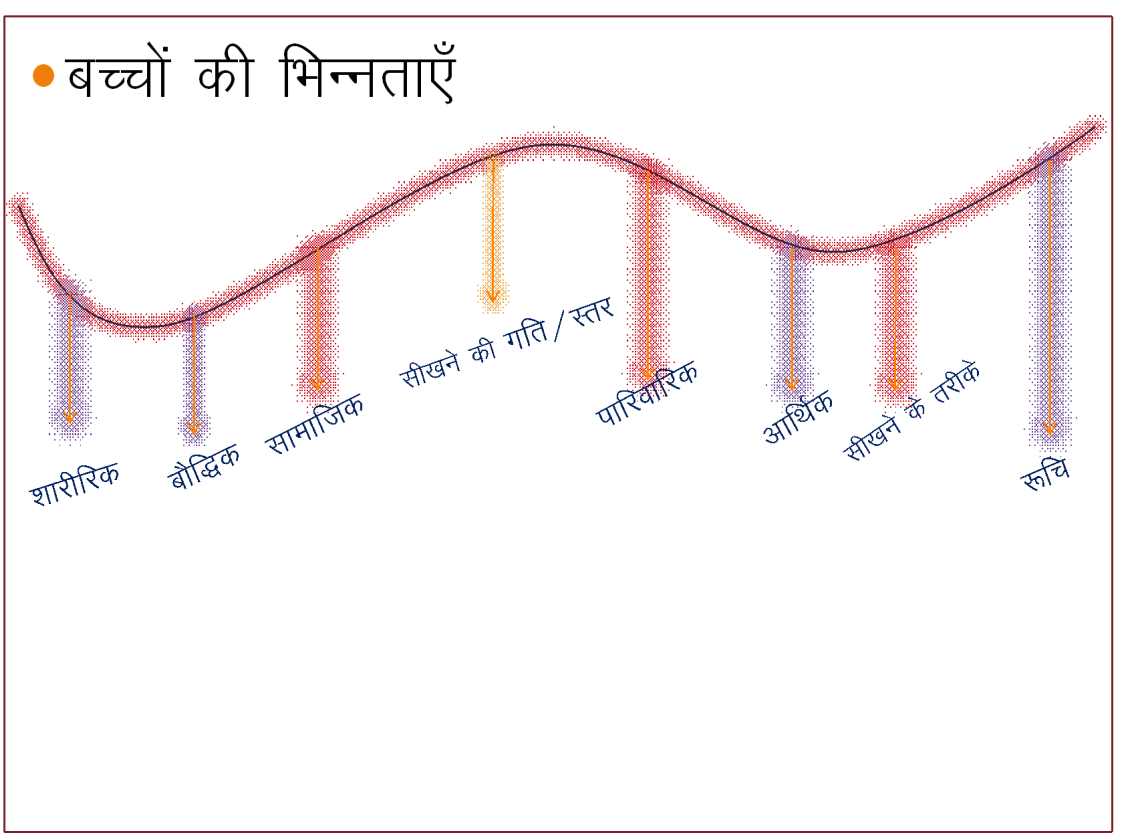

बच्चों की समानताएँ

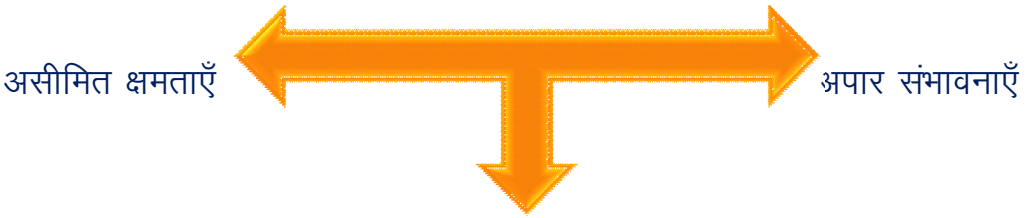

स्कूल के उद्देश्य

- जो भी बच्चा स्कूल के भीतर आए, अपेक्षित क्षमताएँ प्राप्त करके ही स्कूल से बाहर जाए।
- जहाँ बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हो।
- बिना किसी प्रतिस्पर्धा या तुलना के अपनी क्षमताओं के अनुरूप विकसित हो।
- कक्षा में प्रतियोगिता को स्थान दिया जाना।

प्रतियोगिता का अर्थ :–स्वयं में स्वयं के प्रति पूर्णता के लिए योग बराबर प्रतियोगिता

बच्चों के अधिकार

- सीखना हर बच्चे का अधिकार है।
- बच्चों को सीखने की अपनी गति के लिए सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है। बच्चों की विविधता का सम्मान हो।
- प्रत्येक बच्चे को समानता के साथ सीखने का अधिकार प्राप्त हो।
- शिक्षक ही ज्ञान का स्त्रोत नहीं है –सभी स्त्रोतों से सीखने का अधिकार और स्वयं सीखने की परिस्थितियाँ भी मिले।
- प्रत्येक बच्चे का हक है कि उसका प्रगतिकारक मूल्यांकन हो।
- 1825 दिन में प्रत्येक बच्चे को अच्छी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

MGML क्या है ?

- बच्चों की भिन्नताओं के अनुरूप सामग्री =
- लोक जीवन और शिक्षा का जुड़ाव =
- सीखने के तरीके एवं रूचि के अनुरूप =
- सभी बच्चों की सक्रिय और समान भागीदारी =
- बच्चों की समानताओं का विस्तार =
- सीखने के स्त्रोतों का विस्तार =
- बच्चों की गति के अनुरूप शिक्षण सामग्री =
- सीखने में निर्भरता से आत्मनिर्भरता और परस्पर निर्भरता =
- बच्चों की गति और स्तर के अनुरूप शिक्षण तकनीक =
- बच्चों की भिन्नताओं का शिक्षण प्रक्रिया से तालमेल =

M

G

M

L

सभी बच्चों को समान गुणवत्ता के साथ शिक्षण, राज्य की शैक्षिक आवश्यकता रही है। किसी कौशल को सीखने के लिए बच्चों में विविधता होती है, क्योंकि बच्चों के सीखने की गति अलग–अलग होती है, इसलिए एक ही समय में प्रत्येक बच्चे का स्तर अलग–अलग होता है। बच्चे सीखें इसके लिए जरूरी है कि उसके सीखने की गति का सम्मान किया जाए और उन्हें सीखने के पर्याप्त अवसर दिए जाएँ। साथ ही कक्षा में बालकेन्द्रित और आनंददायी शिक्षा भी आवश्यक है। जिसमें परीक्षा का भय न हो और न ही सीखने के समय का बंधन हो। बच्चे खेल–खेल में अपनी गति एवं स्तर के अनुरूप सीखें।

क्या कोई ऐसी कारगर प्रणाली है, जो उपर्युक्त बातों को पूरा करती हो ?

जी हाँ !

एम.जी.एम.एल. **ही आज की स्थिति में सबसे कारगर प्रणाली है।**

एम.जी.एम.एल.की अवधारणा –

बच्चा परिवेश के विभिन्न साधनों एवं स्रोतों से सीखता है। बच्चे की आवश्यकतानुसार उसके सीखने के स्तर और गति के अनुरुप सीखने के अवसर एवं साधन उपलब्ध करा

देना ही एम.जी.एम.एल. है। इसमें शिक्षक सुविधादाता की भूमिका निभाता है।

इस प्रणाली में बच्चों के स्तर का परीक्षण कर उनके स्तर के अनुसार पाठ्यसामग्री दी जाती है। प्रत्येक बच्चे को सीखने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। पुस्तक के स्थान पर कार्डों से शिक्षण होता है। बच्चों के बैठने हेतु विभिन्न समूह निर्धारित किए गए हैं।

इस प्रकार प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता, गति एवं स्तर के अनुसार गुणवत्तायुक्त शिक्षा लेकर ही आगे बढ़ता है। इस प्रणाली को निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है :–

गति :– प्रत्येक बच्चे की बुद्धिलब्धि, रुचियाँ, परिस्थितियाँ एवं इच्छाएँ भिन्न–भिन्न होती हैं, जिससे एक ही समय में हर बच्चे की विषय वस्तु को सीखने की क्षमता भी भिन्न–भिन्न होती है। सीखने की क्षमता एवं सीखने में लगने वाला समय ही सीखने की गति कहलाता है।

उदाहरण :– एक शिक्षक रमा, श्यामा, रज्जू को एक ही समय में जोड़ का अभ्यास सिखाते हैं। रमा बहुत तेजी से जोड़ सीखती है। श्यामा निर्धारित समय में सीखती है। रज्जू बहुत अधिक समय में सीखता है।

अर्थात् तीनों बच्चों के सीखने की गति अलग–अलग है।

स्तर :– स्तर से आशय अपेक्षित दक्षता को कुशलता पूर्वक प्राप्त करना है। सीखने की गति में भिन्नता के कारण बच्चों के स्तर में भी भिन्नता पाई जाती है।

उदाहरण :– रमा, श्यामा और रज्जू के सीखने की गति भिन्न–भिन्न है। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि –

– रमा को 2 अंकों का जोड़, हासिल सहित आता है।

– श्यामा को 2 अंकों का बिना हासिल वाला जोड़ आता है।

– रज्जू को 1 अंक का जोड़ आता है। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे का स्तर अलग–अलग है।

MGML के तत्व

बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण की अवधारणा के आधार पर सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु कुछ अलग–अलग कड़ियों के अध्ययन की आवश्यकता है। इस पद्धति में कुछ अलग–अलग तकनीकों एवं सामग्रियों को मिलाकर पूरी प्रणाली एवं शिक्षण प्रक्रिया स्पष्ट होती है। इन्हें MGML के तत्व कहते हैं।

1. माइलस्टोन : पाठ्यक्रम ही माईलस्टोन है।

माइलस्टोन कैसे बने?

1. पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को छोटे–छोटे कौशलों में विभक्त किया गया है।
2. सीखने के क्रम को ध्यान में रखकर प्रक्रिया को सहज, रोचक एवं क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया गया है।

माइलस्टोन क्यों?

1. माइलस्टोन में बच्चा एक उद्देश्य को पूरा करने के बाद ही दूसरे उद्देश्यों की ओर बढ़ता है।
2. उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिये विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है।
3. माइलस्टोन सरल से जटिल की ओर परिपक्वतापूर्ण बढ़ता है।
4. उद्देश्य छोटे–छोटे होते हैं, अतः यह रूचिकर होता है। बच्चे जल्दी सीखते हैं, परिणामस्वरूप आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
5. उद्देश्यों को माइलस्टोन में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, कि बच्चा स्पाइरल लर्निंग कर सके।
6. उपलब्धियों का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन करने में आसानी होती है।
7. तीव्र गति से सीखने वाले बच्चे के क्षेत्र विशेष की रूचि को पहचान कर अवसर प्रदान किया जाता है।
8. यदि कोई बच्चा उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उसकी कमजोरी को पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है।
9. बच्चा जब स्वयं सीखता है तब उस बच्चे के रचनात्मक चिंतन और उन उद्देश्यों के प्रति अन्तर्दृष्टि के साथ समझ विकसित होती है।

2. लोगो :–लोगो (Logo) प्रतीक हैं, जिनके आधार पर समूह व गतिविधियाँ बनाई गई

हैं। इससे कार्डों के रखरखाव में सुविधा होती है। विषयवार लोगो(Logo) रखे गए हैं, हिन्दी में – पशु, गणित में – पक्षी, पर्यावरण में– फल, एवं अंग्रेजी में– इलेक्ट्रॉनिक सामान ।

लोगो कैसे बने?

1. माइलस्टोन के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु गतिविधियों का निर्धारण किया गया।
2. विभिन्न गतिविधियों की पहचान, वर्गीकरण एवं कार्डों के रखरखाव के लिये लोगो बनाए गए।
3. यही लोगो लेडर में गतिविधि के क्रम और समूह की प्रकृति को भी निर्धारित करते हैं।

लोगो क्यों आवश्यक है?

1. लोगो से विषय एवं गतिविधि की जानकारी होती है।
2. एम.जी.एम.एल. की समस्त सामग्रियों के रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए।
3. लेडर में गतिविधियों को क्रमबद्ध रूप से जमाने के लिए।
4. समूह में बच्चों की बैठक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए।
5. बच्चों के लिये सामग्री को आकर्षक एवं रूचिकर बनाने के लिए।

विषय : हिन्दी

1 बैलगाड़ी– अवधारणा

2. तांगा–वर्कबुक

3 ट्रेक्टर– व्यवसायिक

4. वाईजहाज– मूल्यांकन

5. बस–उपचारात्मक

6. साइकिल–शब्दों से वर्ण पहचान

7 रेलगाड़ी – वर्ण जोड़कर शब्द बनाना।

8 कार – बिल्लस खेल

9. पानी जहाज – वर्ग पहेली / प्रथमाक्षरी

10. मोटर साइकिल – शब्द / वाक्य पट्टी

11. स्कूटर – पासा / खिड़की मात्रा कार्ड

12. रिक्शा – सामूहिक

13 ट्रक – सर्वे / संकलन / वर्गीकरण

विषय – गणित

1 पतंग– अवधारणा

2. झूला– बिल्लस / पास

8. रस्सीकूद– गुणा,भाग अभ्यास

9. गुब्बारा – वर्कबुक

3. हॉकी स्टीक– अभ्यास

4. फिरकी –कक्षा के अंदर का खेल

5 फिसलपट्टी– धन,ऋण अभ्यास

6. नेट– कक्षा के बाहर का खेल

7. गुलेल– तार्किक

10. बैट– व्यवसायिक

11. स्टम्प– मूल्यांकन

12. लट्टू– उपचारात्मक

13. फूटबॉल– सामूहिक खेल

विषय – अंग्रेजी

1. हारमोनियम–अवधारणा

2. नगाड़ा– वार्तालाप

3. ढोलक– चित्र शब्द कोष

4. तमूरा– संवाद एवं अभिनय

5. गिटार– बिल्ल्स/पासा खेल

6. बाँसुरी– व्यवसायिक

7. ड्रम– वर्कबुक

8. मोहरी–मूल्यांकन

9. डमरू– उपचारात्मक

10. तबला–अभ्यास

3. लेडर :

लेडर, लोगोवार आगे बढ़ते हुए माइलस्टोन पार करने का मार्ग है। साथ ही यह समस्त प्रक्रिया का नियंत्रक है। इसके आधार पर बच्चे क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित गतिविधियाँ करते हुए आगे बढ़ते हैं।

लेडर कैसे बने ?

1. बच्चे के सीखने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों को क्रम प्रदान किया गया है।
2. सीखने के सिद्धांत एवं बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों को क्रमिक रूप से जमाया गया है।
3. सीखे हुये उद्देश्यों को बार–बार दोहराने (स्पाइरल लर्निंग) को ध्यान में रखकर लेडर बनाये गये हैं।
4. कक्षा–कक्ष में समूह अनुसार बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टि से ।
5. लेडर में प्रत्येक अवधारणा को समझाने के लिये भिन्न–भिन्न गतिविधियाँ बनाई गई हैं, जिससे बच्चे रुचिपूर्वक सीखते हैं।

लेडर की आवश्यकता क्यों ?

1. कक्षा–कक्ष, सामग्रियों, गतिविधियों को व्यवस्थित एवं प्रबंधित करने के लिए।

2. छह समूहों के निर्धारण करने के लिए।
3. कक्षा–कक्ष के नियंत्रण के लिए।
4. बच्चों के गति एवं स्तर के मापन के लिए।
5. पर्यावरण विषय का लेडर बच्चों की व्यापक सोच की क्षमता को बढ़ाता है।
6. लेडर में आगे बढ़ने पर बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
7. आत्मनियंत्रित एवं स्वप्रेरित होकर बच्चे कार्य करते हैं।

4. समूह क्या है?

सीखने के सभी स्रोतों के उपयोग को ध्यान में रख कर बनाई गई बैठक व्यवस्था ही समूह है। जैसे–पहले समूह में बच्चे शिक्षक से सीखते हैं। तीसरे समूह में अपने साथियों से, पाँचवे समूह में स्वयं अध्ययन से एवं सर्वे के दौरान ग्राम में जा कर समुदाय से सीखते हैं।

एम.जी.एम.एल. SRTC में 4 समूह निर्धारित हैं :–

1. शिक्षक समर्थित समूह– इस समूह में शिक्षक द्वारा अवधारणा स्पष्ट किया जाता है।
2. सहपाठी समर्थित समूह–बच्चे गतिविधि करने के लिए एक–दूसरे का सहयोग करते हैं।
3. आंशिक सहपाठी समर्थित समूह–बच्चों को गतिविधि करने के लिए अपने साथियों के आंशिक सहयोग की जरूरत होती है।
4. स्वअधिगम एवं मूल्यांकन समूह– स्वाध्याय के कार्य जैसे– लेखन, पठन आदि इस समूह के अंतर्गत करते हैं। इस समूह में बच्चों का मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है।

विषय हिन्दी

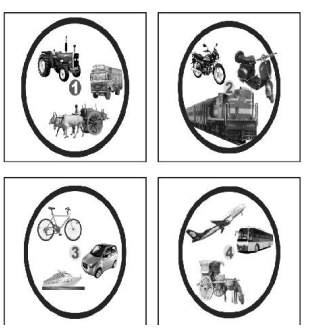

विषय गणित

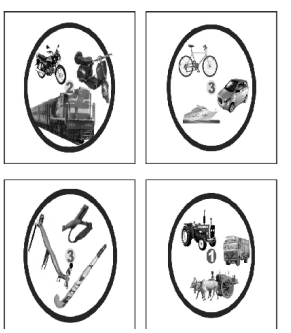

विषय अंग्रेजी

विषय – हिन्दी (लेडर)

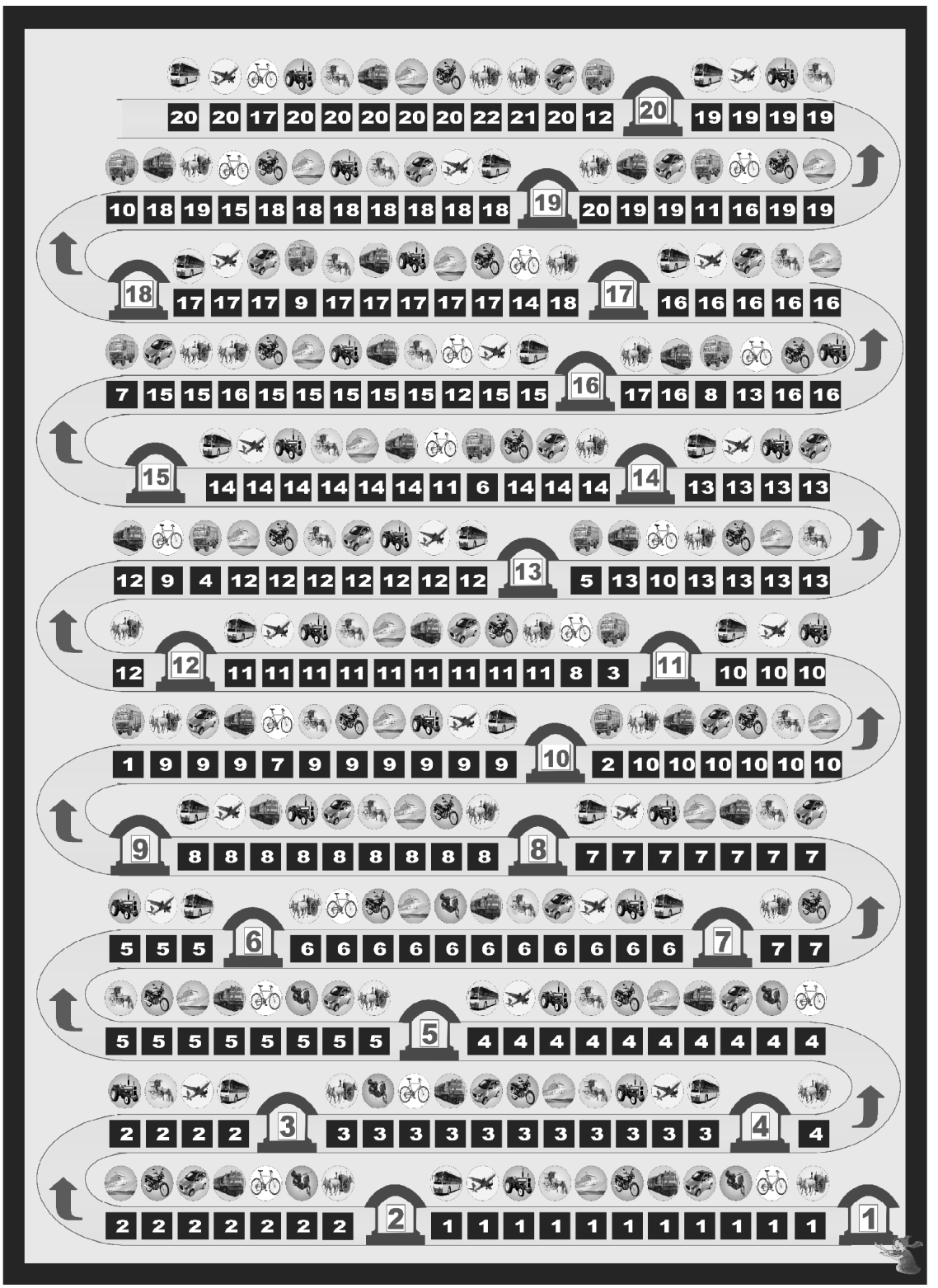
20 20 17 20 20 20 20 20 22 21 20 12 20 19 19 19 19
10 18 19 15 18 18 18 18 18 18 18 19 20 19 19 11 16 19 19
18 17 17 17 9 17 17 17 17 17 14 18 17 16 16 16 16 16
7 15 15 16 15 15 15 15 15 12 15 15 16 17 16 8 13 16 16
15 14 14 14 14 14 14 11 6 14 14 14 14 13 13 13 13
12 9 4 12 12 12 12 12 12 12 13 5 13 10 13 13 13 13
12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 3 11 10 10 10
1 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 10 2 10 10 10 10 10 10
9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

विषय – गणित (लेडर)

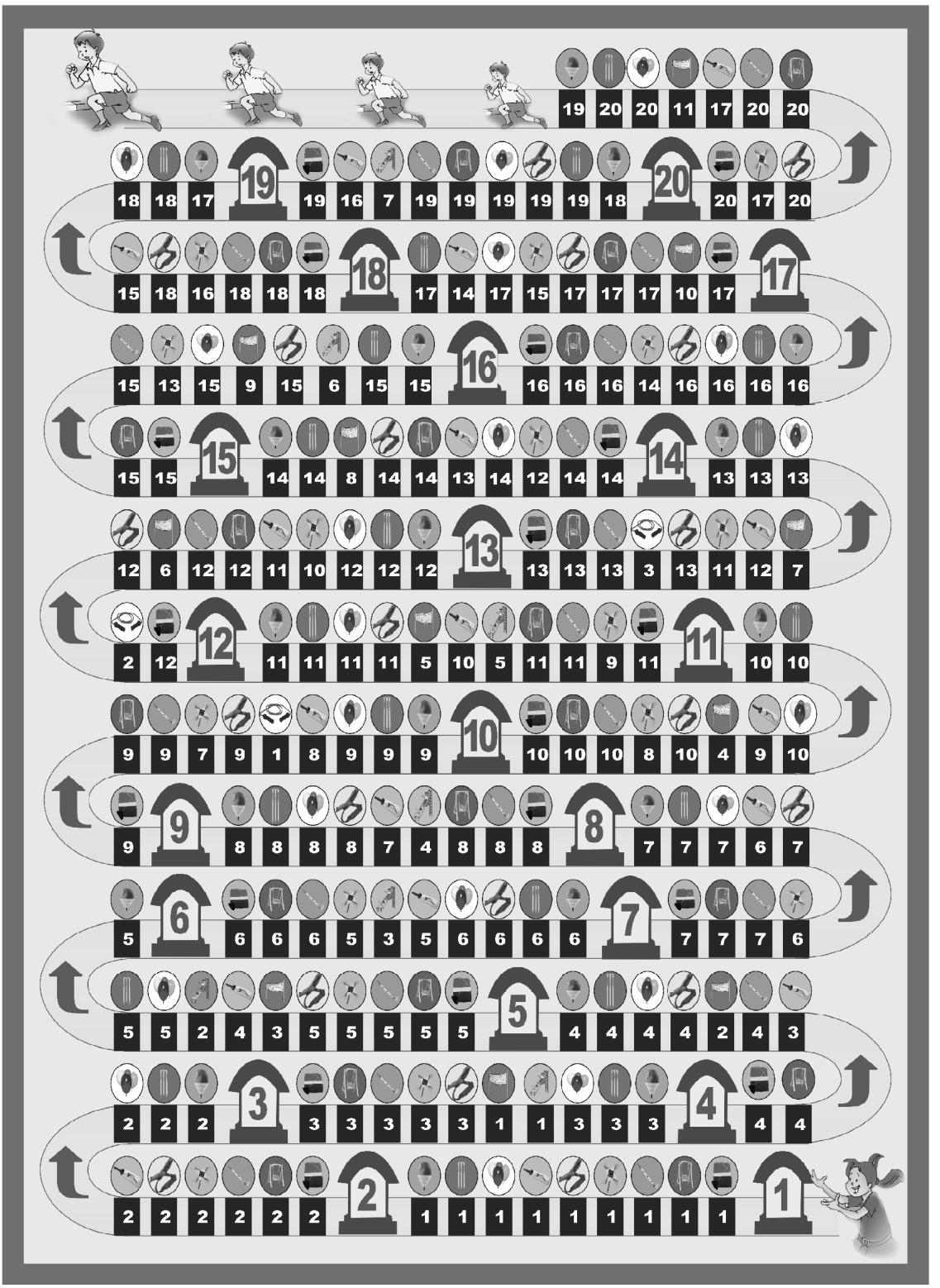
19 20 20 11 17 20 20
18 18 17 19 19 16 7 19 19 19 19 19 18 20 20 17 20
15 18 16 18 18 18 18 17 14 17 15 17 17 17 10 17 17
15 13 15 9 15 6 15 15 16 16 16 16 14 16 16 16 16
15 15 15 14 14 8 14 14 13 14 12 14 14 14 13 13 13
12 6 12 12 11 10 12 12 12 13 13 13 13 3 13 11 12 7
2 12 12 11 11 11 11 5 10 5 11 11 9 11 11 10 10
9 9 7 9 1 8 9 9 9 10 10 10 10 8 10 4 9 10
9 9 8 8 8 8 7 4 8 8 8 8 7 7 7 6 7
5 6 6 6 6 5 3 5 6 6 6 6 7 7 7 7 6
5 5 5 2 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 4 3
2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

विषय – अंग्रेजी (लेडर)

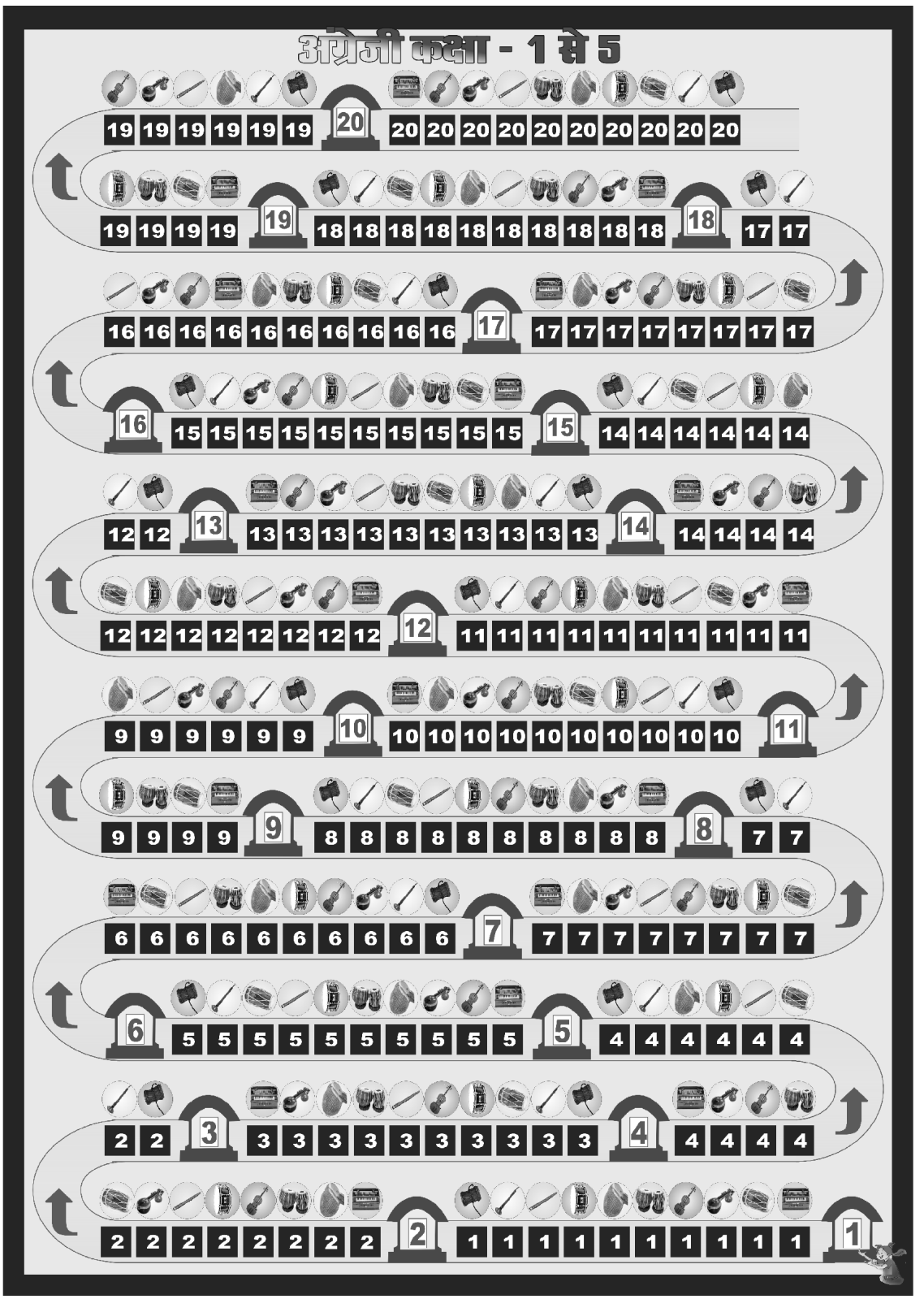
अंग्रेजी कक्षा - 1 से 5
19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17
16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14
12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14
12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11
9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11
9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

समूह निर्धारण प्रक्रिया

1. अनुमानित माइलस्टोन।

    अ. संदर्शिका में दिए गये परिशिष्ट को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे

    ब. कक्षा शुरू करने के पूर्व तीन–चार दिन बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। उनकी आवश्यकता एवं बुद्धि लब्धि स्तर को जानने का प्रयास करेंगे।

    स. अनुमानित माइलस्टोन निकालेंगे।

2. वास्तविक माइलस्टोन

    अ. अनुमानित माइलस्टोन के मूल्यांकन कार्ड से बच्चे के स्तर का मापन करेंगे।

उदाहरण :

अ. यदि रीना का अनुमानित माइस्टोन 5 है तो उसे माइलस्टोन 5 का मूल्यांकन कार्ड से मूल्यांकन करेंगे।

ब. यदि वह 5 का मूल्यांकन कार्ड पूरा करती है तो उसे माइलस्टोन 6 का मूल्यांकन कार्ड देंगे।

स. अब यदि वह माइलस्टोन 6 का मुल्यांकन कार्ड पूरा नहीं कर पाई तो उसका वास्तविक माइलस्टोन 6 होगा।

द. यदि मोहन का माइलस्टोन 9 है तो उसे माइलस्टोन 9 का मूल्यांकन कार्ड देंगे।

- माइलस्टोन 9 का मूल्यांकन कार्ड पूरा नहीं कर पाने पर माइलस्टोन 8 का मूल्यांकन कार्ड देंगे।
- माइलस्टोन 8 का कार्ड पूरा नहीं कर पाने पर उसे माइलस्टोन 7 का मूल्यांकन कार्ड देंगे।
- माइलस्टोन 7 का मूल्यांकन कार्ड पूरा कर लिया तो उस बच्चे का वास्तविक माइलस्टोन 8 होगा।

3. तत्पश्चात् बच्चों को कार्ड उठाने, लोगो पहचान, लेडर और समूह में चलने पर प्रशिक्षित करेंगे।

4. उसके पश्चात् वास्तविक माइलस्टोन से 1माइलस्टोन नीचे का कार्ड देकर समूह में गतिविधि करवाएँगे।

5. इस प्रकार बच्चे चारों समूह में घुमते हुए अपने गति और स्तर के अनुरूप सीखते हुए समूहों में घूमेंगे और शिक्षण कार्य चलता रहेगा।

कुछ प्रश्न जो मन में आएँगे –

प्रश्न – समूह निर्माण की प्रक्रिया क्यों ?

उत्तर : 1. सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए।

2. कक्ष को स्वनियंत्रित गति से चलाने के लिए।

3. बच्चों में MGML की संपूर्ण प्रक्रिया पर समझ बनाने के लिए।

4. सभी बच्चों की गतिविधि में सहभागिता के लिये।

5. बच्चों के स्तर की सही जानकारी हेतु।

6. स्तरानुरूप सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिये।

प्रश्न :– अनुमानित माइलस्टोन कैसे ज्ञात करेंगे ?

उत्तर – सृजन हस्त पुस्तिका में दिए गए परिशिष्ट से माइलस्टोन का बिन्दुवार अध्ययन करें तथा इसके आधार पर बच्चों का अनुमानित माइलस्टोन तय करें।

प्रश्न :– वास्तविक माइलस्टोन क्यों ?

उत्तर :– बच्चे का वास्तविक स्तर ज्ञात कर अध्यापन कार्य प्रारंभ करने के लिए वास्तविक माइलस्टोन निकालना आवश्यक है।

प्रश्न :– बच्चों को लोगो, लेडर से परिचय कराना क्यों आवश्यक है ?

उत्तर :– बच्चों को लोगो, लेडर से परिचित कराने के बाद ही MGML की कक्षाएँ संचालित होती हैं। बच्चे लेडर देखकर ही लोगो एवं नंबर के अनुसार कार्ड निकालते हैं व

निर्धारित समूह में बैठकर गतिविधि पूरा करते हैं। लोगो, लेडर के परिचय से ही समूह का निर्माण होता है। परिचय कराने के लिए बच्चों को कार्ड छूने दें, लेडर पर उँगली फिराकर उन्हें उनके वास्तविक माइलस्टोन का ज्ञान कराएँ।

प्रश्न : अनुमानित माइलस्टोन के बाद अस्थायी समूह बनाना क्यों आवश्यक है ?

उत्तर :–1. प्रत्येक बच्चे का वास्तविक माइलस्टोन निकालने के लिए।

2. सभी बच्चों का एक साथ वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अतः कक्षा को व्यवस्थित करने के लिए अस्थायी समूह बनाना आवश्यक है।

प्रश्न :– अस्थायी समूह के बच्चों को कौन–कौन सी गतिविधियाँ कराएँगे ?

उत्तर :–गीली मिट्टी के कार्य, चित्रकारी, कंकड़ से चित्र बनाना, चित्रों पर कंकड़ जमाना, कागज से खिलौने बनाना, विभिन्न वस्तुओं का संकलन, परिवेशीय अवलोकन कर रिपोर्टिंग करना, पूर्व के माइलस्टोन के खेल, कार्डों का खेल,बिल्लस का खेल आदि।

प्रश्न :– अवधारणा क्या है ?

[redacted]

हिन्दी

1. अवधारणा कार्ड कराने के पूर्व उस माइलस्टोन के सभी कार्डों की जानकारी रखें एवं अवधारणा स्पष्ट करते समय अन्य गतिविधि कार्डों का उपयोग अवश्य करें। जैसे – चूहा कार्ड, हिरण कार्ड आदि।
2. सबसे पहले शिक्षक अवधारणा कार्ड के चित्रों पर चर्चा कराएँ।
3. कविता/कहानी को हाव–भाव के साथ सुनाएँ।
4. रंगीन शब्दों पर जोर देते हुए कविता को सुनाएँ।
5. चित्र व शब्दों का मिलान कराएँ।
6. शिक्षक शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि की पहचान कराएँ।
7. शिक्षक द्वारा शब्दों को बोलने पर बच्चे शब्द को पहचान सकें।
8. कविता/कहानी को हाव–भाव के साथ दोहरा सकें एवं अपने शब्दों में व्यक्त कर सकें।
9. शिक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि बच्चा रंगीन शब्दों को अच्छी तरह पहचान गया है। तभी अगली गतिविधि के लिए बच्चे को निर्देशित करें।
10. कक्षा 3 व 4 में अवधारणा स्पष्ट करने से पूर्व उस माइलस्टोन का उपचारात्मक कार्ड (भालू) का अध्ययन करना अति आवश्यक है।
11. शिक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि बच्चे को अवधारणा पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गई है, तभी अगली गतिविधि के लिए बच्चे को निर्देशित करें।

गणित :–

1. अवधारणा स्पष्ट करने से पहले दैनिक जीवन से संबंधित मौखिक प्रश्न पूछें। जैसे – जोड़ की अवधारणा से पहले हम पूछें कि आपके पास दो पेन है और आपके दोस्त के पास तीन पेन है। कुल कितने पेन हुए ?
2. मौखिक प्रश्न के बाद कंकड़, बीज, माचिस की तीली, कंचे, बटन, मोती आदि विभिन्न सहायक सामग्री से उन्हें अवधारणा स्पष्ट कराएँ।
3. अवधारणा स्पष्ट करते समय उस माइलस्टोन के अन्य कार्डों का उपयोग अवश्य करें। जैसे – कबूतर कार्ड, बतख कार्ड आदि।
4. शिक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि बच्चा अवधारणा से संबंधित सवाल हल कर सकता है, तभी उसे अगले कार्ड की गतिविधि के लिए भेजें।

पर्यावरण : –

1. सर्वप्रथम शिक्षक सर्वे कार्ड का अवलोकन करें। संकलित जानकारियों पर बच्चों के साथ चर्चा करें ।
2. कहानी/कविता को समझाते हुए अवधारणा को स्पष्ट करें।
3. अवधारणा स्पष्ट कराने के लिए उस विषय वस्तु से संबंधित अन्य कार्डों का उपयोग अवश्य करें। जैसे – केला कार्ड, अनार कार्ड, पपीता कार्ड आदि।
4. शिक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि अवधारणा पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गई है, तभी बच्चे को अगली गतिविधि के लिए निर्देशित करें।

अंग्रेंजी :–

1. शिक्षक हाव–भाव के साथ कविता को सुनाएँ।
2. कार्ड में दी गई क्रियाओं को स्वयं करके बताएँ।
3. अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए अन्य गतिविधि कार्डों का उपयोग करें।
4. यदि बच्चे क्रियाओं के साथ कविता को सुना पाते हैं तभी अगले कार्ड की गतिविधि कराएँ।
5. शिक्षक के द्वारा की गई क्रियाओं को बच्चे कर पाएँ एवं बोल पाएँ, तभी उन्हें अगला कार्ड दें।

अवधारणा स्पष्ट करने के लिए शिक्षक को **MGML** के सभी कार्डों का गहन अध्ययन करना आवश्यक है।

प्र.1 बच्चा अगले लोगो का कार्ड कब उठाएगा ?

उ. जिस कार्ड पर गतिविधि हो रही है, उस कार्ड की पक्की समझ ही अगले लोगो की गतिविधि के लिए सहायक होगी। जब तक बच्चा दक्ष न हो जाए तब तक गतिविधि दोहराएँ। ध्यान रखें कि गतिविधि कार्ड के निर्देश के अनुरुप किया हो। यदि बच्चा कार्ड की गतिविधि नहीं कर पा रहा है, तो इसका अर्थ यह होगा कि उसने पिछली गतिविधि को अच्छी तरह नहीं किया है।

प्र.2 शिक्षक सभी समूहों पर कैसे ध्यान रखें?

उ. 1. शिक्षक समर्थित समूह में प्रत्येक अवधारणा कार्ड को शिक्षक ही कराएँ।

2. आंशिक शिक्षक समर्थित समूह प्रथम समूह के पास हो, जिससे शिक्षक आवश्यकतानुसार सहयोग कर सके।

3. सहपाठी समर्थित समूह के बच्चों को आपसी सहयोग से गतिविधि करने हेतु प्रेरित करें। उच्च माइलस्टोन के बच्चों का सहयोग लें।

4. स्वअधिगम समूह में बच्चे स्वयं कार्य कर रहे हैं, यदि नहीं तो शिक्षक उन्हें स्वयं करने हेतु प्रेरित करें।

5. स्वअधिगम समूह में बच्चे स्वयं कार्य कर रहे हैं, यदि नहीं तो शिक्षक उन्हें स्वयं करने हेतु प्रेरित करें।

6. मूल्यांकन समूह में बच्चों द्वारा किये गये कार्य एवं दिये गये उत्तरों की जाँच शिक्षक स्वयं करें। मूल्यांकन कार्य पूर्ण न करने पर शिक्षक अनिवार्य रूप से उपचारात्मक गतिविधि करा कर पुनः मूल्यांकन लें।

00000

'' एक तेजस्वी मस्तिष्क इस धरती पर धरती के नीचे
या ऊपर आसमान में सबसे सशक्त संसाधन है। ''

13 MGML और NCF, RTE

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या

1. शिक्षा बिना बोझ के (लर्निंग विदाउट बर्डन) पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों की रूप रेखा में विशेष परिर्वतन और समाज की मानसिकता में बदलाव लाने की सिफारिश की। (पृष्ठ क्रमांक 03) भारी स्कूली बस्ते, शारीरिक असुविधा के सामान्य स्रोत (पेज 16)

2. आसपास के पर्यावरण (जिसमें मातृभाषा एवं कार्य भी आते हैं) का साधन के रूप में उपयोग किया जाए।(पृष्ठ क्र. 04 पश्चावलोकन) सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है आसपास के वातावरण प्रकृति चीजों व लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से अंत क्रिया करना।(पेज 21)

3. मार्गदर्शक सिद्धान्त (पृष्ठ 5, 6)

   (अ) ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना।

   (ब) पढ़ाई रटन्त प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना

   (स) पाठ्यपुस्तक का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों को चहुँमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए,बजाए इसके कि वह पाठ्यपुस्तक केन्द्रित बनकर रह जाए।

एम.जी.एम.एल. कैसे पूर्ण करता है

1. इस प्रणाली में पाठ्यपुस्तक को छोटे–छोटे भागों में माइलस्टोन के रूप में विभक्त किया गया, जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी गति व क्षमता के आधार पर मानसिक बोझ से मुक्त होकर सीखते हैं।

2. एम.जी.एम.एल. प्रक्रिया में बच्चे पर्यावरण अध्ययन में सर्वेक्षण अवलोकन कर सीखते हैं, साथ ही स्थानीय सामग्रियों का शिक्षण कार्य में सीखने के लिये उपयोग किया जाता है। कार्डो में लोगों के रूप में परिवेशीय पशु–पक्षी, फल एवं वस्तुओं का उपयोग किया गया है, इसके साथ ही कार्डों का स्थानीय भाषा में भी विकसित किया गया है।

3. (अ) बच्चे समूह में गतिविधि करते हुए विभिन्न कामगारों की सहायता से बाहरी जीवन में भी सीखता है।

   (ब) एम.जी.एम.एल. शिक्षण प्रणाली पूर्णतः गतिविधि आधारित है प्रत्येक अवधारणा को अनेक गतिविधियों के द्वारा करके सीखने पर जोर देती है।

   (स) एम.जी.एम.एल. शिक्षण प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान के साथ जोड़कर सिखाया जाता है इसमें बच्चों को अपने विचारों के व्यक्त करने के पर्याप्त अवसर दिये जाते हैं।

(द) परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना।

(द) परीक्षा के स्थान पर स्वमूल्याकंन की व्यवस्था है। बच्चे भयमुक्त वातावरण में सहजता से स्वमूल्यांकन करते हैं।

मुल्यांकन का यह प्रयोजन नही है

4 बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। (पेज 80)

(4) एम जी एम एल शिक्षण प्रणाली बा।लकेन्द्रित है, इसमें बच्चों के रूचि क्षमता व गति अनुसार आनन्दायी ढ़ंग से खेल–खेल में सीखते हैं, जिससे आत्म विश्वास बढ़ता है। इसमें शिक्षण गतिविधियाँ आधारित है। बच्चे के अनुभव व पूर्व ज्ञान के अनुसार गतिविधियों को अधिक स्थान दिया गया है। जैसे बिल्लस, नदी पहाड़, सांप सीढ़ी, पासा, पिट्टुल का खेल व अमानक इकाइयों द्वारा मापन आदि।

(अ) बाल केन्द्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों इनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना है। (पेज 15–22)

(ब) सभी बच्चों को एक ऐसे कार्यक्रम के जरिए स्कूलों से जोड़ना तथा उन्हें टिकाए रखना जो हर बच्चे की महत्ता को फिर से दृढ़ करने को महत्वपूर्ण समझे और सभी बच्चों को उनकी गरिमा का एहसास कराए तथा उनमें सीखने का विश्वास जगाए। (पेज 6)

5 शिक्षा के लक्ष्य– बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति और सौन्दर्यात्मक आस्वादन की क्षमता के विस्तार के लिये साधन और अवसर मुहैया करना शिक्षा का अनिवार्य कर्तव्य है। (पेज 13)

(5) एम जी एम एल शिक्षण प्रणाली में बच्चों के लिये चित्र, कहानी, कविता, वर्णन, अभिनय सृजनात्मक कार्य करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है। बच्चे अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से रखते हैं, जिसका पूरा पूरा सम्मान किया जाता है।

6 विद्यार्थी का संदर्भ में रखना– किताबी ज्ञान को दोहराने की क्षमता के विकास के बजाए पाठ्यचर्या, बच्चों को इतना सक्षम बनाये कि वे अपनी आवाज ढूँढ़ सकें, अपनी उत्सुकता का पोषण कर सकें, स्वयं करें, सवाल पूछें, जाँचें–परखें और अपने अनुभवों को स्कूली ज्ञान के साथ जोड़ सकें। (पेज 15– 2.2)

(6) इस शिक्षण प्रणाली में शिक्षक सुविधाादाता के रूप में होते हैं। सारी गतिविधियाँ बच्चे समूह में करके सीखते हैं और निष्कर्ष व अनुभवों के आधार पर बात करते हैं, जिसका पर्याप्त अवसर दिया जाता है साथ ही सम्मान भी किया जाता है। प्रायोजना कार्य के माध्यम से बच्चा अपने अनुभवों को स्कूली ज्ञान से जोड़ता है।

7 बच्चों को पर्यावरण व पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना।	(7) एम.जी.एम.एल. शिक्षण प्रणाली में पर्यावरण के अध्ययन में प्रत्यक्ष अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण का कार्य करते हैं। जिससे इनमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का भाव आता है।
8 स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती है।(पेज 18)	(8) कक्षा के अन्दर एवं बाहर सीखने के लिए गतिविधि कार्ड विकसित किया गया है।
9 स्कूल विभिन्न आयु के बच्चों के समूह बनाकर उन्हें साथ साथ काम करने के लिए परियोजना कार्य भी दे सकते हैं।(पेज 23)	(9) इस प्रणाली में छः समूह निर्धारित किये गये हैं। प्रत्येक समूह में कक्षा पहली से 4 थी तक विभिन्न आयु के बच्चे एक साथ गतिविधि करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्रायोजना कार्य बच्चो से कराया जाता है।
10 गतिविधि आधारित शिक्षण पर जोर(पेज 24–25) कक्षा के ज्ञान को बच्चों के जीवन अनुभव से जोड़ा जाए। (पेज 7 क) हाशिए के समाजों के बच्चों को जिन्हें काम से जुड़े कौशल का ज्ञान होता है। अपने सम्पन्न साथियों का मान–सम्मान पाने का अवसर मिल सकेगा। (पेज 7 ख)	(10) इस प्रणाली में ग्राम के कामगारो को आमंत्रित किया जाता है। वे अपने काम धंधो के बारे में बच्चे को जानकारी देते हैं। स्वअधिगम करके तथा साथी समर्थित समूह में एक दूसरे के सहयोग करके गतिविधियों द्वारा समुदाय को बच्चो के अर्जित ज्ञान को परखने का अवसर प्राप्त होता है। एम जी एम एल प्रणाली क्रियात्मक गतिविधियों पर आधारित है। तेज गति से सीखने वाले बच्चे का अनुभव और ज्ञान का लाभ उस समूह के अन्य बच्चों को मिलता है। स्वयं करके सीखने के कारण बच्चों का आत्म विश्वास प्रबल होता है।
11 गतिविधि शब्द आज अधिकतर प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के रजिस्टर का अंग बन चुका है। लेकिन अक्सर हम यह पायेंगे कि हरबर्ट द्वारा दी गई	11 इस शिक्षण पद्धति की समूह लोगो गतिविधि को निर्धारित करता है। अतः पूरा शिक्षण गतिविधि आधारित ही है।

पाठ योजना पर परियोजनाओं की कलम भर लगाई गई होती है और वे पाठ के अंत में दिये गये परिणामों से अभिप्रेरित होती है।

बच्चे गतिविधि करते हैं और सीखते जाते हैं। शिक्षक मार्ग दर्शक के रूप में बच्चों को प्रोत्साहन एवं सुविधा देने का कार्य करता है।

12 स्कूली गणित का दर्शन

(1) बच्चे गणित से भयभीत होने के बजाये उसका आनंद उठाये। (पेज 49)

गणितीय खेल पहे लिया और कहानियां सकारात्मक रूझान पैदा करने और गणित को रोजमर्रा की जिन्दगी से संबंध जोड़ने में मददगार हो सकती है। यह ख्याल रखना जरूरी है।(पेज 51)

12 एम जी एम एल शिक्षण पद्धति में गणित विषय के अध्ययन को विभिन्न खेलों जैसे– बोल भाई कितने पिट्टूल, सांप सीढी, पासा, रेल गाड़ी खेल के माध्यम से सभी पूर्ण एवं आनंद दायक बनाया गया है।

13 ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिसमें महिलाओं के प्रति सम्मान और उत्तर दायित्व की भावना का विकास हो।(पेज 70)

13 महिलाओं के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना के विकास हेतु माताओं द्वारा स्कूल में आकर बच्चों को कहानी सुनाने हेतु प्रेरित किया जाता है।

14 बच्चे उस स्थान पर रहना पसंद करते हैं, जो रंग–रंगोली, दोस्ताना और साथ हो। जहाँ ढेर सी खुली जगह हो, साथ ही छोटे कोने हों, पशु– पक्षी, पेड़ पौधे और खिलौने हों। बच्चों को आकर्षित करने के लिए विद्यालयों में इन चीजों का होना आवश्यक है।(पेज 89)

14 कक्षा को विभिन्न चित्र चार्ट और महापुरूषों की तस्वीर, समूह थाली, लेडर, भू स्तर श्यामपट आदि से सजाया जाता है। ऊपर तार की जाली लगायी जाती है। कक्षा रैक, ट्रे एवं कार्ड से सुसज्जित होती है।

15 बच्चों के द्वारा की गई चित्रकारी और हस्त कार्य के नमूने दीवारों पर लगाने से माता–पिता और बच्चों को यह दृढ संदेश जाता है। कि उनके काम को सराहा जा रहा है। इन कला कृतियों को ऐसी जगहों और उतनी ऊँचाई पर लगाना चाहिए ताकि स्कूल के विभिन्न

15 बच्चों, पालको द्वारा लिखी कहानी कविता एवं चित्र को सम्मान पूर्वक कक्ष के तार की जाली पर लटकाया जाता है।

आयु वर्ग के बच्चे आसानी से पहुँचें और उनको देख पायें।(पेज 89)

16 बच्चे छोटे समूहों में इकट्ठे बैठ पाएँ या बड़े घेरे में बैठ कहानी सुन सकें, या अपना व्यक्तिगत लेखन या पठन का काम कर सकें, इसके लिए कुर्सी, मेज या दरियाँ ऐसी कक्षाओं के लिए बिल्कुल सही है।(पेज 90)

17 अभिभावकों एवं समुदाय के लिए स्थान

अभिभावक और समुदाय के सदस्य स्कूल में संदर्भ व्यक्ति के रूप में आकर पढ़ाये जा रहे विषय से संबधित अपना ज्ञान बाँट सकते हैं। उदा. किसी मैकेनिक को बुलाकर उनके अपने अनुभवों की जानकारी कक्षा में दे, सभी स्कूलों को ऐसे तरीके खोजने की जरूरत है, जिनसे अभिभावकों की भागीदारी और जुड़ाव को प्रोत्साहन मिले और वह बरकरार रह पाये।

16 एम जी एम एल कक्षा में बच्चें प्रत्येक समूह में गोल घेरे मे ही बैठते है और बैठने के लिए चटाई या दरियों का उपयोग किया जाता है।

(17) इस शिक्षण प्रणाली में समुदाय की सक्रिय भूमिका एवं भागीदारी बरकरार रहे, इस हेतु समय–समय पर ग्राम के विभिन्न कामगार को बुलाया जाता है। विभिन्न कार्यक्रमों में पाठ्य सामग्री तथा कार्डो को प्रदर्शित किया जाता है। समुदाय के लोगों से कहानी कथन करवाया जाता है।

MGML और **RTE**

शिक्षा का अधिकार अधिनियम और	बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण
1. धारा 3 के उपधारा 4 –आयु अनुरूप कक्षा में सीधे दाखिला पाये बच्चे को दूसरे बच्चे के बराबर आने के लिये निध ार्ारित तरीके एवं समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।	* शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिये राज्य शासन आवासीय एवं गैर आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन कर रही है। यदि इन केन्द्रों में एमजीएमएल शिक्षण पद्धति से शिक्षा दी जाये तो बच्चे तीव्र गति से सीखेंगे एवं निर्धारित समय सीमा से पहले दक्षताओं को प्राप्त कर लेंगे
* धारा 8 की उपधारा ग –दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक के प्रति पक्षपात न हो।	* एमजीएमएल शिक्षण प्रक्रिया में व्यक्तिगत शिक्षण होता है अर्थात् प्रत्येक बच्चे को पहले समूह में अवधारणा सिखाने का कार्य शिक्षक को ही करना होता है अतः इस प्रक्रिया में किसी भी बच्चे के साथ पक्षपात की संभावना नहीं होती।
* धारा 8 की उपधारा छ– प्राथमिक शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करना।	* एमजीएमएल प्रक्रिया में यदि शिक्षक अवधारणा कार्ड और बाकी सभी कार्डों को बेहतर तरीके से उपयोग करता है तो निर्धारित समयावधि में बच्चा सीख ही जाता है इस प्रक्रिया में बच्चों की कमियों को पहचानने का भी उपकरण है।
* धारा 8 की उपधारा ज– प्राथमिक शिक्षा के लिये पाठ्याचार और पाठ्यक्रम को समय से विहित करना।	* एमजीएमएल प्रक्रिया में प्रत्येक माइलस्टोन में पाठ्याचार और पाठ्यक्रम को विहित किया गया है
* धारा 8 में प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित हो, कहा गया है	* एमजीएमएल प्रत्येक बच्चे की सीखने की स्थिति को सुनिश्चित करता है।
* धारा 9 में अकादमिक कैलेण्डर का विनिश्चय करना।	* साल भर शाला में क्या–क्या होगा एमजी एमएल का माइलस्टोन अपने आप तय करता है।
* धारा 16 के अन्तर्गत किसी भी बालक या बालिका को किसी भी कारण से फेलनहीं	* एमजीएमएल प्रक्रिया में पास या फेल

किया जायेगा।	पर ध्यान नहीं दिया गया है। बल्कि प्रत्येक माईल स्टोन को गुणवत्ता के साथ सीखने पर जोर दिया गया है।
* धारा 24 की उपधारा 'ख' तय समय सीमा के अंदर पाठ्यक्रम संचालित करना एवं पूरा करना।	* एमजीएमएल प्रक्रिया में माईल स्टोन अर्थात् पाठ्यक्रम है। जिसमें समय का निर्धारण है। निर्धारित अवधि में पूरा नहीं करने पर शिक्षक बच्चे की कठिनाईयों को तलाशता/ पहचानता है। बच्चे की शिक्षण की कमजोरियों को पहचानकर उपचारात्मक शिक्षण कर समय सीमा में पाठ्यक्रम को पूरा करता है।
* धारा 24 की उपधारा 'घ' प्रत्येक बच्चे की पढ़ने के स्तर का निर्धारण और तदनुसार अतिरिक्त शिक्षण	* प्रक्रिया की मुख्य विशेषता प्रत्येक बच्चे की गति एवं स्तर के अनुसार शिक्षण है। विषय आधारित लेडर प्रत्येक कार्ड की गतिविधि कराने एवं अगले कार्डों में जाने के पहले उपचारात्मक कार्डों की व्यवस्था है। नई योजना तैयार कर प्रत्येक बच्चे को जाँचने और उसके अनुरूप शिक्षण की पूरी व्यवस्था करता है।
* धारा 24 की उपधारा '1' ङ के अंतर्गत माता–पिता एवं पालकों को बच्चों की नियमित उपस्थिति, अधिगम क्षमता एवं अधिगम में उन्नति और अन्य संबंधित सूचना देना।	* एमजीएमएल प्रक्रिया में माता–पिता, पालकों एवं समुदाय को कहानी सुनाने व चर्चा करने के लिए स्कूल बुलाया जाता है। इस दौरान दीवार में लगे मूल्यांकन चार्ट एवं शिक्षक की निजी डायरी द्वारा प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति, बच्चों द्वारा सीखी गई दक्षताएँ और उनकी प्रगति के बारे में जानकारी दी जाती है।
* धारा 24 की उपधारा '1' च के अंतर्गत इसी प्रकार के अन्य कार्य संपादित करना।	* प्रक्रिया में गाँव के कामगारों (कृषक, बढ़ई, लोहार आदि) को कक्षा में अपने रोजगार के बारे में जानकारी देने के लिए कहा जाता है। साथ ही पर्यावरण शिक्षण के दौरान बच्चों को सर्वे करने एवं सीधे ग्रामीणों से चर्चा करने के लिए गतिविधियाँ दी जाती है।

* धारा 29 की उपधारा 'ख' बालक का सर्वांगीण विकास।	*	एमजीएमएल प्रक्रिया में प्रत्येक बच्चे को शिक्षक, साथी और स्वयं से सीखने के कई अवसर उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। यही कारण है कि इस कक्षा के बच्चे आत्मविश्वासी होते हैं।
* धारा 29 की उपधारा 'ग' बालक के ज्ञान, अंतशक्ति और योग्यता का निर्माण करना।	*	एमजीएमएल प्रक्रिया में अवधारणात्मक समझ के पश्चात् 10–14 कार्ड अभ्यास, अंतःशक्ति और योग्यता का निर्माण करने हेतु प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध होते हैं। समूह विभाजन की प्रक्रिया से गुजरकर स्वअधिगम तक जाने में धारा 29'ग' की स्थिति पूर्ण होती है।
* धारा 29 की उपधारा 'ङ' बाल अनुकूल और बाल केन्द्रित रीति में क्रियाकलापों प्रकटीकरण और खोज के द्वारा शिक्षण।	*	एमजीएमएल की प्रक्रिया, किट और सामग्री, बाल अनुकूल और बाल केन्द्रित रीति का ही अनुपालन करती है। पासा, अंताक्षरी,रेलगाड़ी का खेल, बिल्लस का खेल आदेश– निर्देश के पालन संबंधी खेल तथा पर्यावरण में खेल के अवसर प्राप्त होते हैं।
* धारा 29 की उपधारा 'छ' बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बालक को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना।	*	यही पूरी प्रक्रिया बच्चे को भय मुक्त तो करती ही है साथ ही कई ऐसे कार्य है, जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने के अवसर देते हैं। समूह शिक्षण प्रक्रिया इस पूरी प्रक्रिया में मदद करता है।
* धारा 2 के 'क' के अंतर्गत संविधान द्वारा संकलित पवित्र मूल्यों का समावेश।	*	एमजीएमएल प्रक्रिया सहयोग के सिद्धांत पर बनी है। सीखे हुए बच्चे, नहीं सीखे हुए बच्चों का स्वप्रेरित होकर सिखाते है साथ ही पूरे कार्डों का रख–रखाव एवं प्रबंधन बच्चों के द्वारा ही किया जाता है। कार्डों में विशेष रूप से प्रेम, प्रकृति प्रेम, सद्भावना,नैतिक दायित्व, सार्वजानिक संपत्तियों के संरक्षण, जीवन–विद्या एंव

		अच्छी आदतों के विकास जैसे अनेक नैतिक मूल्यों को रखा गया है।
* धारा 29 की उपधारा (2)'घ'के अंतर्गत बाल मैत्री व बालकेन्द्रित तरीके से गतिविधियों खोजों और परीक्षणों द्वारा अधिगम।	*	एमजीएमएल पूर्णतया बालकेन्द्रित एवं बाल मैत्रीपूर्ण शिक्षण पद्धति है। इसमें शिक्षक बच्चों के साथ जमीन पर बैठता है एवं बच्चों की रूचि के अनुरूप शिक्षा देता है। साथ ही किसी प्रश्न का उत्तर बच्चों पर थोपने के बजाय बच्चों को गतिविधियाँ कराकर खोजों एवं परीक्षणों द्वारा हल पाने का प्रयास करवाता है। गणित, हिन्दी, अंग्रेजी जैसे विषयों को बड़े ही रोचक एवं मैत्रीपूर्ण तरीके से पढ़ाया जाता है। पर्यावरण विषय का आधार तो खोज एवं परीक्षण ही है।
* धारा 29 की उपधारा (2) 'च' के अंतर्गत शिक्षण का माध्यम जहाँ तक व्यवहारिक हो मातृभाषा होगी।	*	एमजीएमएल शिक्षण पद्धति मातृभाषा द्वारा शिक्षण को बहुत महत्व देती है। इस हेतु एमजीएमएल के कार्डों को हल्बी, भतरी एवं गोंडी जैसे स्थानीय बोलियों में कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए निर्मित किया जा रहा है। इसके अलावा एमजीएमएल के अंतर्गत 'रीडर्स' को बच्चों की मातृभाषा में बताया जाता है।

00000

14 सपना सच कैसे हो?

जिला राजनांदगाँव के एक SRTC में अध्ययनरत एक बालिका जिसका नाम कुमारी सीमा है– SRG के भ्रमण के दौरान; मेरी उनसे बातें हुई –

प्र.1 तुम्हारे परिवार में कौन–कौन है?

उ. सीमा :– कोई नहीं

प्र.2 तुम आगे चलकर क्या करोगी?

उ. सीमा :– ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ।

प्र.3 क्यों?

उ. सीमा :– स्वालंबी बनना चाहती हूँ।

प्र.4 और क्या करोगी?

उ. सीमाः– मेरे जैसे और लड़कियों को भी आत्म निर्भर बनाना चाहती हूँ।

इन प्रश्नों से मेरे मन में अनेको प्रश्न उठने लगे। क्या हमारा SRTC ऐसी व्यवस्था दे पा रहा है?

प्र0 इस विषय पर आप क्या करना चाहोगे?

उ. .....

प्र0 क्या सीमा का लक्ष्य पूरा हो पाएगा?

उ. .....

प्र0 क्या सीमा समाज के उन लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाएगी?

उ. .....

प्र0 सीमा के लक्ष्य को पूरा करने में हमारी भूमिका क्या होगी?

उ. .....

प्र0 सीमा का मार्गदर्शन कैसे करेंगे?

उ. .....

मेरा सपना

राजनांदगाँव जिले के कैलाश नगर SRTC में एक बच्चा है प्रहलाद। वह बहुत ही मेहनती है। जब हमने उनसे बात की तो वह बड़ी उत्सुकतापूर्वक हमसे बात करने लगा। जब हमने उससे पूछा कि तुम आगे पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते हो, तो उसने जो कहा वह अचंभित करने वाली थी। उसने कहा – मैं किसान बनना चाहता हूँ। हमने पूछा क्यों – तो उसने कहा क्योंकि मैं बहुत सारा धान उगाना चाहता हूँ। अपने पिताजी जितना कमाते हैं, उससे ज्यादा।

आइए अब हम इस बच्चे के सपने पर गौर करें –

1. क्या इस बच्चे ने खेती के क्षेत्र को अपना लक्ष्य चुनकर कोई गलती की है?
2. यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों?

00000

'' सीखने से सृजनशीलता आती है। सृजनशीलता सोचने की राह बनाती है। सोचने से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान व्यक्ति को महान बनाता है।''

15 DPC/ DEO/ DIET/ AC/ BEO/ B.R.C.C/ CAC
प्रधान पाठक/शिक्षक/ समुदाय की भूमिका

उद्देश्यः

1. जिले में शाला त्यागी, अप्रवेशी, कमजोर बच्चे के उम्र एवं कक्षा ज्ञान के लक्ष्य को पूरा करना।
2. जिला, विकासखंड एंव स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट करना।

जिला शिक्षाअधिकारी की भूमिका

1. कार्यक्रम की प्रगति कारक समीक्षा करना ।
2. जिले में संचालित SRTC की जानकारी कलेक्टर को देना एंव समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
3. एक माह में कम से कम दो SRTC का मानिटरिंग करना।
4. कलेक्टर से व्यावहारिक आदेश प्रसारित करने के लिए आग्रह करना।
5. SRTC केन्द्रों की आवासीय प्रबंधन की समीक्षा एवं आवश्यक सुधार हेतु पहल करना।

ftyk ifj;kstuk leUo;d dh Hkwfedk

1. जिले में SRTC का संचालन करवाना।
2. जिले के SRTC का मानिटरिंग व वित्तीय प्रबंधन करना।
3. किसी एक A.P.C को सेल प्रभारी नियुक्त करना।
4. अनुदेशक चयन प्रक्रिया में योगदान देना।
5. SRTC का निरीक्षण प्रति माह प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम एक केन्द्र का करना।
6. S.R.T.C की व्यवस्था, स्थापना एवं अनुदेशकों का प्रशिक्षण कराना।
7. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/बी.आर.सी सी, डी.आर.जी की समीक्षा बैठक (प्रतिभागी ए. पी.सी, डी.आर.जी, बी.आर.जी, बी.ई.ओ,बी.आर.सी सी, एस.आर.जी, एम.जी.एम. एल/एस.आर.टी.सी)
8. जिले के प्रगति कारक प्रतिवेदन राज्य को भेजना।

9 जिले की कार्य योजना राज्य को भेजना/प्रस्तुत करना।

10 जिला स्तर पर प्रचार–प्रसार करना।

10. आवश्यकतानुसार बच्चों का (विशेष संवेदनशील बच्चों के संबंध में) SRTC में स्थानांन्तरण।

fodkl [k.M f'k{kk vf/kdkjh dh Hkfedk

1. विकासखण्ड में SRTC के लिए माहौल बनाना।
2. समस्त SRTC का माह में कम से कम दो बार निरीक्षण करना (15 दिन के अंतराल में)
3. केन्द्र से प्राप्त वित्त व्यवस्था को समय सीमा में उपलब्ध कराना।
4. विकास खण्ड के अन्दर सूचना के आधार पर प्राप्त हितग्राही बच्चों को केन्द्र तक लाने में व्यक्तिगत रूप से योगदान देना।
5. खण्ड स्तरीय जन प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करना, उन्हें केन्द्र के साथ जोड़ना।
6. विकास खण्ड स्तर पर प्रचार–प्रसार करना।
7. विकास खण्ड स्तर की जानकारी डी.पी.सी को देना एंव कार्य योजना प्रस्तुत करना।
8. SRTC के लिए उपयुक्त स्थान एंव भवन का चयन करना।
9. SRTC के लिए अन्य भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग देना
10. D.P.C से बच्चों की उपलब्धि या समस्या के लिए सतत् सम्पर्क में रहना।

B.R.C.C. की भूमिका

1. विकास खण्ड में SRTC केन्द्र स्थापित करना।
2. विकास खण्ड में SRTC के लिए चिन्हांकित प्रत्येक बच्चे के लिए केन्द्र तक आने के लिए व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करना ।
3. SRTC का प्रचार–प्रसार करना।
4. सभी SRTC केन्द्रों की मानिटरिंग प्रति सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप करना
5. SRTC केन्द्र की व्यवस्था में सुधार करना ।

6. SRTC केन्द्र का प्रगति कारक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

7. जिला स्तरीय बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेना।

8. किसी एक B.A.C को प्रभार देना।

9. C.A.C द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर व्यवहारिक समस्यों का निदान करना।

10. A.C.K प्राप्त बच्चों को सामान्य अध्यापन से जोड़ने में सहयोग करना।

CAC की भूमिका

- संकुल क्षेत्र के अन्तर्गत बच्चों का SRTC के लिए चिन्हांकन कर उसकी सूची बनाना एंव उसे विकास खण्ड में प्रस्तुत करना।
- चिन्हांकित बच्चों/पालकों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उन्हें SRTCमें आने के लिए प्रेरित करना।
- SRTC का प्रसार–प्रसार करना।
- प्रतिदिन SRTC के अनुदेशकों एवं बच्चों से सम्पर्क स्थापित कर प्रगति कारक मूल्यांकन प्रपत्र तैयार करना।
- प्रत्येक सप्ताह किसी पालक से सम्पर्क स्थापित कर SRTC के प्रति उसकी प्रतिक्रिया जानना।
- प्रत्येक सप्ताह किसी एक जनप्रतिनिधि से SRTC पर प्रतिक्रिया जानना एवं SRTC के अवलोकन के लिए प्रेरित करना।
- SRTC के लिए आवश्यकतानुरूप विषय विशेषज्ञ उपलब्ध कराने के लिए विषय विशेषज्ञ से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उनके सुविधा के अनुसार उनका लाभ केन्द्र को दिलवाना।
- समुदाय से SRTC केन्द्र के लिए जन सहभागिता के लिए प्रेरित करना।
- SRTC के प्रति उसकी व्यक्तिगत रूचि है,ऐसा उसके व्यवहार एवं गतिविधि से झलकना चाहिए।
- A.C.K असंतुलित बच्चों को कक्षा में जोड़ना।

i/kku ikBd dh Hkfedk

- चिन्हांकित बच्चे एंव उसके पालक से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करना।
- प्रधान पाठक के द्वारा चिन्हांकित बच्चों को SRTC में आने लिए प्रेरित करना।

– चिन्हांकित बच्चे के केस स्टडी के लिए प्रमाणित जानकारी बनाने में अनुदेशकों, बी. आर.सी एवं अन्य सहयोगी को सहयोग देना।

– SRTC से संबंद्ध बच्चे को प्रक्रियानुसार, प्रवेश, गुणवत्ता आदि में सहयोग देना।

– सहयोगी शिक्षकों को भी SRTC के प्रति योगदान देने के लिए प्रेरित करना।

– बच्चे का चिन्हांकन करने तथा चिन्हांकित बच्चे को SRTC तक पहुँचाने में शाला प्रबंधन समिति, अन्य समिति तथा समुदाय से भागीदारी लेना।

f'k{kd dh Hkfedk

– अपने शाला ग्राम की समितियों, मण्डलियों एवं समुदाय से SRTC के लिए चिन्हांकन में सहयोग लेना।

– बच्चों की केस स्टडी में सहयोग करना।

– अध्यापन में विषय विशेषज्ञ के रूप में योगदान।

– अपने विशेष रूचि की अभिव्यक्ति कर बच्चों में कौशल विकास की क्षमता विकसित करना।

– SRTC का प्रचार–प्रसार करना।

– अपने अनुभवों का लाभ SRTC में देना।

– अनुदेशकों को प्रोत्साहित करना।

lenk; dh Hkfedk&

– समुदाय, बालक, जन प्रतिनिधि SRTC केन्द्र का अवलोकन करें।

– चिन्हांकन, केस स्टडी, नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता प्राप्त करने में सहयोग, व्यावसायिक जानकारी देने के लिए ग्राम व आस–पास के लोगों को आमंत्रित कर समझ विकसित करना।

– S.R.T.C के प्रति सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों को SRTC केन्द्र के लिए प्रतिनिधि बनाकर योगदान करना।

00000

16 समुदाय से सहभागिता

शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है,बिना समुदाय के शिक्षा की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। बच्चों का अधिकांश समय समुदाय में ही बीतता है। यही से सीखने की शुरूआत भी होती है। शैक्षिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शिक्षा में समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इस हेतु विद्यालय और समुदाय के बीच समन्वय आवश्यक है।

आर.टी.सी/एन.आर.टी.सी. में अध्ययनरत बच्चे, शिक्षा की मुख्य धारा से अलग हो चुके बच्चे होते हैं, जिन्हें पुनः मुख्यधारा में लाने की विशेष प्रशिक्षण दी जाती है।ऐसे बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से तो अलग हो गये थे। किन्तु समुदाय के सम्पर्क में सतत् रहे एकाएक इन्हें समुदाय से अलग कर विद्यालय से जोड़ देना, इन बच्चों के साथ अन्याय होगा। बच्चे का मन केन्द्र में लगा रहे तथा शिक्षा की गुणवत्ता भी स्थापित हो इसके लिए केन्द्र एवं समुदाय के बीच समन्वय होना आवश्यक है। इसके लिए अनुदेशक को पहल करना होगा।

अनुदेशक निम्न गतिविधियों के द्वारा समुदाय से समन्वयन स्थापित कर सकता है।

1. बच्चो को सर्वे के लिए समुदाय में भेज कर।
2. स्थानीय ग्राम चौपाल अथवा सामुदायिक भवन में समुदाय एवं बच्चों के साथ बैठक आयोजित करके।
3. माताओं को कहानी सुनाने, पाक कला सिखाने, घरों के रखरखाव एवं सजावट सिखाने के लिए आमंत्रित करना।
4. स्थानीय कामगारों को अपने–अपने व्यवसाय की जानकारी देने के लिए आमंत्रित करके।
5. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कलाकार जैसे–चित्रकार,गायक, वादक, मूर्तिकार, लोकनर्तक दल इत्यादि को भी आमंत्रित करना।
6. स्थानीय त्योहारों को आर.टी.सी/एन.आर.टी.सी. केन्द्रों में भी मनाना चाहिए।
7. केन्द्र में समय–समय पर समुदाय और बच्चों का खेल आयोजित करना।
8. पालक सम्मेलन आयोजित करना।

9. पालक एवं समुदाय के बैठक आयोजित कर बच्चों की उपलब्धियों का उल्लेख करना।

10. बच्चों को स्ट्रीमींग (मुख्यधारा से जुड़ाव) के पश्चात् प्रमाण पत्र का वितरण समुदाय की उपस्थिति में करना।

11. बच्चों के मूल्यांकन में समुदाय का सहयोग लेना।

उपरोक्त गतिविधियों के संचालन से बच्चे अपने आपको सतत् समुदाय के करीब पायेंगे।उनका मन केन्द्र में लगा रहेगा, तथा समुदाय भी अपने बच्चों की प्रगति को स्पष्ट रूप से देख पाएँगे। इस प्रकार समुदाय और अनुदेशक के मध्य मधुर सम्बंध से शिक्षा की गुणवत्ता में गुणोत्तर विकास होगा।

S.R.T.C हेतु सामुदायिक सहभागिता

क्षमता	उपयोग
1. बच्चों को S.R.T.C केन्द्र तक लाना।	1. समुदाय पालकों को अच्छी समझा पाता है यहाँ कुछ ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति होते है, जिनकी बातों का ग्राम वासी सम्मान करते है। इनके सहयोग से हम S.R.T.C में बच्चों को ला सकते है।
2. पालकों को समझाने।	2. समुदाय के ऐसे व्यक्ति, जो निकटतम संबंध रखते हैं, कुछ मित्र होते हैं, इनकी बातों का असर पालक पर पड़ता है, जिससे वह सहर्ष अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना स्वीकार कर लेता है।
3. सुचारू रूप से संचालन हेतु।	3. समुदाय यदि अपना बच्चा S.R.T.C केन्द्र भेजता है और वह चाहता है कि बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल सही हो। अतः सुचारू रूप से संचालन हेतु समिति गठन कर निरीक्षण अवलोकन की जवाब दारी बखूबी से निभा सकता है।
4. मानिटरिंग कार्य	4. चूंकि समुदाय केन्द्र के आस–पास ही होते हैं। इनके द्वारा नियमित मानिटरिंग की जा सकती है।
5. व्यावयसायिक शिक्षा प्रदान करने	5. केन्द्र के आस–पास गाँव या शहर ऐसे व्यक्ति कार्यरत रहते हैं ,जो कि स्वरोजगार से जीविका निर्वहन करते हैं। ऐसे व्यक्ति अवकाश समय पर अपनी सेवा दे सकते हैं। जिससे बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं, जैसे–

	बढ़ई, लोहार,कृषक, कुम्हार, टोकरी बनाने वाले आदि।
6 विषय विशेषज्ञ के रूप में।	6. समुदाय के पढ़े–लिखे लोगों को केन्द्र में विषय विशेषज्ञ के रूप में बुलाये। वे अपना कार्य के अलावा खाली समय में केन्द्र में आकर किसी भी विषय जैसे– हिन्दी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत कला, चित्र कला आदि S.R.T.C केन्द्र को सहयोग दे सकते हैं तब हम उन्हें पारिश्रमिक देकर भी बुला सकते हैं।
7. प्रचार–प्रसार में सहयोग।	7. प्रचार–प्रसार में समुदाय का सहयोग अधिक से अधिक लिया जा सकता है। जैसे : 1. ग्राम सभा में शिक्षा के महत्व को समझने। 2. जागरण रैली में। 3. नुक्कड़ नाटक में उनकी सहभागिता लेकर।
8. बीहड़ क्षेत्र में पहुंच	8. बीहड़ इलाके जो हमारी पहुँच से बहुत दूर होती है इन इलाको के जागरूक लोगों के माध्यम से शिक्षा एवं S.R.T.C से लोगों को जोड़ा जा सकता है।
9. संवेदनशील क्षेत्र में पहुंच।	9. समुदाय के लोग समस्याओं के बाद भी जनसम्पर्क में हमारी मदद कर सकते हैं।
10. सामाजिक कार्यकर्ता	10. ग्राम, मोहल्ले में ऐसी समितियाँ होती हैं जो सामुहिक कार्य करती है , जैसे– युवा समिति, क्रीडा समिति, ग्राम विकास समिति, गणेश समिति, दुर्गा समिति, मानस मण्डली आदि के कार्यकर्ताओं का अपना स्थान होता है वे अपने कार्य कुशलता से शिक्षा के विकास में मदद करते हैं।
11. जातिय प्रमुख	11. किसी भी जाति में चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी एक मुखिया या सम्मानीय व्यक्ति अवश्य होता है। उनसे चर्चा करेंाये व्यक्ति अपने जाति के विकास हेतु S.R.T.C का सहयोग कर सकते हैं।
12. राजनीतिक पकड़	12. गाँव में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते है। उनका किसी खास क्षेत्र पर अच्छा प्रभाव होता है, सम्मान होता है। उससे अपनी बात कहकर शिक्षा से जोड़ सकते हैं।

00000

17 मॉनीटरिंग एवं समीक्षा बैठक

उद्देश्यः–

– S.R.T.C केन्द्रों के सफल संचालन के लिए।

– समय सीमा में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए।

– कठिनाइयों को पहचान पाने के लिए।

– कठिनाइयों को दूर करने के लिए।

मानिटरिंग के क्षेत्र–

1. प्रशासनिक 2. अकादमिक

1. एस.सी.ई.आर.टी.के फेकेल्टी मेम्बर
2. निर्देशित सदस्य
3. तकनीकी एवं अनुसमर्थन समूह टी.एस.जी।

राज्य स्तर

जिला स्तर

DEO DPC AC DIET PRINCIPAL

विकास खण्ड स्तर

BEO BRCC SUPPORTIVE TEACHER

संकुल स्तर

CAC CRC SRTC

मानिटरिंग के बिन्दु

प्रशासनिक पहलू

1. SRTC/ NSRTCखुले हुए पाए गये – हाँ / नहीं

2 सभी शिक्षक/अनुदेशक उपस्थित पाए गये – हाँ / नहीं

3 बच्चों की कुल दर्ज संख्या –

4 बच्चों की उपस्थिति संख्या – उपस्थित–––––––अनुपस्थित–––––––

5 बच्चे गणवेश में उपस्थित है –

भवन व्यवस्था

1 बच्चों के अध्ययन हेतु पर्याप्त कक्ष है – हाँ/नही

2 पृथक शयनकक्ष है – हाँ/नही

3 रसोईकक्ष है – हाँ/नही

4 स्टोर रूम (SRTC कें लिए) उपलब्ध है – हाँ या नही

5 शौचालय है – हाँ/नही

6 शौचालय साफ सुथरा है एव उपयोग हो रहा है – हाँ /नही

अनुदेशक संख्या/उपस्थिति

1 केन्द्र में पर्याप्त अनुदेशक है – हाँ/ नही

2 अनुदेशक प्रशिक्षित है हाँ तो कितने दिनो का प्रशिक्षण लिए हैं?

3 अनुदेशक प्रतिदिन केन्द्र में समय पर आते है – हाँ/नही

4 अनुदेशक प्रतिदिन अध्ययन कराते है – हाँ/नही

5 प्राप्त सामग्री का उपयोग अध्यपन में करते है – हाँ/नही

6 केन्द्र प्रमुख विषय विशेषज्ञ शिक्षक/व्यक्ति को समय समय पर अध्यपन के लिए आंमत्रित करते है हाँ/नही

7 आमंत्रित विशेषज्ञ शिक्षक के आने से निम्न में क्या परिवर्तन आया –

1 बच्चों में 2 शिक्षक में

अकादमिक पहलु

शिक्षण

1. अनुदेशक प्रतिदिन अध्यापन करते हैं ?
2. प्राप्त सामग्रीयों का उपयोग हो रहा है ?
3. बच्चे के स्तर में सुधार हो रहा है ?
4. बच्चे चर्चा में भाग ले रहे है ?
5. अनुदेशकों को विषय वस्तु की समझ है या नही ?
6. प्रत्येक विषय का अध्यापन प्रतिदिन होता है ?
7. अनुदेशक ने कोई नवाचार किया है या नही , यदि हां तो उसका विवरण लिखयें
8. क्या बच्चों की समस्याओं का निदान अनुदेशक करते है ?

पंजी संधारण

1. प्रत्येक बच्चे के लिए प्रोफाइल बनाया गया है
2. उपस्थिति पंजी बनाया गया है एंव उनका संधारण प्रतिदिन होता है
3 मूल्यांकन पंजी/प्रपत्र बनाया गया है एंव उनका संधारण प्रतिदिन किया जाता है

बच्चों की सहभागिता

1. अध्यापन के दौरान बच्चों की सहभागिता होती है ?
2. बच्चे अपनी समस्याओं को अनुदेशकों के समक्ष रख पाते है ?
3. बच्चों ने चित्र, कहानी,कविता इत्यादि कोई सामग्री का निमार्ण किया है?
4. बच्चों को समयानुसार खेल करवाते है ?

सामुदायिक सहभागिता

1. माताएं, काहानी सुनने के लिए आती है ?
2. स्थानीय कामगारों को बच्चों को सीखाने के लिए बुलाया जाता है ?
3. अभी तक कितने कामगारों को बुलाया गया है ?
4. समुदाय के लोग केन्द्र का अवलोकन करते है, यदि हां तो माह में कितने बार
5. कैटोलिक टीम ''प्रेरक'' का सहयोग ले रहे है ?

0000

18 व्यावसायिक कौशल

उद्देश्य :

1. अधिकारियों को व्यावसायिक शिक्षा से परिचित करना।
2. SRTC में आने वाले बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के महत्व से परिचित कराना।
3. व्यावसायिक शिक्षा संबंधी केन्द्रों की जानकारी देना।
4. व्यावसायिक शिक्षा हेतु सहयोग देने के लिए प्रेरित करना।

आवश्यकता क्यों ?

1. SRTC में आने वाले बच्चे अक्सर कामकाजी होते हैं।
2. ऐच्छिक या अनैच्छिक रूप से ये बच्चे कार्य में लगे रहते हैं।जैसे :– झिल्ली–पन्नी बीनना, होटल, ढाबों में कार्य, रेल्वे प्लेटफार्म, बस स्टैण्ड या अन्य जगहों पर कलाबाजी दिखाना इत्यादि।
3. कई बच्चों के परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं।ये अपने बच्चों के परिवार के लिए आय के स्रोत मानकर इनकी शिक्षा के प्रति उदासीन हो जाते हैं।
4. ऐसे बच्चों में उम्र से अधिक कार्य करने की रुचि एवं क्षमता ज्यादा होती है व पढ़ाई से दूर होने लगते हैं।

प्रयास :–

1. ऐसे बच्चों को लघुउद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तकला के कार्य, मैकेनिकल कार्य की जानकारी शिक्षा के साथ दी जाए।
2. इन्हें सृजनात्मक क्षमता विकास के प्रति शालाओं में प्रारंभिक जानकारी दे दी जाए तो उन्हें आगे शिक्षण के पश्चात् स्वरोजगार का जरिया मिल जाएगा।
3. ऐसे प्रयास से निश्चित तौर पर इन बच्चों में शिक्षा के प्रति एक विश्वास का भाव जागृत होगा।

समुह–1 खनिज आधारित उद्योग

1. कुटीर कुम्हारी उद्योग

समूह – 2 वनाधारित उद्योग

1. कागज निर्माण।
2. कत्था निर्माण।
3. गोंद और रेजिन निर्माण।
4. लाख निर्माण।
5. कुटीर. दियासलाई उद्योग, पटाखे और अगर बत्ती निर्माण।
6. बाँस और बेंत कार्य।
7. कागज के प्याले,तस्तरी, झोले और कागज के डिब्बों का निर्माण।
8. कापियों का निर्माण, जिल्द साजी, लिफाफा निर्माण रजिस्टर और कागज से बनाई जाने वाली अन्य लेखन सामग्रियाँ
9. खस पट्टी और झाड़ू निर्माण।
10 वनोत्पादों का संग्रह प्रशोधन और पैकिंग।
11 फोटी जड़ना
12 जूट उत्पादों का निर्माण(रेशा उद्योग के अंर्तगत)

समूह– 3 कृषि आधारित और खाद्य उद्योग

1. अनाज,दाल ,मसाला, चटपटे, मसाले आदि का प्रशोधन पेंकिग और विपणन।
2. नूडल निर्माण
3. विद्युत चालित आटा चक्की का उपयोग संबंधी कार्य
4. दलिया निर्माण।
5. धान/चावल छिल्का उतारने की छोटी ईकाई
6. ताड़–गुड़ निर्माण और अन्य ताड़ उत्पाद उद्योग।
7. गन्ना, गुड़, और खांड सारी निर्माण।
8. भारतीय मिष्ठान्न निर्माण।
9. रसवंती – गन्ना रस पान इकाई
10 मधु मक्खी पालन।

11 अचार सहित फल और सब्जी का प्रशोधन परीक्षण एवं डिब्बा बंदी।

12 घानी तेल उद्योग

13 मेथाल तेल

14 नारियल जटा के अलावा रेशा से बनी वस्तुओं का निर्माण

15 औषधि कार्यों के लिए जड़ी बुटियों का संग्रह

16 मक्का और रागी का प्रशोधन

17. काजु प्रशोधन

18. पशु चारा एवं मुर्गी चारा निर्माण,

समूह– 4 बहुलक और रसायन आधारित उद्योग

1. कुटीर साबुन उद्योग।

3. रबर की वस्तुओं का निर्माण।

4. रेग्जिन, पीवीसी से बने उत्पादन।

5. मोमबत्ती कपूर और मोहर वाली मोम का निर्माण।

6. प्लास्टिक की पैकिंग व प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्माण।

7. बिन्दी निर्माण

8. मेंहदी निर्माण

9. शैम्पू निर्माण।

10 केश तेल निर्माण।

11 डिटर्जेंट और धुलाई पावडर निर्माण।

समूह–5 इंजीनियरिंग और गैर परंपरागत उर्जा

1. बढ़ईगिरी।

2. लोहारी।

3. एल्युमिनियम के घरेलू बर्तनों का उत्पादन।

4. गोबर और अन्य उत्पादों का पुनः उपयोग।

5. कागज पिन क्लिप, सेफ्टी पिन आदि का निर्माण।

6. केंचुआ पालन तथा कचरा निपटारा।

7. सजावटी बल्ब, बोतल, ग्लास आदि का निर्माण।

8. छाता उत्पादन।

9. सौर तथा पवन उर्जा उपकरण निर्माण।

10 हस्त निर्मित पीतल के बर्तनों का निर्माण।

11. हस्त निर्मित ताँबे के बर्तनों का निर्माण।

12. हस्त निर्मित काँसे के बर्तनों का निर्माण।

13. पीतल, ताँबे और काँसे की अन्य वस्तुओं का निर्माण।

14. रेडियो का निर्माण

15 कैसेट प्लेयर का निर्माण।

16 वोल्टेज स्टेपलाइजर का उत्पादन।

17. इलेक्ट्रानिक घड़ियों और अलार्म घड़ियों का निर्माण।

18 लकड़ी पर नक्काशी और कलात्मक फर्नीचर निर्माण।

19 मोटर वाइंडीग

20 तार की जाली बनाना

21 लोहे की झझरी का निर्माण

22 ग्रामीण यातायात वाहन जैसे हाथ गाड़ी, बैल गाड़ी छोटी नाव, दुपहिया साइकिल, रिक्शा, मोटर युक्त गाड़ियों का निर्माण

23 संगीत साजों का निर्माण

समूह–6 वस्त्रोद्योग(खादी को छोड़कर)

1. लोकवस्त्र का निर्माण

2. होजियरी

3. सिलाई और सिली–सिलाई पोशाक तैयार कराना

4. छींटाकारी।

5. खिलौना और गुड़िया निर्माण

6. धागे का गोला,ऊनी तथा लच्छी निर्माण

7. कसीदा कारी

8. शल्यचिकित्सीय पट्टी का निर्माण

9. स्टोव की बत्तियां

10. दरी निर्माण

11 बुनाई, पारंपरिक पोशाकों से संबंधित कार्य

12 शाल बुनाई

समूह–7 सेवा उद्योग

1 धुलाई

2. नाई

3. नलसाजी

4. बिजली की वायरिंग और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत

5. डीजल इंजनों, पम्प सेटों आदि की मरम्मत

6. टायर वल्कली करण।

8. लाउडस्पीकर, ध्वनि प्रसारक, माइक आदि ध्वनी प्रणालियों को किराये पर देना।

9. बैटरी भरना

10 कला फलक चित्रकारी

11. साइकिल मरम्मत की दुकानें

12 राजगीर

13 बैण्ड मण्डली।

14 केवल गोवा के लिए मोटर युक्त स्थानीय नाव।

15 टैक्सी के रूप में चलने वाली मोटर सायकल।

16 संगीत वाद्य

17 ढाबा (शराब रहित)

18 चाय की दुकान

19 आयोडिन युक्त नमक निर्माण।

क्र	सेक्टर कोर्सेस	MES कोर्सेस की संख्या	क्र.	सेक्टर	MES की संख्या
1	आटोमेटिक रिपेयर	18.	25	सिक्युरिटी	9
2	बैंकिंग एवं एकाउन्टींग	01	26	वूड वर्क	02
3.	ब्युटी कल्चर एण्ड हेयर ड्रेसिंग	09	27	मिडिया	03
4	कारपेट	22	28	फूड प्रोसेसिंग एण्ड प्रीजरवेशन	01
5	केमीकल	14	29	लेदर एण्ड स्पोर्टर्स गुडस	12
6	इलेक्ट्रीकल	18	30	एग्रीकल्चर	28
7	फेब्रिकेशन	11	31	ट्रेवल्स एंड टुरिज्म	09
8	गारमेन्ट मेकिंग	98	32	साफ्ट स्कील्स	03
9	फैशन डिजाइन	21	33	कूरियर एंड लॉजिस्टिकस्	06
10	जैम एण्ड ज्वेलरी	20	34	इन्श्योरेंस	03
11	हास्पिटलिटी	33	35	जूट डाइवर्सिफाईड सेक्टर	20
12	इंफोरमेशन एण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी	28	36 37	जूट प्रोडक्ट सेक्टर फिशरिंग एंड एलाइड सेक्टर	06 16
13	खादी	08	38	फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग	02

14	मेडिकल एण्ड नर्सिंग	25	39	बिजनेस एंड कॉमर्स	08
15	प्लास्टिक प्रोसेसिंग	10	40	मटेरियल मैनेजमेंट	05
16	प्रिंटींग	10	41	पेपर प्रोडक्ट्स	03
17	प्रोसेस इन्ट्रुमेंटेशन	7	42	इंडट्रियल इेक्ट्रिकल	03
18	प्रोडक्शन एण्ड मैनूफेक्चरिंग	08	43	सेरिकल्चर	26
19	रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडिशनिंग	06	44	पोल्ट्री	24
20	रिटेल	02			
21	टॉय मेंकिंग	07			
22	इंडियन स्वीट्स स्नेक्स एण्ड फूड	35			
23	पेंट	06			
24	कंस्ट्रक्शन	19			

00000

'' नयेपन और बदलाव को स्वीकार करना विचारों और संभावनाओं से खेलना, नजरिए का लचीलापन, हर अच्छी चीज को और बेहतर बनाने के बारे में सोचते हुए उसे अपनाने की आदत सृजनशीलता की पहचान है।''

19 चलते–चलते .....

1. आप अपने जिले में SRTC खोलने के लिए क्या करेंगे?
2. RTE के क्रियान्वयन के लिए आप क्या करेंगे?
3. आपके जिले के सभी बच्चे स्कूल में हों इसके लिए आप क्या करेंगे?
4. बच्चों की Main Streaming में आपकी क्या भूमिका होगी?
5. आप अपने जिले की सघन Monitoring के लिए कौन–कौन–से कदम उठाएँगे?
6. बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिए आप अपने जिले में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्य करेंगे?
7. समुदाय को से जोड़ने और उनकी सहभागिता लेने के लिए क्या करेंगे?

0000

'' भँवरे की बनावट उड़ान भरने की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है। किंतु उड़ने का पक्का इरादा लेकर वह उड़ने में सफल हो जाता है।''

– एरोडायना मिक्स

•••

'' वर्तमान शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो बच्चों पर काम के बोझ को कम करें तथा इन्हें सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करें।''